प्रस्तावना

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 की उप–धारा (4) के अनुसरण में 1.4.2009 से 31.3.2010 की कालावधि में मेरे द्वारा अधिनियम के अधीन सम्पादित किये गये कार्यों के संबंध में मेरे कार्यकाल का यह तीसरा व लोकायुक्त संस्था का 25वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस प्रतिवेदन में लोकायुक्त संस्था का इतिहास एवं पृष्ठभूमि, प्रशासनिक स्थिति एवं बजट, अन्वेषण की अधिकारिता, जांच एवं अन्वेषण की प्रक्रिया, लोकायुक्त संस्था का प्रचार–प्रसार, निष्पादित कार्य, सांख्यिकी, सुझावों और ऐसे मामलों के सारांश का समावेश है जिनमें अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन प्रतिवेदन व विशेष प्रतिवेदन और अन्य सिफारिशें सक्षम प्राधिकारी को भेजी गई हैं।

दिनांक 31.3.2009 को कुल 1010 परिवाद लंबित थे। प्रतिवेदनाधीन अवधि (1.4.2009 से 31.3.2010 तक) में 1147 परिवाद और संस्थित किये गये। इस प्रकार कुल 2157 परिवादों में से प्रतिवेदनाधीन अवधि में 1307 परिवादों का निस्तारण किया गया व 850 परिवाद दिनांक 31.3.2010 को लंबित रहे। निपटाये गये प्रकरणों में से 6 प्रकरणों में धारा 12(1) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारीगण को प्रतिवेदन मय अनुशंषा के प्रेषित किये गये व 2 प्रकरणों में धारा 12(3) के अन्तर्गत विशेष प्रतिवेदन महामहिम राज्यपाल को प्रेषित किये गये। निपटाये गये परिवादों में से 63 प्रकरण ऐसे थे जिनमें इस सचिवालय द्वारा कार्रवाई प्रारंभ किये जाने के पश्चात् संबंधित विभागों द्वारा जांच की जाकर दोषी लोकसेवकगण के विरूद्ध विभागीय कार्यवाहियां प्रस्तावित की गई/प्रारंभ की गई/निर्णीत की गई तथा 61 ऐसे प्रकरण थे जिनमें इस सचिवालय के हस्तक्षेप से परिवादीगण को अनुतोष दिलाया गया। इनका संक्षिप्त विवरण अध्याय–2 'निष्पादित कार्य' में दिया गया है।

लोकायुक्त संस्था राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 (अधिनियम संख्या 9 सन् 1973) के अन्तर्गत स्थापित एक उच्चस्तरीय स्वतंत्र एवं वैधानिक संस्था है जिसका सृजन करने के पीछे विधायिका का एकमात्र उद्देश्य यह रहा है कि यह संस्था स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से बिना किसी भय व दबाव के अन्वेषण का कार्य कर सके परन्तु राज्य सरकार के वित्त विभाग, कार्मिक विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग आदि द्वारा जारी परिपत्रों की पृष्ठांकन

सूची में लोकायुक्त सचिवालय को भी अन्य विभागों के साथ सम्मिलित करने से ऐसा आभासित होता है जैसे लोकायुक्त सचिवालय भी राज्य सरकार के अधीन कोई विभाग है। इससे आम जनता के मन में इस संस्था की निष्पक्षता व स्वतंत्रता के प्रति संशय उत्पन्न होता है जो लोकायुक्त अधिनियम की मूल भावना के प्रतिकूल है।

अत: मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि लोकायुक्त अधिनियम को बनाये जाने के मूल उद्‌देश्य का सम्मान करते हुए इस संस्था की स्वतंत्रता व स्वायत्तता को अक्षुण्ण बनाये रखा जाना चाहिए व इस संबंध में शीघ्र ही एक परिपत्र/आदेश जारी कर यह स्पष्ट करना चाहिए कि लोकायुक्त संस्था विधि द्वारा स्थापित एक उच्चस्तरीय स्वतंत्र एवं वैधानिक संस्था है तथा संबंधित विभाग भविष्य में जारी होने वाले परिपत्रों की पृष्ठांकन सूची में लोकायुक्त सचिवालय को भी राज्यपाल सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, राजस्थान उच्च न्यायालय व राज्य निर्वाचन आयोग के साथ ही प्रतियां पृष्ठांकित करें, विभागों के साथ नहीं।

हालांकि लोकायुक्त संस्था हमारे राज्य में पिछले लगभग 37 वर्ष से कार्यरत है परन्तु वास्तविकता यह है कि समुचित प्रचार-प्रसार के अभाव में आज भी आम आदमी को लोकायुक्त संस्था के बारे में जानकारी नहीं है जिससे वे इस संस्था का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। मेरे द्वारा प्रतिवेदनाधीन अवधि में अजमेर व अलवर में जिला स्तरीय अधिकारियों एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठकें आयोजित कर लोकायुक्त संस्था के अधिकारक्षेत्र व कार्य प्रणाली की जानकारी दी गई व साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों को आम लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाये जाने व राजकीय कार्य में अधिकतम पारदर्शिता अपनाये जाने हेतु कहा गया ताकि अकर्मण्यता, पद के दुरूपयोग व भ्रष्टाचार की शिकायतों को उत्पन्न होने का अवसर ही न मिले। जब तक आम आदमी को इस संस्था की विद्यमानता व कार्य जानकारी नहीं होगी, तब तक कुप्रशासन, भ्रष्टाचार, पदीय स्थिति के दुरूपयोग व अकर्मण्यता के उत्पन्न होने के तथ्यों को जानने में, उनकी रोकथाम करने में व अंतत: उनका उन्मूलन करने में भी सफलता नहीं मिलेगी और इसके लिए आम आदमी को इस संस्था के बारे में सतत् जानकारी दिया जाना आवश्यक है जिसके लिए उचित उपाय करने की तत्काल आवश्यकता है।

मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि वह इस संस्था के समुचित प्रचार-प्रसार का कार्य करने व प्रोटोकोल अधिकारी का कार्य करने हेतु इस संस्था में जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी के पदस्तर के एक जनसम्पर्क एवं प्रोटोकोल अधिकारी के नवीन पद के सृजन पर शीघ्र विचार करें।

भ्रष्टाचार आज सबसे अधिक चर्चा का विषय है। आये दिन हजारों-हजार करोड़ के घोटाले उद्घाटित हो रहे हैं। हमारी संसद व विधानसभाओं में भी इस विषय के बारे में चर्चाएं होती रहती हैं। अब तो स्थिति यह आ गई है कि हर तीसरे भारतीय को ही भ्रष्ट कहा जाने लगा है। आम जनता में भ्रष्टाचार के विरोध के बजाय उसकी स्वीकार्यता बढती जा रही है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। भ्रष्टाचार केवल सार्वजनिक सेवाओं में ही नहीं है, बल्कि यह सर्वव्यापक सा हो गया है। इससे न तो राजनीतिक पार्टियां अछूती हैं और न ही निजी क्षेत्र ही अछूता रह गया है। अब तो न्यायपालिका पर भी इसके छींटे लग रहे हैं। कारण यह है कि न तो हमारे यहां भ्रष्टाचार की रोकथाम एवं निवारण के लिए कठोर कानून हैं और न ही दृढ़ राजनीतिक इच्छा ही है, न भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित न्याय होता है और न ही कोई अनुकरणीय सजा दिये जाने का प्रावधान है। हमारे यहां भ्रष्टाचारियों का सामाजिक बहिष्कार भी नहीं किया जाता है। बेनामी सम्पत्तियों की खरीद-फरोख्त पर प्रभावी नियंत्रण नहीं है। पारदर्शिता की कमी है। यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम निकल सकते हैं। राष्ट्र की सीमाएं भी असुरक्षित हो सकती हैं और समाज में कई प्रकार से विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है। सुरक्षा से जुड़ी सूचनाओं को पद व रिश्वत के लालच में दुश्मन देशों को बेचे जाने व नक्सलवादियों को हथियार व गोला-बारूद आपूर्ति करने के मामले प्रकाश में आ ही रहे हैं जो हमारे ही सैकड़ों जवानों को बेरहमी से मौत के घाट उतार रहे हैं। भ्रष्टाचार के कारण ही बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों ने घुसपैठ करली । करोड़ों के नकली नोटों का प्रसार हो रहा है, अफसरों पर पड़ने वाले छापों में अकूत राशि व सम्पत्ति उजागर हो रही है। इस प्रकार भ्रष्टाचार अर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास का ही विरोधी नहीं है बल्कि हमारी एकता, अखण्डता व सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन चुका है। यदि हमें सच्चे मायने में आर्थिक एवं मानव विकास करना है, देख की एकता एवं अखण्डता को अक्षुण्ण रखना है व सुरक्षा को चाक-चौबन्द रखना है तो हमें भ्रष्टाचार की रोकथाम व इसके उन्मूलन की त्वरित कार्यवाही करनी होगी।

जब हम भ्रष्टाचार की रोकथाम व इसके उन्मूलन के उपायों के संबंध में विचार करते हैं तो हांगकांग का अनुभव बरबस ही अपनी ओर ध्यान आकृष्ट कर लेता है जो एक मिसाल बन कर विश्व के सामने आया है। वर्ष 1970 के दशक में हांगकांग में भ्रष्टाचार उसी प्रकार अपनी जड़े जमाए हुए था, जिस प्रकार से आज हमारे प्रदेश व देश में जमाए हुए है। कोई भी विभाग भ्रष्टाचार से अछूता नहीं था। हांगकांग सरकार ने वर्ष 1974 में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए पूर्णतः समर्पित एक स्वतंत्र एवं शक्तिशाली एजेन्सी इनडिपेन्डेन्ट कमीशन अगेन्स्ट करप्शन (आई.सी.ए.सी.) की स्थापना की। उक्त संस्था की स्थापना की योजना बनाते समय, हांगकांग सरकार ने यह महसूस किया कि केवल भ्रष्ट को दण्डित करके ही कमीशन भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई नहीं जीत सकता बल्कि इसके लिए नौकरशाही प्रणाली और मशीनरी में भी सुधार करना होगा तथा भ्रष्टाचार के प्रति लोगों के रवैये में भी मूलभूत बदलाव लाना होगा। अतः हांगकांग सरकार ने भ्रष्टाचार के विरूद्ध युद्ध छेड़ने के लिए अन्वेषण, निवारण एवं शिक्षण रूपी तीन अवयवों के रूप में एक समेकित त्रि-भुजा रणनीति अपनाई और हांगकांग ने सरकार के दृढ़निश्चय, कठोर कानून व जनता के सहयोग से अपने यहां से भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंका। आज हांगकांग की गिनती एशिया में सबसे कम भ्रष्ट देशों में की जाती है। अभी हाल ही में हमारे देश में भी केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने नेशनल एन्टीकरप्शन स्ट्रेटेजी का प्रारूप तैयार किया है। यदि उक्त रणनीति को अपनाया जाता है तो हमें भी भारतवर्ष से भ्रष्टाचार की रोकथाम व इसके उन्मूलन में सफलता मिलने में कोई संशय नहीं है।

जहां तक राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 का प्रश्न है, इस अधिनियम के प्रावधान बहुत ही कमजोर हैं जिसके कारण भ्रष्टाचार की रोकथाम एवं उन्मूलन में वांछित सफलता नहीं मिल पाई है। उदाहरण के तौर पर 'अभिकथन' की परिभाषा में कुप्रशासन, ग्रीवान्सेज, पक्षपातपूर्ण कार्यवाही, भाई-भतीजावाद व आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति जमा करने को सम्मिलित नहीं किया हुआ है। इसी प्रकार 'लोकसेवक' की परिभाषा में न तो पूर्व लोकसेवक, पंच, सरपंच व उप-सरपंच सम्मिलित किये गये हैं तथा न ही विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर व अधिकारीगण व कर्मचारीगण, राज्य सरकार द्वारा गठित समितियों/बोर्डों के पदाधिकारी 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित किये गये हैं। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत गठित किये गये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जैसे निगम तथा राज्य सरकार द्वारा स्थापित राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन, सहकारी बैंक व अन्य सहकारी

संस्थाएं तब तक लोकायुक्त के दायरे में नहीं आती जब तक कि सरकार द्वारा इन्हें राजपत्र में इसके निमित्त अधिसूचित न कर दिया जावे। यह कटुसत्य है कि इस संस्था के 37 वर्ष के इतिहास में अभी तक एक भी सहकारी संस्था को लोकायुक्त अधिनियम के निमित्त राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि लोकायुक्त संस्था का जांच का दायरा बहुत ही सीमित है।

संस्था के स्थापना के समय से ही सभी लोकायुक्तों द्वारा समय-समय पर अधिनियम में समुचित संशोधन किये जाने एवं अन्वेषण एजेन्सी व स्टाफ उपलब्ध कराये जाने हेतु सुझाव दिये जाते रहे हैं। मेरे द्वारा भी इस संबंध में दिनांक 4.10.2007 को तत्कालीन माननीया मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया था। इससे पूर्व 22 एवं 23 जनवरी, 2001 को नई दिल्ली में आयोजित छठे अखिल भारतीय लोकायुक्त सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसार 'मॉडल लोकायुक्त बिल 2001' बनाया गया था जिसकी एक प्रति राज्य सरकार को दिनांक 27.6.2001 को भेजी गई थी व इसके अनुसार वर्तमान लोकायुक्त अधिनियम को संशोधित किये जाने हेतु आग्रह किया गया था। इस बिल को 19 वें वार्षिक समेकित प्रतिवेदन में भी सम्मिलित किया गया था जो राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जा चुका है। इसी प्रकार 27 सितम्बर से 29 सितम्बर, 2004 को देहरादून में आयोजित किये गये 8वें अखिल भारतीय लोकायुक्त/लोकपाल/ उप-लोकायुक्त सम्मेलन में पारित प्रस्ताव की पालना में लोकायुक्तगण द्वारा केन्द्रीय लोकायुक्त विधि को मद्देनजर रखते हुए 'लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त बिल 2005' का प्रारूप तैयार किया गया था जिसे 23वें वार्षिक समेकित प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया था व प्रस्तावित संशोधन किये जाने अथवा वर्तमान अधिनियम को इस बिल के अनुसार नया अधिनियम बनाया जाकर उससे प्रतिस्थापित किये जाने का आग्रह किया गया था। मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये 24वें वार्षिक प्रतिवेदन में भी इस संबंध में कई सुझाव दिये गये थे। परन्तु यह खेद का विषय है कि सरकार द्वारा इस संबंध में वर्ष 1997[1] व वर्ष 2000[2] में मंत्रियों की समितियों का गठन करने व 21वें वार्षिक प्रतिवेदन में अंकित मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के स्पष्टीकारक ज्ञापन में अंकितानुसार मॉडल लोकायुक्त बिल में सम्मिलित प्रावधानों का अध्ययन कर उन पर विचार कर निर्णय लेने हेतु मंत्रीगणों एवं शासन सचिवगणों की एक अन्य समिति का गठन करने के अलावा और कुछ नहीं किया गया है क्योंकि इन समितियों द्वारा कोई प्रतिवेदन दिया गया हो व उसके अनुरूप कोई संशोधन किया

1 आज्ञा क्रमांकः पं.4(5)मं.मं./94 जयपुर, दिनांक 29 जुलाई, 1997

2 आज्ञा क्रमांकः पं.6(15)प्र.सु./अनु.3/2000 जयपुर, दिनांक 8 जून, 2000

गया हो, ऐसा ध्यान में नहीं आया है। अब तक दिये गये सुझावों को इस प्रतिवेदन के अध्याय-6 में पुनः दोहराया गया है।

वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार व कुप्रशासन का उन्मूलन करने व सुशासन प्रदान करने हेतु कृतसंकल्प हैं। इस संबंध में अब कुछ ठोस व दूरगामी कदम उठाने की भी आवश्यकता है। सरकार को अब बिना समय गंवाए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा तैयार किये गये नेशनल एन्टीकरप्शन स्ट्रेटेजी के प्रारूप पर विचार कर उसके अनुसार कदम उठाने पर विचार करना चाहिए तथा साथ ही प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों के अनुसार लोकायुक्त अधिनियम को संशोधित करके प्रभावी बनाये जाने व कर्नाटक व मध्यप्रदेश लोकायुक्त संगठनों की भांति राजस्थान की लोकायुक्त संस्था को भी प्रत्येक क्षेत्र के विशेषज्ञों से युक्त स्टाफ व सभी संसाधनों से सुसज्जित स्वयं की अन्वेषण एजेन्सी प्रदान किये जाने पर तत्काल विचार करना चाहिए। इसके साथ ही साथ राज्यपाल सचिवालय, विधानसभा सचिवालय व राजस्थान उच्च न्यायालय की भांति लोकायुक्त संस्था का स्वरूप भी वित्तीय एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक स्वतंत्र संस्था के रूप में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

मैं महसूस करता हूँ कि जब तक उपर्युक्तानुसार कदम नहीं उठाये जाते हैं तब तक न तो इस संस्था को बनाये जाने का प्रयोजन सिद्ध हो सकेगा और न ही सरकार के भ्रष्टाचार के उन्मूलन व सुशासन प्रदान करने के उद्देश्य की प्राप्ति हो सकेगी।

(जी.एल.गुप्ता)
लोकायुक्त

अध्याय-1

लोकायुक्त संस्था का इतिहास एवं पृष्ठभूमि

लोकायुक्त संस्था की अवधारणा की कल्पना सर्वप्रथम स्कैण्डीनेवियन देशों में की गई। आधुनिक ऑम्बुड्समैन की जड़ें स्वीडन के जस्टिस ऑम्बुड्समैन (ऑम्बुड्समैन फोर जस्टिस) में ढूँढी जा सकती हैं, जहां इस संस्था की स्थापना सन् 1809[3] में की गई थी। स्वीडिश शब्द 'औम्बुड्समैन' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जिसे कुप्रशासन, भ्रष्टाचार, विलम्बता, अकुशलता, अपारदर्शिता एवं स्थिति के दुरूपयोग से नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु नियुक्त किया गया है। यह संस्था 20वीं शताब्दी में तब तक विस्तार नहीं पा सकी जब तक कि स्केण्डिनेवियन देशों -फिनलैण्ड (1919), डेनमार्क (1955) एवं नॉर्वे (1962) में इसे नहीं अपना लिया गया। ऑम्बुड्समैन संस्था की लोकप्रियता 1960 के दशक के पूर्व में तब काफी बढ़ी जब राष्ट्रमण्डल एवं अन्य यूरोपियन देशों में इसकी स्थापना की गई। उदाहरण के तौर पर न्यूजीलैण्ड (1968), यूनाइटेड किंगडम (1967), अधिकतर कनाडियन प्रदेश (1967), तन्जानिया (1968), इजराइल (1971), प्यूर्टो रिको (1977), ऑस्ट्रेलिया (1977 संघीय स्तर पर एवं 1972-1979 राज्य स्तर पर), फ्रांस (1973), पूर्तगाल (1975), ऑस्ट्रिया (1977), स्पेन (1981) एवं नीदरलैण्ड (1981)। इसके अतिरिक्त 7 ऑम्बुड्समैन के कार्यालय अफ्रीका में, 17 एशिया में (भारत को छोड़ कर), 11 ऑस्ट्रेलिया एवं पैसिफिक में, 10 कैरेबियन एवं लैटिन अमेरिकन देशों में, 41 यूरोपियन देशों में, 6 कनाडा में एवं 10 संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित किये गये। इतने देशों में ऑम्बुड्समैन संस्था की स्थापना ने जवाबदेह, पक्षपातरहित, पारदर्शी सुशासन प्रदान करने में इसके महत्व को साबित किया है।

उपर्युक्त परिदृश्य में एक ऐसी एजेन्सी की आवश्यकता महसूस की गई जिसके द्वारा किया गया प्रशासन का पुनरावलोकन सस्ता, शीघ्र, स्वतंत्र एवं पक्षपात रहित हो। यह एजेन्सी स्केन्डीनेवियन एवं अन्य देशों में प्रचलित **ऑम्बुड्समैन** और भारत में कई राज्यों में स्थापित **लोकायुक्त संस्था** के सिवाय दूसरी कोई नहीं हो सकती। श्री पी.वी.गजेन्द्रगढ़कर, पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पुस्तक *''ला, लिबर्टी एण्ड सौशल जस्टिस''* में यह बात दृढ़तापूर्वक कही है कि जब तक हम ऑम्बुड्समैन जैसी संस्था का विकास नहीं करते और संविधान में संशोधन करके अथवा विधान मण्डलीय प्रक्रिया के माध्यम से इस संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं करते, तब तक समस्या का प्रभावकारी रूप से निदान नहीं हो सकेगा।

लोकायुक्त संस्था एक प्रभावकारी एवं ऐसा दक्ष प्रशासन, जो भ्रष्टाचार एवं अनुचित आचरण से मुक्त हो, दिलवाना संभव करती है। मूलतः सरकारी कर्मचारियों द्वारा शक्तियों के दुरूपयोग करने की आदत पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से, और साधारण व्यक्तियों, जिनके

3 इन्टरनेशनल ऑम्बुड्समैन इन्स्टीट्यूट, एडमॉन्टन अलबर्टा, कनाडा द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार।

पास सरकारी या राजनीतिक दबाव या पहुंच नहीं होती, को न्याय दिलाने के लिये लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त संस्था का सृजन विधानमण्डल के अधिनियम के द्वारा किया गया है।

भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70) ने भी ***''प्रॉब्लम ऑफ रिड्रेस आफ सिटिजन्स ग्रीवेन्सेज''*** विषयक अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में भ्रष्टाचार की व्याप्ति, चारों ओर फैली अकुशलता तथा जनसामान्य की आवश्यकताओं के प्रति प्रशासन की संवेदन शून्यता के विरूद्ध प्राय: उभरने वाले जन आक्रोश पर विचार किया और जन अभियोग निवारण के लिये तथा दुर्व्यवस्था से उद्‌भूत हुई भ्रष्टाचार या अन्याय का अधिकथन करने वाली शिकायतों की जांच के लिये लोकपाल तथा लोकायुक्त की कानूनी संस्थाओं की सिफारिश की थी। कई बार के प्रयासों के बावजूद अभी तक भी केन्द्रीय स्तर पर लोकपाल संस्था की स्थापना नहीं हो पाई है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007) ने भी अपनी चौथी रिपोर्ट में संविधान में संशोधन कर राष्ट्रीय लोकायुक्त का प्रावधान किये जाने की अनुशंसा की है।

जहां तक राज्यों में लोकायुक्त संस्था की स्थापना का प्रश्न है, सबसे पहिले लोकपाल संस्था की स्थापना उड़ीसा राज्य में वर्ष 1970 में की गई थी, परन्तु 1995 में लोकपाल अधिनियम पुन: प्रवृत किया गया। महाराष्ट्र में वर्ष 1972, बिहार में वर्ष 1974, उत्तर प्रदेश में वर्ष 1977, मध्य प्रदेश में वर्ष 1981, आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1983, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1983, कर्नाटक में वर्ष 1984, आसाम में वर्ष 1986, गुजरात में वर्ष 1988, दिल्ली में वर्ष 1995, पंजाब में वर्ष 1996, केरल में वर्ष 1998 एवं हरियाणा में वर्ष 1997 में इस संस्था की स्थापना की गई। हरियाणा राज्य में लोकायुक्त अधिनियम को वर्ष 2002 में पुन: प्रवृत्त किया गया। छत्तीसगढ़ व उत्तराखण्ड राज्य में भी वर्ष 2002 में इस संस्था की स्थापना की गई। पश्चिम बंगाल में भी वर्ष 2007 में लोकायुक्त संस्था की स्थापना की जा चुकी है।

हमारे राज्य में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति (1963) ने अपने प्रतिवेदन में 'औम्बुड्समैन' जैसी एक कानूनी संस्था के गठन की सिफारिश की थी जिसका कार्य सरकार की कार्यपालिक कार्यवाहियों पर नजर रखना तथा ऐसे मामलों, जिनमें सरकार की किसी भी एजेन्सी द्वारा की गई कार्यवाही या तो अवैध हो या अन्यायपूर्ण, मनमानी अथवा विद्यमान नियमों या स्थापित पूर्वोदाहरणों की घोर उल्लंघनकारी तथा उन मामलों, जिनमें भ्रष्टाचार का स्पष्ट अभिकथन सन्निहित हो, में अन्वेषण करना हो। उसकी अधिकारिता का प्रसार समस्त मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्रियों, उप मंत्रियों, सिविल सेवकों तथा राज्य की सेवा में कार्य कर रहे अन्य व्यक्तियों के, जहां तक उस हैसियत में उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य का संबंध है, कार्यो तक होना था, परन्तु विधि न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के विरुद्ध कोई क्षेत्राधिकार नही था। यद्यपि जन अभियोगों की देखभाल के लिये राज्य में जन अभियोग निराकरण विभाग का एक अलग तंत्र पहले से ही विद्यमान था, किन्तु सरकार के विद्यमान तंत्र में किसी ऐसी व्यवस्था का उपबन्ध नहीं था, जिसमें मंत्रियों, सचिवों और कतिपय अन्य लोकसेवकों के विरूद्ध पद के दुरूपयोग, भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता की शिकायतों की जांच और अन्वेषण किया जा सके।

अतएव, जनता में विश्वास और संतोष की भावना की अभिवृद्धि करने के लिये और स्वच्छ, ईमानदार और सक्षम प्रशासन प्रदान करने के लिये मंत्रियों, सचिवों और कतिपय अन्य लोकसेवकों के विरूद्ध, पद के दुरूपयोग और भ्रष्टाचार, आदि की शिकायतों को देखने और उनमें अन्वेषण करने के लिये एक स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेन्सी का सृजन करना तुरन्त आवश्यक समझा गया।

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये **1973 का राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अध्यादेश सं. 3 24 जनवरी, 1973** को प्रख्यापित किया गया था तथा 25 जनवरी, 1973 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। यह अधिसूचित किया गया था कि यह अध्यादेश 3 फरवरी, 1973 से प्रवृत होगा। इस अध्यादेश को राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम संख्या 9 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसे 26 मार्च, 1973 को महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई थी। यह अधिनियम भी उसी तारीख से अर्थात् 3 फरवरी, 1973 से प्रवृत हुआ समझा गया जिस तारीख को अध्यादेश प्रवृत हुआ था।

1.2 प्रशासनिक स्थिति एवं बजट

प्रतिवेदनाधीन अवधि में प्रशासनिक स्थिति निम्नानुसार है :-

क.सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या		कुल स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
		स्थाई	अस्थाई		
1.	सचिव	1	-	1	-
2.	उप सचिव	1	-	1	-
3.	सहायक सचिव	1	-	1	-
4.	निजी सचिव	2	-	2	-
5.	अनुभागााधिकारी	2	-	2	-
6.	वरिष्ठ निजी सहायक	1	-	1	-
7.	निजी सहायक	2	-	2	-
8.	आशुलिपिक	1	-	1	1
9.	सहायक	1	-	1	-
10.	कनिष्ठ लेखाकार	1	-	1	-
11.	वरिष्ठ लिपिक	3	-	3	-
12.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	1	-	1	-
13.	कनिष्ठ लिपिक	7	-	7	1
14.	जमादार	2	-	2	-
15.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	10	-	10	1
16.	तामील कुनिन्दा	2	-	2	-

लोकायुक्त सचिवालय राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत स्थापित एक स्वतंत्र एवं वैधानिक संस्था है। इस अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान के अनुसार लोकायुक्त सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों एवं सेवा शर्तो के संबंध में कोई भी निर्णय लोकायुक्त से परामर्श किये जाने के पश्चात् ही लिया जा सकता है। धारा 14 निम्नवत् है:-

''14. लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्तों का कर्मचारीवर्ग--(1) इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्तों को, उनके कृत्यों के निष्पादन में सहायता देने के लिये, लोकायुक्त, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा या किसी उप-लोकायुक्त को अथवा लोकायुक्त या किसी उप-लोकायुक्त के अधीनस्थ किसी अधिकारी को ऐसी नियुक्तियां करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वर्ग, उनके वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्ते एवं लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्तों की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी, जैसी कि लोकायुक्त से परामर्श के पश्चात् विहित की जायं।''

बजट निर्णायक समिति वर्ष 2006-2007 ने बिना लोकायुक्त से परामर्श प्राप्त किये ही दो स्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त हुए पदों को समाप्त कर दिया। यह उल्लेखनीय है कि **उक्त अवधि में लोकायुक्त का पद रिक्त था**। इससे पूर्व भी बजट निर्णायक समिति द्वारा वरिष्ठ निजी सहायक एवं सहायक के पदों को लोकायुक्त के पदासीन होते हुए भी बिना पूर्व में परामर्श किये ही समाप्त कर दिया गया था, परन्तु बाद में पत्राचार किये जाने पर सरकार के पत्र क्रमांक: एफ.6(8)कार्मिक-क-3/शिकायत/विभाग/99 जयपुर दिनांक 7.5.2001 द्वारा पुनर्जीवित किया गया।

बजट निर्णायक समिति की उक्त कार्रवाई उक्त वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है। समिति को इस सचिवालय के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पूर्व उक्त वैधानिक प्रावधान को दृष्टिगत रखना चाहिए।

उक्त समाप्त किये गये दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों को पुनर्जीवित करने हेतु **पिछले 23वें व 24वें वार्षिक प्रतिवेदन में भी उल्लेख किया जा चुका है,** परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

राज्य सरकार को चाहिए कि **वह अब शीघ्र ही धारा 14 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए उक्त समाप्त किये गये दो स्थाई चतुर्थ श्रेणी के पदों को पुनर्जीवित करने का आदेश प्रसारित करे** और वित्त विभाग व बजट निर्णायक समिति को यह स्थाई आदेश प्रदान करे कि वह लोकायुक्त संस्था के कर्मचारीवर्ग के संबंध में कोई भी निर्णय बिना लोकायुक्त

के पूर्व परामर्श के न ले ताकि लोकायुक्त सचिवालय की स्वतंत्र संस्था की छवि को कोई आंच न आये और आम लोगों का इस संस्था में विश्वास बना रहे।

वर्ष 2009-2010 का बजट एवं व्यय का विवरण **परिशिष्ट-ए** में दिया गया है।

1.3 अन्वेषण की अधिकारिता

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में लोकायुक्त को कतिपय मामलों में मंत्रियों तथा लोक सेवकों के विरूद्ध अभिकथनों का अन्वेषण करने की अधिकारिता दी गई है। अधिनियम की धारा 2(i) में दी गई लोकसेवक की परिभाषा के अनुसार लोकायुक्त को निम्न के विरूद्ध अन्वेषण करने की अधिकारिता है :-

1. राजस्थान राज्य की मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य (मुख्य मंत्री के अतिरिक्त, जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अर्थात् मंत्री, राज्य मंत्री या उप-मंत्री,
2. राजस्थान राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी लोक सेवा में या लोक पद पर नियुक्त व्यक्ति,
3. जिला परिषद का प्रत्येक प्रमुख और उप-प्रमुख, पंचायत समिति का प्रधान तथा उप-प्रधान और राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम 37) के अधीन या उसके द्वारा गठित किसी भी स्थायी समिति का अध्यक्ष,
4. नगरपालिका परिषद का प्रत्येक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नगरपालिका बोर्ड का अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम 38) के अधीन या उसके द्वारा गठित या गठित समझी गयी किसी समिति का अध्यक्ष,
5. प्रत्येक वह व्यक्ति, जो निम्नलिखित की सेवा में है या उनका वेतन भोगी है, अर्थात्:-
   - (क) राजस्थान राज्य में कोई भी स्थानीय प्राधिकरण, जिसे राज पत्र में राज्य सरकार द्वारा, इस निमित्त अधिसूचित किया जाय,
   - (ख) किसी राज्य अधिनियम के अधीन या द्वारा स्थापित और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कोई भी निगम (जो स्थानीय प्राधिकरण न हो),
   - (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 1) की धारा 617 के अर्थान्तर्गत कोई भी सरकारी कम्पनी, जिसमें समादत्त अंशपूजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित है या कोई भी कम्पनी जो किसी भी ऐसी कम्पनी की सहायक है जिसमें समादत्त अंशपूजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यूनत राज्य सरकार द्वारा धारित है,

(घ) राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का राजस्थान अधिनियम 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी सोसाइटी, जो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन है और जिसे राज पत्र में उस सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है।

अधिनियम की धारा 2(i)(iv)(a) के अन्तर्गत समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं **परिशिष्ट-'ए-1'** में दी गई हैं।

1.4 जांच व अन्वेषण करने की प्रकिया

''दोषी लोकसेवक को दण्ड और निर्दोष को संरक्षण'' के सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए यह सचिवालय लोकसेवकों के विरूद्ध प्राप्त प्रत्येक शिकायत की गहन परीक्षा कर विषय की सच्चाई की तह तक पहुंचने का प्रयास करता है। परीक्षण के पश्चात् यदि शिकायत में लगाये गये आरोप अधिक स्पष्ट न हों, तो उसमें लगाये गये आरोपों के संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं और यदि मामला प्रथम दृष्टि में ही प्रारंभिक जांच किये जाने का प्रतीत हो, तो उसमें प्रारंभिक जांच किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर परिवादी को उसका अवलोकन करके अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है व आवश्यक होने पर आपत्तियों पर पुन: टिप्पणी भी मांगी जाती है। **यदि तथ्यात्मक प्रतिवेदन व आपत्तियों का परीक्षण किये जाने पर आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं, तो शिकायत को नस्तीबद्ध कर दिया जाता है और यदि आरोप प्रमाणित पाये जाते हैं, तो उसके संबंध में, या तो कार्यवाही करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को लिखा जाता है, या इस सचिवालय स्तर पर प्रारंभिक जांच किये जाने, या सीधे ही, अन्वेषण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।**

इस सचिवालय स्तर पर प्रारंभिक जांच करने के दौरान् परिवादी, उसके साक्षीगण एवं सुसंगत अभिलेख के परीक्षण करने के पश्चात् यदि किसी भी लोकसेवक के विरूद्ध अभिकथन प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं, तो प्रारंभिक जांच को बंद कर प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया जाता है, जिसकी सूचना परिवादी को भी दी जाती है। **यदि आरोप प्रथम दृष्टया सही पाये जाते हैं, तो राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किया जाता है।** अन्वेषण प्रारंभ करते ही संबंधित लोकसेवक को नोटिस एवं अन्वेषण के आधारों का विवरण, उसका जवाब/स्पष्टीकरण मय शपथ पत्र एवं उन दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करने के लिये, भेजा जाता है, जिसे कि वह अपने बचाव में प्रस्तुत करना उचित समझे एवं उसकी एक प्रति उसके सक्षम प्राधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है। **अन्वेषण के दौरान् संबंधित लोकसेवक को अपना पक्ष रखने का एवं व्यक्तिगत सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है।**

अन्वेषण के पश्चात् यदि लगाये गये आरोप अंशत: या पूर्णत: सिद्ध किये जाने योग्य नहीं पाये जाते हैं, तो अन्वेषण को बंद कर प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया जाता है एवं **इसकी सूचना परिवादी को भी दी जाती है तथा यदि लगाये गये आरोप अंशत: या पूर्णत: सिद्ध किये जाने योग्य पाये जाते हैं, तो उसके संबंध में अन्वेषण प्रतिवेदन धारा 12(1) के अन्तर्गत लोकसेवक के सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाता है, जिसमें यदि लोकसेवक द्वारा कोई दाण्डिक अपराध किया गया हो तो दाण्डिक मामला संस्थित करने या अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की सिफारिश की जाती है।**

यदि किसी मामले में किसी भी लोकसेवक के विरूद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाया जावे, परन्तु यह प्रतीत हो कि प्रशासन की किसी भी प्रक्रिया या चलन से भ्रष्टाचार या अवचार का अवसर मिलता है, **तो इस संस्था द्वारा यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसी प्रक्रिया या चलन में समुचित परिवर्तन कर दिया जाये या संबंधित नियमों को उपयुक्त रूप से ऐसे संशोधित कर दिया जावे कि जिससे लोकसेवकों द्वारा भ्रष्टाचार या अवचार किये जाने की संभावना समाप्त हो जाये या जिससे कि आम लोगों को अनुचित अपहानि न हो।**

1.5 प्रचार-प्रसार

लोकायुक्त संस्था के महत्व, कार्य एवं क्षेत्राधिकार से राजस्थान की आम जनता को परिचित कराने के लिये प्रतिवेदनाधीन अवधि में जिला स्तरीय अधिकारियों एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गई:-

जिले का नाम	जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक	गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक
अजमेर	29.5.2009	29.5.2009
अलवर	25.3.2010	25.3.2010

समाज में स्वयंसेवी संगठनों का विशेष महत्व है और जब वे आम जन को कोई बात कहते हैं उसका असर भी होता है। अत: बैठकों में लोकायुक्त संस्था के महत्व, अधिकारक्षेत्र, कार्य प्रणाली व शिकायत कैसे प्रस्तुत की जावे, के बारे में जानकारी देने के साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से इस संस्था के बारे में आम लोगों को समुचित जानकारी देने का आग्रह किया गया। उनसे यह भी अपेक्षा की गई कि वे सूचना के अधिकार के बारे में भी आमजन को जागरूक करने की पहल करें।

जिला स्तरीय अधिकारियों को आम लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाये जाने व राजकीय कार्य में अधिकतम पारदर्शिता अपनाये जाने हेतु कहा गया जिससे कि अकमर्ण्यता, पद के दुरूपयोग व भ्रष्टाचार की शिकायतों को उत्पन्न होने का अवसर ही न मिले। यह भी निर्देश दिया गया कि जब भी किसी शिकायत के बारे में उनसे तथ्यात्मक

जानकारी मांगी जाती है तो उनका दायित्व है कि वे तत्परता से कार्यवाही करते हुए बिना किसी विलम्ब के तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें। बैठकों में मौके पर प्राप्त शिकायतों के बारे में भी संबंधित विभागों के अधिकारियों से विचार विमर्श कर जानकारी प्राप्त की गई व उनके बारे में मौके पर उपस्थित जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश दिये गये।

परिशिष्ट–'ए'

वित्तीय वर्ष 2009–10 में आवंटित बजट एवं व्यय का विवरण (लाखों में)

क.स.	बजट शीर्ष	मूल अनुदान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
1.	संवेतन	140.00	130.00	125.83
2.	यात्रा व्यय	3.00	2.25	1.37
3.	चिकित्सा व्यय	2.00	2.65	2.59
4.	कार्यालय व्यय	6.88	7.38	5.73
5.	साक्षियों पर व्यय	0.30	0.30	0.30
6.	सत्कार व आतिथ्य	0.05	0.05	0.03
7.	अन्य प्रभार	0.01	0.01	0.00
8.	वाहन किराया	1.62	1.40	1.39
9.	वर्दी व्यय	0.10	0.10	0.06
10.	संविदा सेवाएं	2.30	1.32	0.88
11.	पेंशन अंशदान	0.01	0.01	0.00
	कुल योग :	**156.27**	**145.47**	**138.18**

परिशिष्ट–'ए–1'

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3) विभाग
अधिसूचना

क्रमांकः एफ.6(1)कार्मिक/क–3/75 जयपुर, दिनांक 13 मार्च, 75

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 2(i)(iv)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा अधिसूचित करती है कि राजस्थान राज्य के निम्नलिखित स्थानीय प्राधिकरणों में सेवारत प्रत्येक व्यक्ति उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ लोक सेवक होगा:–

1.	नगरपालिका परिषदें–	जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, बीकानेर और गंगानगर
2.	नगर सुधार न्यास–	जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, बीकानेर और गंगानगर

राज्यपाल के आदेश से,
ह0 (राजेन्द्र पाल सिंह)
शासन उप सचिव

कार्मिक (क–3) विभाग
अधिसूचना
जयपुर, दिसम्बर 12, 1988

एस.ओ.202:– राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 2(i)(iv)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि राजस्थान राज्य में जयपुर विकास प्राधिकरण की सेवा में प्रत्येक व्यक्ति उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए लोक सेवक होगा।

(संख्या एफ. 6(1) डी.ओ.पी/ए–3/75)
राज्यपाल के आदेश से,
हरि शंकर टण्डन, उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3) विभाग

क्रमांकः एफ.6(1)कार्मिक/क–3/75 जयपुर, दिनांक 10.7.89

अधिसूचना

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 2(i)(iv)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा अधिसूचित करती है कि राजस्थान राज्य के निम्नलिखित स्थानीय प्राधिकरणों में सेवारत प्रत्येक व्यक्ति उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ लोक सेवक होगा :–

1.	नगरपालिका परिषदें–	ब्यावर, चूरू, सवाई माधोपुर, किशनगढ़, बाड़मेर, हनुमानगढ़, सीकर, भरतपुर, पाली, टोंक, भीलवाड़ा।
2.	नगर सुधार न्यास–	भरतपुर, भीलवाड़ा

राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3) विभाग

क्रमांकः प.6(1)कार्मिक/क-3/75 जयपुर, दिनांक 9.12.96

अधिसूचना

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 2(झ) (iv)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा यह अधिसूचित करती है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो राजस्थान राज्य में किसी भी नगरपालिका की सेवा में है या उनका वेतनभोगी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ लोक सेवक होगा।

राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव

....

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः प.8(च)नियम/डीएलबी/97/2168 दिनांकः 30.4.97

सचिव,
लोकायुक्त,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 63 में संशोधन के क्रम में।

संदर्भः-आपका पत्रांक एफ.39()एलएएस/8/3861 दिनांक 4.2.97

महोदय,

प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 63, 1ए में संशोधन पर विधि विभाग की राय ली गई जिन्होंने संशोधन को आवश्यक नहीं माना तथा संशोधन के बिना भी राज्य सरकार लोकायुक्त सचिवालय की रिपोर्ट पर कार्यवाही करने में सक्षम है विधि विभाग की राय से यह विभाग भी सहमत है।

भवदीय,
निदेशक

....

उपरोक्त पत्र लोकायुक्त सचिवालय के पत्र क्रमांकः एफ.39(2)लोआस/81/3860-61 दिनांक 4.2.97 के संदर्भ में लिखा गया था, जिसमें मेयर, उप-मेयर आदि के संबंध में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 63 में संशोधन करने की अनुशंसा की गई थी। उस पत्र का सुसंगत भाग इस प्रकार है**:-**

"Section 2(i) of the LokayuktaAct defines 'public servant'. The expression denotes as person falling also under its clause (iii) (b) as under :-

"(iii)(b) every President and Vice-President of a Municipal Council, Chairman and Vice-Chairman of a Municipal Board and Chairman of any Committee, constitute or deemed to be constituted by or under the Rajasthan MunicipalitiesAct, 1959 (RajasthanAct 38 of 1959;"

Therefore, the Lokayukta has jurisdiction to make a report under Section 12 of the LokayuktaAct also against the Mayor, Deputy Mayor or the Municipal Corporation and Chairman of any committee constituted or deemed to be constituted under theAct. The Lokayukta has also jurisdiction to make a report under Section 12 of the LokayuktaAct against any President or Vice President of the Municipal Council or Municipal Board and Chairman of their any committee constituted under theAct.

When theAct was made by the State Legislature, the LokayuktaAct was not in force and had only come into force in the year 1973. TheAct, therefore, did not and could not contain the provision that the State Government could also exercise its powers under sub-section (1) of Section 63 upon receipt of a report from the Lokayukta. It may be that despite the aforesaid omission in sub-section (1A) of theAct, the State Government could exercise its powers from facts otherwise coming to the knowledge in the report of the Lokayukta, but to avoid any controversy as and when it arises, It will suggest that in sub-section (1A) of Section 63 of theAct, in between the words 'behalf' and 'or' the following words be added: 'or upon the report of the Lokayukta made under Section 12 of the Rajasthan Lokayukta and Up-LokayuktasAct, 1973'. "

अध्याय-2

निष्पादित कार्य

2.1 समग्र कार्य

दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2010 कालावधि में प्राप्त शिकायतों एवं निस्तारित शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है :-

(1) 1.4.2009 से 31.3.2010 की कालावधि के दौरान लंबित, प्राप्त एवं निपटाई गई शिकायतों का विवरण:-

दिनांक 31.3.2009 को **1010** शिकायतें कार्यवाही हेतु लम्बित थी, 1.4.2009 से 31.3.2010 की अवधि में **1147** शिकायतें और प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल **2157** शिकायतों में से **1307** शिकायतों का इस कालावधि में निस्तारण किया गया व दिनांक 31.3.2010 को **850** शिकायतें लंबित रही जिसका विवरण **परिशिष्ट-1** में दिया गया है। 1.4.1979 से 31.3.2010 की कालावधि की शिकायतों का विवरण **परिशिष्ट-1ए** में दिया गया है।

(2) सर्वाधिक शिकायतवाले विभाग:-

परिशिष्ट-1 में दिये गये आंकड़ों के तुलनात्मक विश्लेषण के अनुसार प्रतिवेदनाधीन अवधि में पुलिस विभाग के लोकसेवकों विरूद्ध सबसे अधिक **222** राजस्व विभाग के लोकसेवकों के विरूद्ध **166** नगरीय विकास एवं आवासन विभाग/जयपुर विकास प्राधिकरण/स्वायत्त शासन विभाग के लोकसेवकों के विरूद्ध **147** विविध शीर्ष के अन्तर्गत एक से अधिक विभागों के लोकसेवकों के विरूद्ध **140** ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के लोकसेवकों के विरूद्ध **99**, शिक्षा विभाग के लोकसेवकों के विरूद्ध **82** के शिकायतें तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लोकसेवकों के विरूद्ध **54** शिकायतें प्राप्त हुई। अकाल एवं राहत, जनसम्पर्क, मुद्रण एवं लेखन, भेड़ व ऊन, उपनिवेशन तथा राणा प्रताप सागर/जवाहर सागर के लोकसेवकों के विरूद्ध प्रतिवेदनाधीन अवधि में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

2.2 प्रारंभिक जांच के प्रकरण

1.4.2009 से 31.3.2010 की कालावधि में लंबित, संस्थित एवं निपटाये गये प्रारंभिक जांच प्रकरणों का विवरण **परिशिष्ट-2** में दिया गया है जिसके अनुसार दिनांक 31.3.2009 को **44** प्रकरणों में प्रारंभिक जांच लंबित थी, दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2010 की कालावधि में **7** नवीन प्रकरणों में प्रारंभिक जांच संस्थित की गई। इस प्रकार

कुल **51** प्रकरणों में से उक्त कालावधि में **11** प्रकरणों को अभिकथन सिद्ध न होने के कारण, **1** प्रकरण को विभाग द्वारा पहिले ही कार्यवाही प्रारंभ कर दिये जाने के कारण, **1** प्रकरण को अन्वेषण के पर्याप्त आधार विनिर्मित नहीं होने के कारण, 1 प्रकरण को मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण, **2** प्रकरणों को लोकसेवक के लोकसेवक न रहने के कारण व **1** प्रकरण को अन्य कारणों से बंद किया गया तथा **18** प्रकरणों में अन्वेषण प्रारंभ कर दिये जाने के कारण उन्हें अन्वेषण प्रकरणों में स्थानान्तरित किया गया। इस प्रकार उक्त अवधि में कुल **35** प्रारंभिक जांच प्रकरणों का निपटारा किये जाने के बाद दिनांक 31.3.2010 को **16** प्रकरणों में प्रारंभिक जांच लंबित रही।

2.3 अन्वेषण के प्रकरण

1.4.2009 से 31.3.2010 की कालावधि में लंबित, संस्थित एवं निपटाये गये अन्वेषण प्रकरणों का विवरण **परिशिष्ट-3** में दिया गया है जिसके अनुसार दिनांक 31.3.2009 को **25** प्रकरणों में अन्वेषण लंबित था, दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2010 की कालावधि में **19** नवीन प्रकरणों में अन्वेषण प्रारंभ किया गया। इस प्रकार कुल **44** अन्वेषण प्रकरणों में से उक्त कालावधि में **9** प्रकरणों को अभिकथन सिद्ध न होने के कारण बंद किया गया व **2 प्रकरणों को लोकसेवक के लोकसेवक न रहने के कारण बंद किया गया व** 6 प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी को सिफारिशें प्रेषित की गई। इस प्रकार उक्त अवधि में कुल **17 अन्वेषण** प्रकरणों का निपटारा किये जाने बाद दिनांक 31.3.2010 को **27** अन्वेषण प्रकरण लंबित रहे।

2.4 अनुशंसा के प्रकरण

(1) 1.4.2009 से 31.3.2010 की कालावधि में **6** प्रकरणों में धारा 12(1) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारीगण को अन्वेषण प्रतिवेदन मय अनुशंसा के प्रेषित किये गये जिनका संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट-4** में तथा विस्तृत विवरण **अध्याय-3** में दिया गया है।

(2) 1.4.2004 से 31.3.2009 की कालावधि में अधिनियम की धारा 12(1) के अधीन प्रेषित किये गये प्रतिवेदनों पर प्रतिवेदनाधीन अवधि तक सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की गई/अपेक्षित कार्रवाई को दर्शित करने वाले प्रकरणों का विवरण **परिशिष्ट-5** में दिया गया है।

(3) 1.4.2004 से 31.3.2009 की कालावधि में अधिनियम की धारा 12(3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय को 2 प्रकरणों में विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया जिनका संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट-6** में दिया गया है।

2.5 इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने पर प्रारंभ की गई विभागीय कार्रवाइयों के प्रकरण

(1) 1.4.2009 से 31.3.2010 तक की कालावधि में लोकायुक्त सचिवालय द्वारा शिकायतों पर प्रसंज्ञान लेने के पश्चात् विभिन्न विभागों द्वारा 63 प्रकरणों में विभिन्न लोकसेवकगण के विरूद्ध विभागीय कार्यवाहियां प्रस्तावित की गई/निर्णीत की गई जिनका का विभागवार विवरण **परिशिष्ट-7** में दिया गया है तथा महत्वपूर्ण प्रकरणों का विस्तृत विवरण **अध्याय-4** में दिया गया है।

2.6 अनुतोष के प्रकरण

(1) 1.4.2009 से 31.3.2010 की कालावधि के अनुतोष प्रकरणों का विभागवार विवरण **परिशिष्ट-8** में दिया गया है जिसके अनुसार 61 मामलों में इस सचिवालय के हस्तक्षेप से परिवादीगण को अनुतोष दिलाया गया। इनमें से कुछ प्रमुख प्रकरणों का विस्तृत विवरण **अध्याय-5** में दिया गया है।

(2) वर्ष 1996-97 से लेकर वर्ष 2009-10 की कालावधि के अनुतोष के प्रकरणों का विवरण चार्ट **परिशिष्ट-9** में दिया गया है।

परिशिष्ट–1

1.4.2009 से 31.3.2010 तक की कालावधि के दौरान प्राप्त शिकायतों, निपटाई गई शिकायतों को दर्शित करने वाला विवरण

शीर्ष सं.	विभाग का नाम	31.3.2009 को लंबित शिकायतें	1.4.2009 से 31.3.2010 तक प्राप्त शिकायतें	योग कॉलम 1 व 2	1.4.2009 से 31.3.2010 तक की शिकायतों का निपटारा	31.3.2010 को लंबित रही शिकायतें (3-4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	कृषि	4	7	11	8	3
3	पुलिस	138	222	360	250	110
4	सहकारिता	7	11	18	12	6
5	शिक्षा	83	82	165	103	62
6	कॉलेज शिक्षा	4	10	14	8	6
7	खाद्य एवं आपूर्ति	18	17	35	23	12
8	चिकि. एवं स्वा.	44	54	98	60	38
9	सा.नि.वि.	7	13	20	7	13
10	विद्युत कम्पनियां	28	34	62	35	27
11	राजस्व	153	166	319	198	121
12	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज	83	99	182	112	70
13	अकाल एव राहत	0	0	0	0	0
14	यातायात	3	8	11	6	5
15	वन	14	8	22	10	12
16	यूडीएच/जविप्रा/एलएसजी	224	147	371	170	201
17	जनसम्पर्क	0	0	0	0	0
18	आबकारी	6	9	15	10	5
19	उद्योग	10	4	14	4	10
20	मुद्रण एवं लेखन	0	0	0	0	0
21	पशुपालन	3	2	5	3	2
22	भेड़ एवं ऊन	0	0	0	0	0
23	सिंचाई	18	20	38	28	10
24	इं.गा.नहर परि.	6	3	9	6	3
25	राणा प्र. सागर/जवाहर सागर	0	0	0	0	0
26	उपनिवेशन	1	0	1	1	0
28	न्याय	3	4	7	4	3
29	जेल	4	1	5	3	2
30	श्रम	1	2	3	2	1
31	पी.एच.ई.डी.	16	22	38	22	16
32	समाज कल्याण	9	11	20	16	4
33	भू-प्रबन्ध	5	2	7	5	2
34	सचिवालय	9	11	20	17	3
35	विविध	72	140	212	139	73
40	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	0	2	2	2	0
41	आयुर्वेद	1	7	8	7	1
42	देवस्थान	7	3	10	4	6
43	रा.रा.प.प.निगम	0	7	7	7	0
44	वाणिज्यिक कर	9	5	14	5	9
45	खान एव भूविज्ञान	9	5	14	9	5
46	संस्कृत शिक्षा	2	1	3	0	3
47	बीमा एवं प्रा.निधि	7	5	12	7	5
48	तकनीकी शिक्षा	2	3	5	4	1
	योगः-	1010	1147	2157	1307	850

परिशिष्ट–1ए

1.4.1979 से 31.3.2010 की कालावधि की शिकायतों का विवरण

कालावधि	विगत वर्ष की शेष शिकायतें	वर्ष में प्राप्त शिकायतें	कुल योग	निस्तारित शिकायतें	वर्षान्त शेष शिकायतें	अनुतोष प्रकरण	विभागीय कार्यवाइयों के प्रकरण
1-4-79 to 31-3-1980	521	231	752	313	438	-	
1-4-80 to 31-3-1981	438	318	756	360	396	-	
1-4-1981 to 31-3-1982	396	240	636	328	308	-	
1-4-1982 to 31-3-1983	308	263	571	163	412	-	
1-4-1983 to 31-3-1984	412	229	641	-	641	-	
1-4-1984 to 31-3-1985	641	371	1012	834	178	19	
1-4-1985 to 31-3-1986	178	340	518	270	248	41	
1-4-1986 to 31-3-1987	248	106	354	161	193	23	
1-4-1987 to 31-12-1987	193	81	274	190	84	26	
1-1-1988 to 30-6-1989	84	698	782	614	168	47	
1-7-1989 to 31-12-1989	168	236	404	206	198	20	
1-1-1990 to 31-8-1993	198	1795	1993	1675	318	99	
1-9-1993 to 31-3-1996	318	1411	1729	1446	283	85	
1-4-1996 to 31-3-1997	283	623	906	728	178	3	
1-4-1997 to 31-3-1998	178	577	755	629	126	5	
1-4-1998 to 31-3-1999	126	430	556	455	101	5	
1-4-1999 to 31-3-2000	101	402	503	249	254	5	
1-4-2000 to 31-3-2001	254	1101	1355	535	820	33	
1-4-2001to 31-3-2002	820	1648	2468	977	1491	60	
1-4-2002 to 31-3-2003	1491	1934	3425	2341	1084	110	
1-4-2003 to 31-3-2004	1084	1369	2453	1627	826	66	
1-4-2004 to 26-11-2004	826	1246	2072	1188	884	35	
27-11-2004 to 31-3-2005	884	456	1340	-	1340	-	
1-4-2005 to 31-3-2006	1340	1037	2377	-	2377	-	
1-4-2006 to 30-4-2007	2377	517	2894	-	2894	-	
1-5-2007 to 31-3-2008	2894	1267	4161	3040	1121	138	
1-4-2008 to 31-3-2009	1121	1246	2367	1357	1010	67	
1-4-2009 to 31-3-2010	1010	1147	2157	1307	850	61	63

- लोकायुक्त का पद 8.8.1982 से 3.4.1984 तक, 4.1.90 से 15.1.1990 तक, 7.3.1990 से 9.8.1990, 1.10.1993 से 20.1.1994 तक, 17.2.1994 से 5.7.1994 तक, 7.7.1999 से 25.11.1999 तक एवं 27.11.2004 से 30.4.2007 तक रिक्त रहा है।

परिशिष्ट–2

1.4.2009 से 31.3.2010 की कालावधि के प्रारंभिक जांच प्रकरणों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1	31.3.2009 को लम्बित प्रारंभिक जांच	44
2	1.4.2009 से 31.3.2010 की कालावधि के दौरान संस्थित की गई प्रारंभिक जांच	07
3	योग (पंक्ति संख्या 1 व 2)	51
4	जिनमें अभिकथन सिद्ध नहीं हो सके।	11
5	जिनमें विभाग द्वारा पहले ही कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई।	01
6	मामला पांच वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण	–
7	जिनमें अन्वेषण के पर्याप्त आधार विनिर्मित होना नहीं पाये गये।	01
8	अनुतोष प्राप्त हो गया।	–
9	मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण	01
10	लोकसेवक न रहने के कारण	02
11	अन्य कारणों से	01
12	निपटायी गई प्रारंभिक जांच की संख्या (4 से 11)	17
13	जिन्हें अन्वेषण प्रारंभ किये जाने के कारण स्थानांतरित किया गया।	18
14	जिनमें सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) में सिफारिशें की गई।	–
15	31.3.2010 को लम्बित प्रारंभिक जांच	16

परिशिष्ट–3

1.4.2009 से 31.3.2010 की कालावधि के अन्वेषण प्रकरणों का विवरण

क.सं.	विवरण	संख्या
1.	31.3.2009 को लम्बित अन्वेषण प्रकरण	25
2.	1.4.2009 से 31.3.2010 की कालावधि के दौरान संस्थित किये गये	19
3.	योग (पंक्ति संख्या 1 व 2)	44
4.	अन्वेषण के पश्चात अभिकथन सिद्ध न होने से नस्तीबद्ध किये गये प्रकरण	09
5.	मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण	-
6.	अनुतोष प्रदान कर दिये जाने के कारण	-
7.	लोकसेवक के लोकसेवक न रहने के कारण	02
8.	जिनमें संबंधित सक्षम प्राधिकारी को अधिनियम की धारा–12(1) के अन्तर्गत सिफारिशें भेजी गई।	06
9.	कुल निपटाये गये अन्वेषण प्रकरण योग (पंक्ति संख्या 4 से 8)	17
10.	31.3.2010 को लम्बित अन्वेषण प्रकरण	27

परिशिष्ट-4

1.4.2009 से 31.3.2010 तक की कालावधि में अधिनियम की धारा 12(1) के अधीन प्रेषित किये गये प्रतिवेदनों का विवरण

क्र. सं.	पत्रावली संख्या	लोकसेवक का नाम एवं पदनाम/विषयवस्तु, जिसके विरूद्ध/संबंध में अनुशंसा की गई	सक्षम प्राधिकारी, जिसे प्रतिवेदन भेजा गया प्रतिवेदन भेजे जाने की दिनांक
1.	8(10)2007 अन्वेषण	• डॉ. भरत मीणा, तत्कालीन मेडीकल ज्यूरिस्ट • श्री छिद्दाराम शर्मा, तत्कालीन मेल नर्स-प्रथम, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बयाना **आरोपः-** परिवादी व उसके परिवार के विरूद्ध दर्ज मुकदमें में विपक्षी पार्टी को लाभ पहुंचाने की गरज से परिवादी की पुत्रवधु के एक ही दिन में दो भिन्न-2 चोट प्रतिवेदन तैयार किये जाने।	✓ माननीय चिकित्सा मंत्री ✓ दिनांकः 14.9.2009
		अनुशंसाः- राजस्थान असैनिक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। **कार्यवाहीः-** की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।	
2.	8(39)2004 अन्वेषण	डॉ. विजय भादू, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सामुदायिक केन्द्र, सूरतगढ़ **आरोपः-** भ्रष्ट हेतुक से प्रेरित होकर लाठी से आई चोट को तेज धारदार हथियार से आना बता कर चोट प्रतिवेदन बनाया जिससे परिवादी के पिता को अनावश्यक जेल में रहना पड़ा।	✓ माननीय चिकित्सा मंत्री ✓ दिनांक 12.10.2009
		अनुशंसाः- राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। **कार्यवाहीः-** की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।	
3.	3(76)2004 अन्वेषण	• श्री लालसिंह, एस.आई., तत्कालीन थाना प्रभारी, • श्री राजेन्द्र सिंह, ए.एस.आई., पुलिस थाना, कोटकासिम, जिला अलवर। **आरोपः-**कार्यवाही करने की एवज में रू. 2000 की रिश्वत मांगे जाने, जो नहीं देने पर उल्टा उसे ही 151 में बंद करने बाबत।	✓ प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग ✓ दिनांक 4.12.2009
		अनुशंसाः- राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। **कार्यवाहीः-** की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।	
4.	11(191)2004 अन्वेषण	श्री गोपालराम बिरदा, तत्कालीन एस.डी.ओ., झुन्झूनू **आरोपः-**भूमि सम्परिवर्तन हेतु मांगी गई रिश्वत की राशि नहीं देने पर अनुचित विलम्ब करना व निर्धारित अवधि में प्रार्थना पत्र को निर्णीत नहीं किये जाने बाबत।	✓ माननीय मुख्यमंत्री (प्रभारी कार्मिक विभाग) ✓ दिनांक 4.2.2010
		अनुशंसाः- राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। **कार्यवाहीः-** की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।	

क्र. सं.	पत्रावली संख्या	लोकसेवक का नाम एवं पदनाम/विषयवस्तु, जिसके विरूद्ध/संबंध में अनुशंसा की गई	सक्षम प्राधिकारी, जिसे प्रतिवेदन भेजा गया प्रतिवेदन भेजे जाने की दिनांक
5.	46(4)2000 अन्वेषण	• श्री जी.पी.शुक्ला, तत्कालीन निदेशक, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, जयपुर। • श्री मुरली सिंह, वाहन चालक, निदेशालय, संस्कृत शिक्षा, जयपुर। **आरोपः-** श्री मुरली सिंह द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर वाहन चालक के पद पर नियुक्ति प्राप्त की गई एवं श्री जी.पी.शुक्ला द्वारा बिना सत्यापन कराये ही श्री मुरली सिंह के विरूद्ध चल रहे फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त की गई नौकरी के प्रकरण को समाप्त कर दिया गया।	✓ माननीय माननीय मुख्यमंत्री (प्रभारी कार्मिक विभाग) ✓ शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग ✓ आदेश दिनांक 26.3.2010
		अनुशंसाः- राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। **कार्यवाहीः-** की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।	
6.	3(29)2009 अन्वेषण	श्री रामदेव सिंह, तत्कालीन वृत निरीक्षक., एस.एच.ओ. थाना, चिड़ावा, जिला झुन्झूनू। **आरोपः-**अतिक्रमियों को नाजायज लाभ पहुंचाने हेतु रिपोर्ट दर्ज नहीं करने।	✓ प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग ✓ आदेश दिनांक 22.3.2010
		अनुशंसाः- राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। **कार्यवाहीः-** की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।	

परिशिष्ट–5

1.4.2004 से 31.3.2009 की कालावधि में अधिनियम की धारा 12(1) के अधीन प्रेषित किये गये प्रतिवेदनों पर प्रतिवेदनाधीन अवधि तक सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की गई/अपेक्षित कार्रवाई के प्रकरणों का विवरण

क्र. सं.	पत्रावली संख्या	लोकसेवक का नाम एवं पदनाम/विषयवस्तु, जिसके विरूद्ध/संबंध में अनुशंसा की गई	सक्षम प्राधिकारी, जिसे प्रतिवेदन भेजा गया प्रतिवेदन भेजे जाने की दिनांक
1..	12(86)2001 F.R.	➢ श्री उदल सिंह, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, करौली ➢ श्री मनोज शांडिल्य, तत्कालीन लेखाधिकारी, करौली ➢ श्री शिवराम शर्मा, तत्कालीन विकास अधिकारी, टोडभीम ➢ श्री डालचंद वर्मा, तत्कालीन विकास अधिकारी, हिण्डौन ➢ श्री रूप सिंह गूर्जर, तत्कालीन विकास अधिकारी, नादौती ➢ श्री शिव कुमार शर्मा, विकास अधिकारी, हिण्डौन ➢ श्री पल्लीवाल मीणा, विकास अधिकारी, दौसा। ➢ श्री देवीलाल मीणा, विकास अधिकारी, बौंली, जिला स.मा.	➢ निदेशक, पंचायती राज विभाग ➢ दिनांक 6.5.2004
		अनुशंसाः–पंचायतों में सहायक सचिव के पदों पर अवयस्क बच्चों को नियुक्तियां प्रदान करने के दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जावे। **कार्यवाहीः**–आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्रांकः एफ. 13()शिका/वि.अ./करौली/प्र.1/परावि/04/1133 दिनांक 6.4.05 तथा शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग के पत्र क्रमांकः एफ. 13(39)शिका/वि.अ./करौली/प्र. 1/परावि/04/536 दिनांक 6.3.2009 द्वारा निम्नानुसार सूचित किया है:- ➢ **श्री उदल सिंह, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी**, जिला परिषद, करौली ***राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं,*** अतः उनके विरूद्ध कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। ➢ **श्री रूप सिंह गूर्जर,** तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नादौती को ***एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है।*** ➢ श्री शिवकुमार शर्मा, तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, टोडा भीम दिनांक 28.2.2001 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अतः उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है। ➢ श्री शिवकुमार शर्मा, तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, कार्यवाहक पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, हिण्डौन के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होने के कारण भविष्य में सतर्कता से कार्य करन की चेतावनी देते हुए कार्यवाही ड्रोप करदी गई है। ➢ शासन उप सचिव, कार्मिक(क-3)/जांच विभाग के पत्रांकः प.1(विविध)कार्मिक/क-3/2009 **दिनांक 15.4.2009** के अनुसार लोकसेवकगण सर्वश्री **मनोज शांडिल्य,** तत्कालीन लेखाधिकारी, जिला परिषद, करौली व तत्कालीन विकास अधिकारीगण **सर्वश्री देवी लाल मीणा, पल्लीवाल मीणा, डालचन्द वर्मा, तथा रामदयाल मीणा के *विरूद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किये जा चुके हैं। परिणाम की सूचना अपेक्षित है।***	

क्र. सं.	पत्रावली संख्या	लोकसेवक का नाम एवं पदनाम/विषयवस्तु, जिसके विरूद्ध/संबंध में अनुशंसा की गई	सक्षम प्राधिकारी, जिसे प्रतिवेदन भेजा गया प्रतिवेदन भेजे जाने की दिनांक
2.	42(4)1999	देवस्थान की सम्पत्तियों को खुर्दबुर्द किये जाने से बचाये जाने के संबंध में।	➢ आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर ✓ **दिनांक 7.8.2004**
		अनुशंसाः- जिन देवस्थान सम्पत्तियों के कब्जेधारकों के किरायेदारी के नियम के मामले, आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर के समक्ष विचाराधीन हैं, उनमें शीघ्र निर्णय लिया जाकर सूचित किया जावे। **कार्यवाहीः-** सम्पदा सं. 73 व 80 के संबंध में अंतिम निर्णय की सूचना अपेक्षित है।	
3.	31(10)2000	श्री किशन लाल सैनी, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चौमू	➢ शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ✓ **दिनांकः 30.11.2004**
		अनुशंसाः- क्वार्टरों के निर्माण के पर्यवेक्षण में कर्त्तव्य का निर्वहन उचित प्रकार से न कर घटिया सामग्री से राज्य हानि पहुंचाने के संबंध में 16 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जावे। **कार्यवाहीः-** पत्र दिनांक 22.3.2006 के अनुसार 16 सीसीए में आरोप पत्र जारी किया जा चुका है। परिणाम की सूचना अपेक्षित है।	
4.	11(39)2000	➢ श्री शिवदत्त गौड़, तत्कालीन तहसीलदार, बाली ➢ श्री जगदीश्वर दयाल, तत्कालीन पटवारी भू-अभिलेख, तहसील बाली, जिला पाली	➢ माननीय राजस्व मंत्री ➢ शासन सचिव, राजस्वविभाग ➢ **दिनांकः 14.06.2007**
		अनुशंसाः- परिवादी की भूमि को क्रय करने हेतु अनुचित दबाव डालने के लिये पेड़ काटने की गलत रिपोर्ट दर्ज करवाकर अनुचित अपहानि पहुंचाने के लिये दोनों लोकसेवकों के विरूद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की गई। **कार्यवाहीः-** शासन उप सचिव, राजस्व ग्रुप-1 विभाग के पत्रांक प.10(38)राज/ग्रंप1/07 **दिनांक 14.12.2009** के द्वारा सूचित किया गया कि लोकसेवक **श्री जगदीश्वर दयाल** के विरूद्ध विभागीय जांच के उपरान्त उसे **दोषमुक्त कर दिया गया है।**	

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>पत्रावली संख्या</th><th>लोकसेवक का नाम एवं पदनाम/विषयवस्तु, जिसके विरूद्ध/संबंध में अनुशंसा की गई</th><th>सक्षम प्राधिकारी, जिसे प्रतिवेदन भेजा गया प्रतिवेदन भेजे जाने की दिनांक</th></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td rowspan="2">42(5)1999</td><td>➢ श्री बनवारी लाल शर्मा,
तत्कालीन सहायक आयुक्त, देवस्थान, जयपुर।
➢ श्री शिवभगवान राजपुरोहित,
तत्कालीन सहायक आयुक्त, देवस्थान, जयपुर।
➢ श्री हरिओम शर्मा, वरिष्ठ लिपिक,
कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान, जयपुर।</td><td>➢ माननीय राज्यमंत्री, देवस्थान
➢ शासन सचिव, देवस्थान विभाग,
➢ **दिनांकः 20.06.2007**</td></tr>
<tr><td colspan="2">**अनुशंसाः-**
➢ लोकसेवक श्री बनवारी लाल, तत्कालीन, सहायक आयुक्त, देवस्थान, जयपुर व श्री हरिओम शर्मा, वरिष्ठ लिपिक के विरूद्ध जानबूझ कर परिवादी को वांछित प्रतियां उपलब्ध नहीं करवाकर अकमर्ण्यता का दोषी होने, जवाबदेही से बचने के लिये पिछली तिथियों में नोटिंग करने तथा
➢ लोकसेवक श्री शिवभगवान राजपुरोहित द्वारा नियमविरूद्ध तरीके से प्रन्यास के चुनाव में वित्तीय अनियमिताएं बरतने व इस तथ्य जानकारी होने के उपरान्त भी कि उसे दिनांक 22.3.2000 को महासभा के मैनेजर के पद से हटा दिया गया है, श्री हनुमानदास से बतौर मैनेजर ट्रस्ट का कार्य लेकर पद का दुरूपयोग करने का दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई।
कार्यवाहीः-लोकसेवक **श्री हरिओम शर्मा को 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया जा चुका** है परन्तु अन्य लोकसेवक **सर्वश्री बनवारी लाल एवं शिवभगवान राजपुरोहित के विरूद्ध अनुशंसा की पालना में की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।**</td></tr>
</table>

परिशिष्ट–6

1.4.2009 से 31.3.2010 की कालावधि में अधिनियम की धारा 12(3) के अधीन महामहिम राज्यपाल को प्रेषित किये गये विशेष प्रतिवेदनों का विवरण

क्र. सं.	पत्रावली संख्या	लोकसेवक का नाम एवं पदनाम जिसके संबंध में विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया	महामहिम राज्यपाल को विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने की दिनांक
1.	44(9)2000	श्री पी.के.देब आई.ए.एस. तत्कालीन आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर। **आरोपः**–अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग करते हुए न्यू मैजेस्टिक सिनेमा, अजमेर के मालिक को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए केवल मरम्मत के आधार पर ही नियमविरूद्ध तरीके से पांच साल के लिए मनोरंजन कर में छूट प्रदान कर राजकोष को हानि पहुंचाने के संबंध में।	23.2.2010
2.	11(198)2002	श्री समीर सिंह चन्देल आई.ए.एस. तत्कालीन जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर **आरोपः**–श्री उदय सिंह व हुकुमराज को ग्राम सेवक व पदेन सचिव, ग्राम पंचायत के पदों पर नियुक्ति दिलाने की एवज में उदयसिंह के भाई सुमेर सिंह व हुकुमराज से एक–एक लाख रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त किये जाने के संबंध में।	23.2.2010

परिशिष्ट–7

लोकायुक्त सचिवालय द्वारा प्रसंज्ञान लेने के पश्चात् विभागों द्वारा की गई विभागीय कार्रवाइयों के प्रकरण

शीर्ष संख्या	विभाग का नाम	संख्या	शीर्ष संख्या	विभाग का नाम	संख्या
2	कृषि	-	23	सिंचाई	1
3	पुलिस	3	24	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	1
4	सहकारिता	-	25	राणा प्र. सागर/जवाहर सागर	-
5	शिक्षा	3	26	उपनिवेशन	-
6	कॉलेज शिक्षा	-	28	न्याय	-
7	खाद्य एवं आपूर्ति	1	29	जेल विभाग	-
8	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	5	30	श्रम विभाग	-
9	सार्वजनिक निर्माण विभाग	-	31	जनस्वा. अभियांत्रिकी विभाग	5
10	रा.रा.वि.मण्डल	-	32	समाज कल्याण विभाग	6
11	राजस्व	27	33	भू-प्रबन्ध विभाग	-
12	ग्रा. वि. एवं पंचायतीराज	4	34	सचिवालय	-
13	अकाल एव राहत	-	35	विविध	-
14	यातायात	-	40	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	-
15	वन	-	41	आयुर्वेद	-
16	नविआ/जविप्रा/एलएसजी	6	42	देवस्थान	-
17	जनसम्पर्क	-	43	राज. राज्य पथ परिवहन निगम	-
18	आबकारी	-	44	वाणिज्यिक कर	-
19	उद्योग	-	45	खान एव भूविज्ञान	1
20	मुद्रण एवं लेखन	-	46	संस्कृत शिक्षा	-
21	पशुपालन	-	47	राज्य बीमा एवं प्रावधायीनिधि	-
22	भेड़ एवं ऊन	-	48	तकनीकी शिक्षा	-
				योगः	**63**

परिशिष्ट–8

1.4.2009 से 28.2.2010 तक की कालावधि के अनुतोष प्रकरण

शीर्ष संख्या	विभाग का नाम	संख्या	शीर्ष संख्या	विभाग का नाम	संख्या
2	कृषि	-	23	सिंचाई	2
3	पुलिस	4	24	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	2
4	सहकारिता	1	25	राणा प्र. सागर/जवाहर सागर	-
5	शिक्षा	5	26	उपनिवेशन	-
6	कॉलेज शिक्षा	-	28	न्याय	-
7	खाद्य एवं आपूर्ति	2	29	जेल विभाग	-
8	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	3	30	श्रम विभाग	-
9	सार्वजनिक निर्माण विभाग	-	31	जनस्वा. अभियांत्रिकी विभाग	-
10	रा.रा.वि.मण्डल	4	32	समाज कल्याण विभाग	-
11	राजस्व	15	33	भू-प्रबन्ध विभाग	-
12	ग्रा. वि. एवं पंचायतीराज	4	34	सचिवालय	-
13	अकाल एव राहत	-	35	विविध	4
14	यातायात	-	40	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	-
15	वन	-	41	आयुर्वेद	1
16	नविआ/जविप्रा/एलएसजी	9	42	देवस्थान	-
17	जनसम्पर्क	-	43	राज. राज्य पथ परिवहन निगम	-
18	आबकारी	1	44	वाणिज्यिक कर	-
19	उद्योग	-	45	खान एव भूविज्ञान	-
20	मुद्रण एवं लेखन	-	46	संस्कृत शिक्षा	-
21	पशुपालन	-	47	राज्य बीमा एवं प्रावधायीनिधि	4
22	भेड़ एवं ऊन	-	48	तकनीकी शिक्षा	-
				योगः	61

परिशिष्ट–9

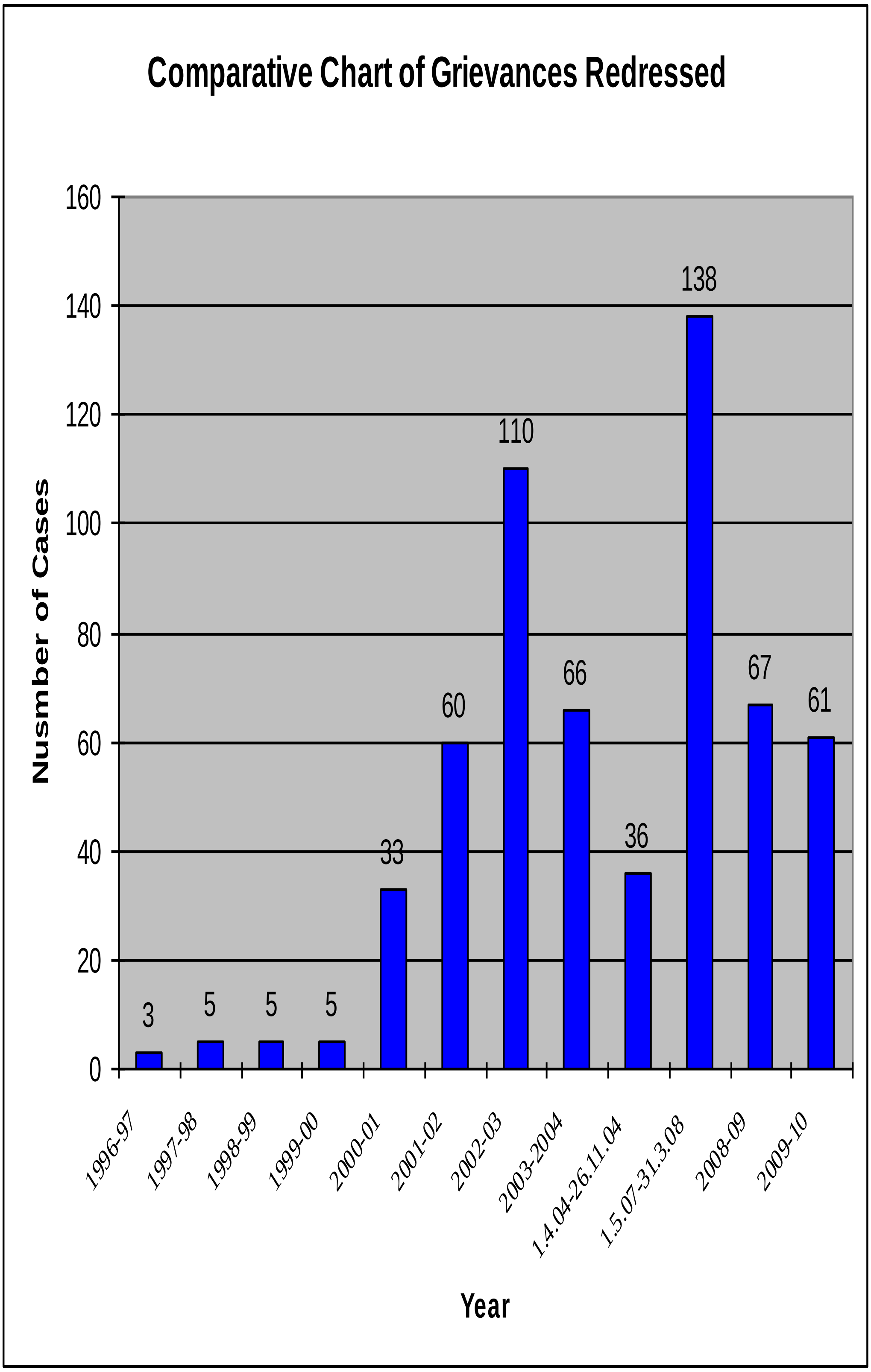
Comparative Chart of Grievances Redressed
Nusmber of Cases
0
20
40
60
80
100
120
140
160
3
5
5
5
33
60
110
66
36
138
67
61
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-2004
1.4.04-26.11.04
1.5.07-31.3.08
2008-09
2009-10
Year

अध्याय-3

अनुशंसा के प्रतिवेदनों का विवरण
(1.4.2009 से 31.3.2010)

एफ 8(10)लोआस/2007

श्री हरि प्रसाद शर्मा निवासी सैंथली, तहसील वैर, जिला भरतपुर ने यह परिवाद लोकसेवक डा. भरत मीणा, मेडिकल ज्यूरिस्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बयाना एवं श्री छिद्दाराम शर्मा, मेल नर्स- प्रथम (जो कि परिवादी की पुत्रवधु का फूफा है) के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि परिवादी व उसके परिवार के विरूद्ध दर्ज मुकदमें में उन्हें अनुचित हानि पहुंचाने व विपक्षी को नाजायज लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इन्होंने परिवादी की पुत्रवधु श्रीमती डिम्पल के नाम से एक ही दिनांक 18.7.2003 को दो भिन्न-भिन्न प्रकार के चोट प्रतिवेदन बना कर अपने पद का दुरूपयोग किया है जिसके लिए उनके विरूद्ध जांच की जावे।

इस संबंध में इस सचिवालय के पत्र दिनांक 15.8.2007 के द्वारा निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जो उनके पत्र दिनांक 8.9.2007 के द्वारा प्राप्त हुआ। तथ्यात्मक प्रतिवेदन में लोकसेवक श्री छिद्दाराम को दोषी मानते हुए 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित किये जाने की सूचना दी गई। तदुपरान्त परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्तियों एवं पत्रावली पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकरण में दिनांक 13.10.2008 को प्रारंभिक जांच प्रारंभ किये जाने का आदेश दिया गया।

प्रारंभिक जांच में परिवादी श्री हरिप्रसाद शर्मा का कथन लेखबद्ध किया गया व सुसंगत दस्तावेजात पत्रावली पर लिये गये। प्रारंभिक जांच में आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से लोकसेवक डा. भरत मीणा के विरूद्ध परिवादी व उसके परिवार के विरूद्ध दर्ज मुकदमें में विपक्षी पार्टी को लाभ पहुंचाने की गरज से परिवादी की पुत्रवधु श्रीमती डिम्पल के एक दिन में दो भिन्न-भिन्न चोट प्रतिवेदन तैयार किया जाना प्रथम दृष्टया सही पाया गया जिस पर उसके विरूद्ध दिनांक 8.12.2008 को राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण प्रारंभ किये जाने का आदेश दिया गया।

अन्वेषण के दौरान् लोकसेवक डा. भरतमीणा को अपना जवाब/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने व अपने बचाव में जो साक्ष्य वह प्रस्तुत करना चाहे, वह प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया तथा परिवादी से जिरह करने का भी अवसर दिया गया।

अन्वेषणोपरान्त आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से लोकसेवक डा. भरतमीणा के विरूद्ध लगाया गया उपर्युक्त आरोप साबित पाये जाने पर उसके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत उसके सक्षम प्राधिकारी माननीय

चिकित्सा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को पत्र दिनांक 14.9.2009 के द्वारा अन्वेषण प्रतिवेदन मय सुसंगत दस्तावेजात के प्रेषित कर उसके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई।

इस प्रकरण में की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ 8(39)लोआस/2004

परिवादी श्री अमित कुमार जैन निवासी राजियासर स्टेशन, तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर ने यह परिवाद लोकसेवक डा. विजय भादू, चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सामुदायिक केन्द्र, सूरतगढ़ के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि लोकसेवक ने भ्रष्ट हेतुक से प्रेरित होकर आहत रणवीर के लाठी से आई चोट को तेज धारदार हथियार से आना बता कर चोट प्रतिवेदन बना दिया जिससे परिवादी के पिता को अनावश्यक जेल में रहना पड़ा जिसकी जांच की जावे एवं दोषी को दण्डित किया जावे।

इस संबंध में निदेशक (राजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जो उनके पत्र दिनांक 19.6.2006 के द्वारा प्रेषित किया गया। तथ्यात्मक प्रतिवेदन का परीक्षण करने यह पाये जाने पर कि एफ.आई.आर. में चोट लाठी से आने का कथन किया गया है जो कि एक भौथरा हथियार है तो भी डाक्टर ने चोट धारदार हथियार से आने की राय अंकित की है परन्तु उसके अनुरूप डाक्टर द्वारा किस प्रकार से इलाज किया गया, यह स्पष्ट नहीं है, इसलिये इस प्रकरण में दिनांक 17.7.2007 को प्रारंभिक जांच किये जाने का आदेश दिया गया। प्रारंभिक जांच में आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोप प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर दिनांक 18.12.2008 को लोकसेवक डा. विजय भादू के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण प्रारंभ किया गया।

अन्वेषण के दौरान् लोकसेवक को अपना जवाब/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने व अपने बचाव में जो साक्ष्य वह प्रस्तुत करना चाहे, वह प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।

अन्वेषणोपरान्त आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से लोकसेवक डा. विजय भादू के विरूद्ध लगाया गया उपर्युक्त आरोप सही पाये जाने पर उसके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत उसके सक्षम प्राधिकारी माननीय चिकित्सा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को इस सचिवालय के पत्र दिनांक 12.10.2009 के द्वारा अन्वेषण प्रतिवेदन मय सुसंगत दस्तावेजात के प्रेषित कर उसके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई।

इस प्रकरण में की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ 3(76)लोआस/2004

परिवादी श्री धर्मचन्द धानका निवासी ग्राम कोटकासिम, जिला अलवर ने यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनांक 23.5.2004 को चन्दगीराम, योगेश ने उसके साथ बिना वजह झगड़ा किया जिनको पुलिस ने नहीं पकड़ा, थाना प्रभारी श्री लाल सिंह, एस.आई. व श्री राजेन्द्र सिंह, ए.एस.आई., पुलिस थाना, कोटकासिम ने परिवादी को बुला कर उससे 2000/- रूपये की मांग की जो नहीं देने पर व विपक्षी चन्दगीराम से पैसे लेकर स्वयं परिवादी को ही धारा 151 में बंद कर दिया, कच्छा बनियान में नग्न अवस्था कर 4-5 सिपाहियों ने जमीन पर पटक कर उसके कपड़े नोच डाले, थाना प्रभारी श्री लालसिंह व राजेन्द्र सिंह, ए.एस.आई के समक्ष थाने के अन्दर मानसिंह व युद्धवीर सिंह, सुभाष व रामकिशन पुलिसकर्मियों ने परिवादी को गालियां दी, जाति सूचक शब्द कहें व उसे घसीट कर उसके पेट पर चढ़ गये, जिससे उसके कन्धो, पेट व गुप्तांगों पर चोट आई। डाक्टर ने बिना पुलिस की रिक्वीजीशन के मेडीकल करने से मना कर दिया। अतः दिनांक 25.5.2004 को अलवर जाकर डाक्टर से उपचार लिया।

इस परिवाद के संबंध में पुलिस अधीक्षक, अलवर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जो उनके पत्र दिनांक 29.10.2004 के द्वारा प्रेषित किया गया जिसमें आरोपों को निराधार बताया गया। परन्तु उचित निर्णय पर पहुंचने हेतु दिनांक 28.6.2007 को इस प्रकरण में इस सचिवालय स्तर पर प्रारंभिक जांच किये जाने का आदेश दिया गया।

प्रारंभिक जांच के दौरान् आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से लोकसेवकगण सर्वश्री लाल सिंह, उप निरीक्षक, थाना प्रभारी, राजेन्द्र सिंह, सहायक उप निरीक्षक, मान सिंह, युद्धवीर सिंह, सुभाष व राम किशन, पुलिसकर्मी, पुलिस थाना, कोटकासिम, अलवर के विरूद्ध परिवादी के साथ दुर्व्यवहार व मारपीट किये जाने का आरोप प्रथम दृष्टया सही पाया गया जिस पर दिनांक 22.10.2009 को उपर्युक्त सभी लोकसेवकगण के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण प्रारंभ किये जाने के आदेश दिये गये।

अन्वेषण के दौरान् लोकसेवकगण को अपना जवाब/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने व अपने बचाव में जो साक्ष्य वह प्रस्तुत करना चाहे, वह प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।

अन्वेषणोपरान्त आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से लोकसेवकगण सर्वश्री लाल सिंह, एस.आई., थाना प्रभारी व राजेन्द्र सिंह, ए.एस.आई., पुलिस थाना, कोटकासिम, जिला अलवर के विरूद्ध परिवादी से रूपये 2000/- की रिश्वत की राशि की मांग किये जाने का आरोप सही पाये जाने पर राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत उसके सक्षम प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को इस सचिवालय के पत्र दिनांक 4.12.2009 के द्वारा अन्वेषण प्रतिवेदन मय सुसंगत दस्तावेजात के प्रेषित कर उसके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई। जहां तक परिवादी से

मारपीट किये जाने का प्रश्न है, इसके संबंध में परिवादी सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

प्रतिवेदनाधीन अवधि में इस प्रकरण में की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ 11(191)लोआस/2004

परिवादी श्री नन्द किशोर स्वामी निवासी टमकौर, जिला झुन्झूनू ने यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसने अपनी कृषि भूमि खसरा नं. 95/3 में से 2000 वर्गमीटर भूमि को कृषि भूमि से अकृषि भूमि में सम्परिवर्तित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र तहसील में प्रस्तुत किया था, परन्तु तहसीलदार को 1000 वर्गमीटर तक सम्परिवर्तन का अधिकार होने के कारण उसका प्रार्थना पत्र एस.डी.ओ., झुन्झुनू को भिजवा दिया गया जहां जाकर मिलने पर एस.डी.ओ. के पी.ए. ने कहा कि 5000/- रूपये लगेंगे। जब एस.डी.ओ. से मिला तो उन्होंने भी टालमटोल की व पत्रावली तहसीलदार को यह लिख कर वापिस लौटादी कि इसके साथ सरपंच का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है जबकि सम्परिवर्तन नियमों के अन्तर्गत ऐसे अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता ही नहीं थी। परिवादी ने इसकी शिकायत जिला कलक्टर, झुन्झुनू से की तो उन्होंने प्रार्थना पत्र को दिनांक 15.1.2004 को समुचित कार्यवाही हेतु तहसीलदार को भिजवा दिया जिन्होंने प्रार्थना पत्र की पत्रावली को पुनः एस.डी.ओ. को भिजवादी। एस.डी.ओ. ने परिवादी से दिनांक 22.7.2004 को चालान के जरिये 2000/- रूपये जमा करवा लिये। इसके उपरान्त भी कोई निर्णय नहीं लिये जाने पर जब परिवादी पुनः एस.डी.ओ. से मिला तो उन्होंने बाबू से मिलने को कहा जिसने परिवादी से फिर से 5000/- रूपये मांगे। जब परिवादी ने इसकी शिकायत जिला कलक्टर से की तो एस.डी.ओ. नाराज हो गये और उन्होंने परिवादी के प्रार्थना पत्र दिनांक 1.8.2003 को अपने निर्णय दिनांक 30.10.2004 द्वारा निरस्त कर दिया। परिवादी का कथन है कि सम्परिवर्तन नियमों के अनुसार सरपंच के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं थी, नियमानुसार परिवादी की भूमि आबादी से 1 किलोमीटर के बजाय 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित थी व सम्परिवर्तन नियमों के नियम 8(2) के अनुसार 30 दिवस में विहित प्राधिकारी को सम्परिवर्तन का आदेश मंजूर या नामंजूर करना जरूरी था। नियम 8(3) के अनुसार चालान जमा होने के बाद 15 दिवस में सम्परिवर्तन का आदेश जारी करना आवश्यक था और यदि विहित प्राधिकारी 30 दिवस में ऐसा सम्परिवर्तन का आदेश जारी नहीं करता है तो यह समझा जावेगा कि आवेदित भूमि औद्योगिक प्रयोजन के लिये परिवर्तित हो गई है। इस प्रकार परिवादी का कथन है कि एस.डी.ओ., झुन्झूनू व उसके पी.ए. ने भ्रष्ट हेतुक से प्रेरित होकर व मिलीभगत करके नियमों के विपरीत उसका प्रार्थना पत्र निरस्त कर उसकी पत्रावली को वापिस लौटा दिया जिसकी जांच कर उन्हें दण्डित किया जावे।

इस परिवाद के संबंध में इस सचिवालय के पत्र दिनांक 29.5.2007 के द्वारा जिला कलक्टर, झुन्झूनू से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जो उनके पत्र दिनांक 24.1.2008 व दिनांक 21.4.2008 के द्वारा प्रेषित किया गया जिनमें आरोपों को साबित नहीं माना गया।

जिला कलक्टर, झुन्झूनू से पुनः बिन्दुवार टिप्पणी चाही गई जो उनके पत्र क्रमांकः पी.ए./पी.जी.-3643 दिनांक 31.5.2008 के द्वारा प्रेषित की गई जिसमें यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया कि संपरिवर्तन के प्रचलित नियमों में सरपंच के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं थी, परन्तु ऐसा प्रमाण पत्र मांगे जाने हेतु जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 17.5.1994 को परिपत्र जारी किया हुआ था। यह भी स्वीकार किया गया कि परिवादी के प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेने में एस.डी.ओ. द्वारा 1 वर्ष 2 माह का समय लिया गया जबकि प्रार्थना पत्र पर 30 दिवस के पश्चात् निर्णय लेने का एस.डी.ओ. को अधिकार नहीं था। 30 दिवस की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् ऐसे प्रार्थना पत्र को अगले 10 दिवस के भीतर कारणों सहित अगले उच्च अधिकारी को आदेश पारित किये जाने हेतु भिजवाया जाना आवश्यक था।

उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट को प्रारंभिक जांच मानते हुए दिनांक 21.6.2008 को लोकसेवक श्री गोपाल राम बिरदा, एस.डी.ओ., झुन्झूनू के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किये जाने का आदेश दिया गया।

अन्वेषण के दौरान् लोकसेवक श्री गोपाल राम बिरदा, एस.डी.ओ., झुन्झुनू को अपना जवाब/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने व अपने बचाव में जो साक्ष्य वह प्रस्तुत करना चाहे, वह प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।

अन्वेषणोपरान्त आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप सही पाये जाने पर लोकसेवक श्री गोपाल राम बिरदा आर.ए.एस., तत्कालीन उप खण्ड अधिकारी, झुन्झूनू के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत उसके सक्षम प्राधिकारी माननीय मुख्यमंत्री (प्रभारी कार्मिक विभाग) को उनके प्रमुख सचिव के जरिये पत्र दिनांक 4.2.2010 के द्वारा अन्वेषण प्रतिवेदन मय सुसंगत दस्तावेजात के प्रेषित कर उसके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई।

प्रतिवेदनाधीन अवधि में इस प्रकरण में की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ 46(4)लोआस/2000

परिवादी श्री हरिप्रसाद शर्मा निवासी गोरधनपुरा चौकी, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर ने यह परिवाद इस आशय का पेश किया कि दिनांक 22.5.96 को उसने सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर में चालक के पद के लिए साक्षात्कार दिया था और वह साक्षात्कार में उत्तीर्ण भी हो गया था, परन्तु फिर भी उसे नौकरी न दी जाकर उसके स्थान पर बिहार राज्य के रहने वाले मुरली सिंह पुत्र श्री बद्रीसिंह को फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी देदी गई जिसकी जांच की जावे व दोषियों को दण्डित किया जावे।

इस परिवाद के संबंध में निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया जो उनके पत्र दिनांक 12.1.2001 के द्वारा प्राप्त हुआ जिसके प्राथमिक जांच के आधार पर श्री मुरली सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई टी.सी. को प्रथम दृष्टया फर्जी पाया जाना सूचित किया गया व उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित किया जाना भी अंकित किया गया। इसके पश्चात् श्री जी.पी.शुक्ला, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा पारित आदेश क्रमांकः निसंशि/संस्था/4/पी.एफ./267-70 दिनांक 16.7.2004 की प्रति इस सचिवालय को प्रेषित की गई जिसके द्वारा श्री मुरली सिंह के फर्जी दस्तावेजात के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने के प्रकरण को ठोस साक्ष्य के अभाव में समाप्त कर दिया गया। परन्तु जैसाकि प्राथमिक जांच में उसकी टी.सी. का फर्जी होना पाया गया था, इसलिये उचित निर्णय पर पहुंचने के लिए दिनांक 17.11.2004 को इस प्रकरण में इस सचिवालय स्तर पर प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया गया।

प्रारंभिक जांच के दौरान् पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर श्री मुरली सिंह के विरूद्ध फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर वाहन चालक के पद पर नियुक्ति प्राप्त किये जाने व श्री जी.पी.शुक्ला, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के विरूद्ध बिना सत्यापन कराये ही फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के मुरली सिंह के प्रकरण को समाप्त करने का आरोप प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर उनके विरूद्ध दिनांक 1.6.2007 को राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण प्रारंभ करने का आदेश दिया गया।

अन्वेषण के दौरान् दोनों लोकसेवकगण को अपना जवाब/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने व अपने बचाव में जो साक्ष्य वह प्रस्तुत करना चाहे, वह प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।

अन्वेषणोपरान्त आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से लोकसेवकगण सर्वश्री जी.पी.शुक्ला, तत्कालीन निदेशक तथा मुरली सिंह, वाहन चालक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर के विरूद्ध आरोप सही पाये जाने पर राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 26.3.2010 को आदेश दिया गया कि प्रतिवेदन की एक-एक प्रति मय सुसंगत दस्तावेजात के उनके सक्षम प्राधिकारीगण क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री (प्रभारी कार्मिक विभाग) व शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु भिजवाई जावे जो इस सचिवालय के पत्र दिनांक 5.4.2010 के द्वारा भिजवाई गई।

प्रतिवेदनाधीन अवधि में इस प्रकरण में की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.3(29)लोआस/2009

यह परिवाद श्री बाबू लाल मेघवाल निवासी वार्ड सं. 1, चिड़ावा, जिला झुन्झूनू द्वारा इस आशय का पेश किया गया कि उसकी भूमि खसरा नं. 356 रकबा 0.09 हैक्टेयर पर श्री शेर सिंह व श्री सुरेश, जो कि पुलिस थाना, चिड़ावा में सिपाही हैं, एवं श्री सम्पत, श्री रामावतार आदि द्वारा जबरन अतिक्रमण करने पर वह अपनी पत्नी श्रीमती संतोष व श्री रामगोपाल मिश्रा के साथ दिनांक 25.1.2009 को प्रातः 10.00 बजे पुलिस थाना, चिड़ावा में रिपोर्ट दर्ज करवाने गया था, परन्तु श्री रामदेव सिंह, एस.एच.ओ. ने पुलिस थाना चिड़ावा के ही उक्त श्री शेरसिंह व श्री सुरेश, सिपाहियान को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिय लगभग दो घण्टे बिठाये रखने के उपरान्त भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। परिवादी ने उसी दिन पुलिस अधीक्षक, झुन्झूनू को प्रार्थना पत्र दिया जिन्होंने परिवादी को पुनः पुलिस थाना, चिड़ावा भिजवा दिया, परन्तु वहां रात 8 बजे तक भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसके पश्चात् परिवादी ने धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत किया लेकिन श्री रामदेवसिंह ने अपने प्रभाव से मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया। इस पर परिवादी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थाना चिड़ावा को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया, तब जाकर परिवादी का मुकदमा दर्ज किया गया। इस प्रकार लोकसेवक श्री रामदेवसिंह ने भू-माफियाओं से मिल कर परिवादी की भूमि पर अतिक्रमण कराया जिसकी जांच की जावे व उसे बर्खास्त किया जावे।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, झुन्झून से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 19.5.2009 के द्वारा अपनी टिप्पणी सहित रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया जो उनके पत्र दिनांक 17.6.2009 के द्वारा प्रेषित की गई। प्राप्त टिप्पणी का परिवादी के आरोपों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करने पर इस प्रकरण में प्रारंभिक जांच किया जाना उचित प्रतीत होने पर दिनांक 3.8.2009 को प्रारंभिक जांच किये जाने का आदेश दिया गया।

प्रारंभिक जांच में परिवादी श्री बाबूलाल, उसकी पत्नी श्रीमती संतोष, श्री रामगोपाल के कथन लेखबद्ध किये गये। प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य से परिवादी द्वारा लगाया गया आरोप प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर लोकसेवक श्री रामदेव सिंह, एस.एच.ओ., पुलिस थाना, चिड़ावा के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण प्रारंभ किये जाने का आदेश दिनांक 24.9.2009 को दिया गया।

अन्वेषण के दौरान् लोकसेवक श्री रामदेव सिंह को अपना जवाब/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने व अपने बचाव में जो साक्ष्य वह प्रस्तुत करना चाहे, वह प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।

अन्वेषणोपरान्त आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से लोकसेवक श्री रामदेव सिंह, एस.एच.ओ., पुलिस थाना, चिड़ावा के विरूद्ध लगाया गया आरोप प्रमाणित पाये जाने पर राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 22.3.2010 को आदेश दिया गया कि प्रतिवेदन की एक प्रति मय सुसंगत दस्तावेजात के उसके सक्षम प्राधिकारी को उसके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु भिजवाई जावे जिस पर प्रतिवेदन की

एक प्रति प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को इस सचिवालय के पत्र दिनांक 5.4.2010 के द्वारा भिजवाई गई।

प्रतिवेदनाधीन अवधि में इस प्रकरण में की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

अध्याय-4

विभागीय कार्यवाहियों के प्रकरण

पुलिस विभाग

एफ. 3(115)लोआस/2008

श्री विजय जैन निवासी जी-93, मेजर शैतान सिंह कोलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर ने यह परिवाद इस आशय का पेश किया कि वह दिनांक 23.9.2008 को अपरान्ह 4.00 बजे अपने मित्र श्री भवानी सिंह तंवर के साथ सेन्ट्रल एकेडेमी स्कूल, अम्बाबाड़ी, जयपुर के स्कूल वाहन के वाहन चालक द्वारा बच्चों के साथ की जा रही मारपीट एवं बदतमीजी की शिकायत दर्ज कराने विद्याधर नगर थाने पर गया था। उसी दौरान् वाहन मालिक भी थाने पर आ गया और परिवादी व उसके पुत्र के साथ मारपीट करने लगा। वाहन चालक की पत्नी श्रीमती रोशनी, जो कि इसी थाने में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है, ने वहां के स्टाफ से मिल कर थानाधिकारी की मौजूदगी में परिवादी व उसके मित्र श्री भवानी सिंह को जूत चप्पलों से, हाथ से एवं पांव से लगभग आधे घण्टे तक मारा-पीटा जिससे उसे व उसके मित्र को शरीर पर कई जगह गंभीर चोटे आई। यहां तक कि उनके मोबाइल, पर्स आदि भी छीन लिये गये। इसके बाद उन्हें शांति भंग के आरोप में धारा 151 में बंद कर दिया। परिवादी ने दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की प्रार्थना की।

परिवाद में इस सचिवालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने पर पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर (उत्तर), जयपुर ने उनके पत्र दिनांक 24.10.2008 के द्वारा अवगत कराया कि दिनांक 23.9.2008 को थाने पर उपस्थित ड्यूटी ऑफिसर श्री ओमप्रकाश, सहायक उप निरीक्षक, कांस्टेबल शंकर सिंह नं. 4369, शकील नं. 2650 को विद्याधर नगर थाने से हटा कर अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है। पत्र दिनांक 21.5.2009 के साथ संलग्न कर भिजवाये गये भिन्न-भिन्न आदेश दिनांक 31.12.2008 के अनुसार श्री ओम प्रकाश, सहायक उप निरीक्षक, श्री शंकर सिंह,कांस्टेबल, श्री शकील खां कांस्टेबल एवं श्रीमती रोशनी, महिला कांस्टेबल को **नियम 17 सी.सी.ए.** के अन्तर्गत दोषी पाये जाने पर ''परिनिन्दा'' के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।।

एफ. 3(27)लोआस/2008

श्री सत्यनारायण जलूथरिया निवासी 23, इन्द्र कोलोनी, बिन्दायका, जयपुर ने यह परिवाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि उसके पिता की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 409/752/1 तथा खसरा नं. 409/753/3 ग्राम बिन्दायका में स्थिति है जिसको हड़पने के लिये श्री श्रवण लाल वगैरह ने फर्जी इकरारनामा तैयार कर लिया जिसकी बाबत उसके पिता श्री ईश्वर लाल ने पुलिस थाना, बगरू में एफ.आई.आर. नं. 425/2008 दर्ज कराई जिसमें श्री प्रेमाराम, एस.आई., पुलिस

थाना, बगरू ने मुल्जिमों से सांठगांठ करके व धन लेकर सिविल नेचर में एफ.आर. लगा दी जिसके लिए उसके विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर ग्रामीण, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 21.8.2009 के द्वारा परिवादी द्वारा लगाये गये आरोपों को जांच में सही पाये जाने पर लोकसेवकगण सर्वश्री प्रेमा राम, उप निरीक्षक एवं अशोक चौहान, सी.आई., थानाधिकारी, बगरू के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने बाबत सूचित किया। तत्पश्चात् पत्र दिनांक 12.12.200.9 के द्वारा अवगत कराया कि उक्त दोनों लोकसेवकगण को **नियम 17 सी.सी.ए.** के अन्तर्गत की गई जांच में दोषी पाये जाने पर श्री अशोक कुमार, पुलिस निरीक्षक को आदेश दिनांक 10.12. 2009 के द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से तथा श्री प्रेमाराम, उप निरीक्षक को आदेश दिनांक 10. 12.2009 के द्वारा एक वर्ष की वेतनवृद्धि बिना भविष्य प्रभाव के बंद करने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है।

एफ.3(154)लोआस/2009

यह परिवाद श्री सत्यपाल जगरिया निवासी गिरधर कोलोनी, हिण्डौन रोड, खेड़ली रेल, जिला अलवर ने इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनांक 21.5.2009 को उसके साथ की गई मारपीट के संबंध पुलिस ने उल्टे उन्हें ही जाति सूचक शब्द कहे व धारा 151 में बंद कर दिया तथा 15.6.2009 को एस.एच.ओ., खेड़ली ने उसकी निजी बोलेरो गाड़ी मंगा कर 988 किलोमीटर तक उपयोग में ली, परन्तु उसका भुगतान नहीं किया, बल्कि गाड़ी को और भेजने के लिए उसके मोबाइल पर बार-बार फोन करके उसको तंग करते हैं व झूंठे मुकदमों में फंसाने व पिटवाने की धमकी देते हैं। अतः दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, अलवर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे जाने पर उनके पत्र दिनांक 27.1.2010 के द्वारा जांच के उपरान्त अवगत कराया गया कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो चुका है। थानाधिकारी के नाम से परिवादी को फोन करने वाले मजीद शेख कांस्टेबल नं. 92 के विरूद्ध नियम 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करदी गई है तथा थानाधिकारी, खेड़ली को अपने अधीनस्थ स्टाफ पर नियंत्रण की कमी का दोषी मानते हुए उसको लिखित में कड़ी चेतावनी दी जाकर उसका रिकार्ड में इन्द्राज कर दिया गया है।

शिक्षा विभाग

एफ. 5(91)लोआस/2004

श्री बस्तीराम यादव, पूर्व अध्यापक, निवासी ग्राम-पोस्ट गण्डाला, तहसील बहरोड़, जिला अलवर ने यह परिवाद श्री सुबे सिंह, पूर्व बी.आर.सी.एफ., डी.पी.ई.पी. बहरोड़ हाल प्रधानाध्यापक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच किये जाने बाबत प्रस्तुत किया जिसके संबंध में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 3.10.2007 के द्वारा अवगत कराया कि उक्त लोकसेवक के विरूद्ध नियम 16 सी.सी.ए. के तहत् विभागीय कार्यवाही करने के दस्तावेजात आयुक्त,

माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर को प्रेषित कर दिये गये हैं। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्र दिनांक 8.4.2009 के अनुसार श्री सुबे सिंह को फर्जी फर्म बनाकर नगद भुगतान उठाकर गबन करने, वित्तीय शक्तियों के अभाव में गलत रूप से टेण्डर आमंत्रित कर भुगतान करने, भवन निर्माण में तकनीकी दृष्टि से अनुपयुक्त लिन्टन का उपयोग करने व उच्चाधिकारियों से उक्त तथ्य छिपाने के आरोप के संबंध में दिनांक 2.4.2009 को नियम 16 सी.सी.ए. के तहत् आरोप पत्र जारी कर दिये गये हैं। प्रतिवेदनाधीन अवधि में विभागीय जांच का परिणाम अपेक्षित था।

एफ. 5(72)लोआस/2007

यह परिवाद श्रीमती मंजूमाला जैन, सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक, डी-36, हसनखां मेवात नगर, अलवर ने इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसनें पारिवारिक परिस्थितियों के चलते दिनांक 1.7.2007 को राज्य सेवा से त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र स्वीकृत हो जाने के पश्चात् अपने 30 दिवस के वेतन का भुगतान करने हेतु उप निदेशक, जयपुर संभाग, जयपुर को कई पत्र भेजे। संबंधित कार्यालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर को लिखा गया व जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय को वेतन भुगतान हेतु निर्देश दिये गये परन्तु विद्यालय में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक श्री बृजमोहन शर्मा ने सभी पत्रों पर कार्यवाही नहीं की बल्कि गलत सूचनाएं देकर विभाग को गुमराह किया एवं परिवादिया के वेतन में विलम्ब किया।

इस परिवाद पर कार्यवाही करने पर अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 12.1.2009 द्वारा अवगत कराया कि परिवादिया को बकाया वेतन का भुगतान किया जा चुका है व श्री बृजमोहन शर्मा, वरिष्ठ लिपिक को अनुशासनहीनता एवं अमर्यादित कार्य व व्यवहार करने के संबंध में उसे आदेश दिनांक 21.6.2008 द्वारा निलम्बित कर दिया गया है व ज्ञापन दिनांक 3.11.2008 के द्वारा उसे नियम 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत आरोप पत्र दिया जा चुका है। अगले पत्र दिनांक 19.8.2009 के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त श्री बृजमोहन शर्मा के विरूद्ध **नियम 17 सी.सी.ए.** की कार्यवाही को उसे अकेले को दोषी नहीं मानते हुए आदेश दिनांक 3.8.2009 के द्वारा चेतावनी देकर समाप्त कर दिया गया है।

एफ. 5(92)लोआस/2007

यह परिवाद श्री राजेश शर्मा, जिलाध्यक्ष, राजस्थान पंचायतीराज कर्मचारी संघ जिला धौलपुर ने यह परिवाद श्री राजकुमार शर्मा, बी.ई.ई.ओ., धौलपुर के विरूद्ध भारी अनियमितताएं किये जाने की जांच कराये की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया।

परिवाद में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर जिला कलेक्टर, धौलपुर ने अपने पत्र दिनांक 25.8.2008 के द्वारा अवगत कराया कि श्री राजकुमार शर्मा के विरूद्ध जांच में पी.डी. खाते में राशि होते हुए भी पांचवे वेतन आयोग का एरियर का भुगतान न करने, यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा व्यय बिलों का भुगतान न करना, पांचवें वेतन आयोग में वेतन नियतन के एरियर का भुगतान न करना, सेवानिवृत्ति पर उपार्जित अवकाश का भुगतान करने में विलम्ब

करने आदि के आरोप प्रथम दृष्टाया सही पाये जाने पर उसके विरूद्ध **नियम 16 सी.सी.ए.** के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करदी गई है। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र दिनांक 24.9.2009 के अनुसार विभागीय जांच में जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। प्रतिवेदनाधीन अवधि में विभागीय जांच का परिणाम अपेक्षित था।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

एफ.7(5)लोआस/2008 एवं 7(20)लोआस/2008

यह परिवाद श्री रतन लाल बाकोलिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी समिति, अजमेर द्वारा निवाई जिला टोंक व किशनगढ़, जिला अजमेर में प्रवर्तन निपरीक्षक के पद पर पदस्थापित रहे श्री कन्हैया लाल, रसद निरीक्षक के विरूद्ध रोस्टर से अधिक करोसीन तेल डीलरों को उपलब्ध कराये जाने, खद्यान्न का दुरूपयोग करने, कालाबाजारी में लिप्त रहने, राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त रहने व अपने कर्त्तव्य का समुचित निर्वहन न करने के संबंध में प्रस्तुत किया गया।

इस परिवाद में इस सचिवालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने पर अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पदेन निदेशक, उपभोक्ता मामले, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 31.12.2008 के द्वारा अवगत कराया गया कि जांच में उक्त आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर श्री कन्हैया लाल रैगर, प्रवर्तन निरीक्षक को नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत चार्जशीट जारी कर दी गई है व पत्र दिनांक 8.12.2009 के द्वारा यह अवगत कराया गया कि उक्त दोषी लोकसेवक के विरूद्ध सहायक आयुक्त, खाद्य को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। प्रतिवेदनाधीन अवधि में विभागीय जांच का परिणाम अपेक्षित था।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

एफ.8(60)लोआस/2004

यह परिवाद श्री अशोक कुमार गौतम, अध्यक्ष, शिव सेना,गण्डाल, जिला सवाईमाधोपुर ने इस आशय का प्रस्तुत किया कि राजकीय आयुर्वेदे चिकित्सालय, गण्डाल में कार्यरत आयुर्वेद चिकित्सक वैद्य श्री ओम प्रकाश पूर्विया दुर्घटना में अपंग हो जाने के आद अनफिट होते हुए भी राजकीय सेवा कर चूना लगा रहे हैं जिसके कारण जनता को उसकी सेवाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, उनके द्वारा मरीजों के साथ अभद्रता की जाती है, चिकित्सा में लापरवाही की जाती है जिसकी जांच की जाकर दोषियों को दण्डित किया जावे।

इस परिवाद के संबंध में इस सचिवालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने पर निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर ने जांच कराकर अपने पत्र दिनांक 2.11.2007 द्वारा श्री ओम प्रकाश पूर्विया, आयुर्वेद चिकित्सक एवं कम्पाण्डर को लापरवाही, अभद्र व्यवहार एवं ज्यादती का दोषी स्वीकार

करते हुए अवगत कराया कि उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने पर विचार किया जा रहा है। पत्र 24.11.2009 के द्वारा अवगत कराया कि लोकसेवक श्री ओम प्रकाश पूर्विया को औषधालय के कर्मचारियों, ग्रामवासियों तथा मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार एवं गाली-गलौच करने तथा मरीजों को दवा नहीं देकर चिकित्सा कार्य सही रूप से नहीं करने के लिए नियम 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिये गये है।

एफ.8(6)लोआस/2007 एवं 8(10)लोआस/2008

यह परिवाद श्री रविकान्त तिवाड़ी, नितिन मेडीकल हाल, धौलगढ़, तहसील कठूमर, जिला अलवर ने यह परिवाद रमेश चन्द बैरवा, मेल नर्स-II, उप स्वास्थ्य केन्द्र, नांगलरूपा, जिला अलवर के विरूद्ध चिकित्सालय परिसर में नकली दवाई रखने आदि व अन्य लोकसेवकों के विरूद्ध कर्त्तव्यपालन नहीं करने के संबंध में प्रस्तुत किया।

इस परिवाद में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 24.4.2008 व दिनांक 30.8.2008 के द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण की जांच संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन, जयपुर से कराये जाने पर रिपोर्ट के आधार पर श्री रमेश चन्द बैरवा, मेल नर्स-II को राजकीय चिकित्सालय में अवैध रूप से एलोपैथिक दवाइयों का भण्डार रखने तथा उसके विरूद्ध नकली दवाई रखने का पुलिस में मुकदमा दर्ज होने पर 24 घण्टे से अधिक पुलिस हिरासत में रहने के बावजूद भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर एवं उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ के द्वारा इन्हें पूर्व पदस्थापन के नजदीक ही पदस्थापित रखने व कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं करने के लिए डा. बलवन्त सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर एवं श्री मेघराज मीणा, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ को दोषी पाया गया। श्री श्रीपाल शर्मा, अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन को श्री बैरवा के स्थानान्तरण प्रकरण में दोषी पाया गया। लोकसेवकगण डा.बलवन्त सिंह, डा.मेघराज मीणा एवं रमेश चन्द बैरवा के विरूद्ध नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव कार्मिक विभाग को पत्र दिनांक 11.8.2008 के द्वारा भिजवा दिये गये हैं।

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 20.11.2009 के द्वारा सूचित किया कि आवश्यक जांच के पश्चात् लोकसेवक श्री श्रीपाल शर्मा, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन को दोषी नहीं माने जाने उसके विरूद्ध प्रकरण को समाप्त कर दिया गया है।

कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र दिनांक 9.3.2010 के अनुसार लोकसेवक डा.बलवन्त सिंह, डा.मेघराज मीणा एवं श्री रमेशचन्द बैरवा को दिनांक 18.9.2008 को नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किये जा चुके हैं।

एफ.8(15)लोआस/2008

यह परिवाद श्री मनीष कुमार त्रिपाठी, निवासी जहाजपुर ने डा. एम.एल.कांवट के विरूद्ध परिवादी की डी.एन.सी. करने के रूपये 500/- लेने व बाद में मना करने पर भी डी.एन.सी. करने के संबंध में प्रस्तुत किया व दोषी डाक्टर के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस परिवाद के संबंध में इस सचिवालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने पर अतिरिक्त निदेशक, राजपत्रित, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 31.7.2008 के द्वारा अवगत कराया कि डा.एम.एल.कांवट, कनिष्ठ विशेषज्ञ गायनी के विरूद्ध रिश्वत प्रकरण के संबंध में निदेशालय के पत्र दिनांक 27.3.2008 के द्वारा आरोप पत्रादि चिकित्सा विभाग को भिजवा दिये गये हैं। कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 11.9.2009 के अनुसार उक्त लोकसेवक को कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 24.7.2008 को नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच में जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है।

राजस्व विभाग

एफ.11(22)लोआस/1999

परिवादी श्री सियाराम पुत्र श्री खाना, निवासी बटावती, तहसील नैनवां, जिला बूंदी ने यह परिवाद इस आशय का पेश किया कि वे गरीब किसान हैं। उनके गांव की की भूमि पटवार मण्डल, केथूदा पर दिनांक 9.7.1999 को आवंटित की गई थी। परिवादी स्वयं, बद्री, मियाराम, रामसहाय, लड्डू, अर्जुन, हरला निवासी बटावती ने फार्म प्रस्तुत किये थे, जिन पर पटवारी की रिपोर्ट हो रखी थी परन्तु कमेटी द्वारा उनके फार्म गायब कर दिये गये और जमीन औरों को आवंटित करदी, खसरा नं. 576/10 की भूमि ग्राम देई के सेठ की पत्नी को व 10 बीघा नैनवां के रहने वाले के नाम आवंटित करदी व एक ही परिवार में 60 बीघा तक आवंटित करदी। अतः उनके फार्म गायब करने के दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही की जावे व प्रकरण की जांच की जावे।

इस संबंध में जिला कलक्टर, बूंदी से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 8.3.2000 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया। जिला कलक्टर, बूंदी ने अपने पत्र दिनांक 27.5.2000 के द्वारा सूचित किया कि परिवादीगण द्वारा कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना रिकार्ड से जाहिर नहीं हुआ। श्रीमती सुशीला व श्री इन्साफ अली ग्राम बटावती के नहीं रहने वाले होने के कारण इनका आवंटन निरस्त करने हेतु भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत् प्रकरण तैयार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश तहसीलदार, नैनवां को दे दिये गये हैं। पत्र दिनांक 20.10.2003 द्वारा सूचित किया कि प्रकरण में दोषी पाये गये श्री रामावतार मीणा, आर.ए.एस के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव राजस्व विभाग को भिजवाये हुए हैं। काफी लम्बे पत्राचार के पश्चात् अंततोगत्वा शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/जांच) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 18.12.2009 के द्वारा निर्णय दिनांक 7.12.2009 की प्रति प्रेषित कर यह अवगत कराया गया कि उक्त लोकसेवक श्री रामावतार मीणा, तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी व श्री दयानन्द शर्मा, तत्कालीन तहसीलदार

को दो-दो वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है जिस पर इस प्रकरण को दिनांक 28.1.2010 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(181)लोआस/2001

यह परिवाद श्री तुलछाराम मोटसरा निवासी ग्राम अणखोलियां, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू ने दिनांक 31.1.2002 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि परिवादी को चक 28 के.जी.डी. तहसील खाजूवाला का मुरब्बा नं. 227/7 व 206/56 कुल 48.10 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटित थी, परन्तु श्री मिठूसिंह, एस.डी.एम., खाजूवाला ने दिनांक 20.4.2000 के फैसले से अन्य व्यक्ति श्री मनीराम स्वामी को पट्‌टा जारी कर दिया जिसकी जांच की जावे व दोषी को दण्डित किया जावे।

प्रकरण में इस सचिवालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने पर जिला कलेक्टर, बीकानेर के पत्र दिनांक 20.8.2002 के द्वारा यह अवगत कराया गया कि परिवादी की भूमि के संबंधी शिकायत की जांच अपराध सं. 456/2000 दर्ज कर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पत्र दिनांक 29.11.2002 के अवगत कराया गया कि प्रकरण में श्री मिठूसिंह, उप खण्ड अधिकारी, श्री विरेन्द्र सिंह, तहसीलदार, पटवारी व लिपिक को दोषी माना जाकर अपराध संख्या 456/2000 दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। पत्र दिनांक 14.11.2003 के द्वारा अवगत कराया गया कि ब्यूरो द्वारा प्रकरण में अंतिम प्रतिवेदन साक्ष्य के अभाव में दिये जाने का तथा दोषियों के विरूद्ध नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है व ब्यूरो के पत्र दिनांक 4.6.2004 के द्वारा श्री मिठूसिंह, उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला, श्री विरेन्द्र सिंह, तहसीलदार, खाजूवाला, श्री रामेश्वर लाल, राजस्व पटवारी, पटवार हलका, गुल्लूवाली, तहसील खाजूवाला, श्री ओम सिंह, पटवारी, पटवार हलका, खाजूवाला, श्री जोगेन्द्र कुमार, कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के विरूद्ध नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही किये जाने हेतु आरोप पत्र कार्मिक विभाग को प्रेषित किये गये।

जिला कलक्टर, बीकानेर के पत्र दिनांक 5.8.2004 के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के अनुसार श्री रामेश्वर लाल, पटवारी, श्री ओम सिंह पटवारी एवं श्री जोगेन्द्र कुमार, कनिष्ठ लिपिक को उनके कार्यालय के पत्र दिनांक 30.7.2004 के द्वारा नियम 16 सी.सी.ए के अन्तर्गत चार्जशीट जारी करदी गई है तथा कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 22.2.2006 के अनुसार श्री मिठूसिंह, आर.ए.एस. को भी ज्ञापन दिनांक 12.1.2006 के द्वारा नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत चार्जशीट दी जा चुकी है।

राजस्व मण्डल के पत्र दिनांक 20.8.2007 के अनुसार श्री वीरेन्द्र सिंह डूडी, तत्कालीन तहसीलदार के विरूद्ध नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जाकर उसके द्वारा बदनीयतीपूर्वक कार्य किया जाना नहीं पाये जाने पर उसे लिखित चेतावनी दी जाकर प्रकरण को समाप्त कर दिया गया है।

कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 30.3.2010 के अनुसार लोकसेवक श्री मिठूसिंह के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की विस्तृत जांच हेतु आदेश दिनांक 11.3.2008 के द्वारा अतिरिक्त आयुक्त-II, विभागीय जांच को जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है जिनकी जांच रिपोर्ट आने पर आगामी कार्यवाही की जावे। प्रतिवेदनाधीन अवधि तक जांच लंबित थी।

एफ.11(214)लोआस/2001 एवं 11(24)लोआस/2005

परिवाद संख्या 11(214)लोआस/2001 श्री गिरधारी स्वामी वगैरह ने ग्राम डोभी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ के काश्तकारों की कृषि भूमियों के गैर खातेदारी से खातेदारी में करने के लिए सहायक कलकटर, भादरा श्री औंकार लाल जाट, तहसीलदार, भादरा एवं पटवारी हलका डोभी, तहसील भादरा श्री लीलूराम द्वारा रिश्वत मांगे जाने, बिना कब्जे काश्त के ही दीगर लोगों को खातेदारी देने के संबंध में प्रस्तुत किया।

इसी तरह के आरोपों के संबंध में परिवाद संख्या 11(24)लोआस/2005 श्री तिलोक चन्द सैनी निवासी भादरा द्वारा लोकसेवकगण श्री औंकार लाल जाट व शिम्भूदयाल मीणा, आर.ए.एस. के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

परिवाद में इस सचिवालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने पर संभागीय आयुक्त, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 1.7.2003 के द्वारा अवगत कराया कि जांच करवाने पर श्री औंकार लाल जाट के विरूद्ध अनेक प्रकरणों में चरागाह, जोहड़ पायतन आदि की भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये जाने के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाये गये हैं। सब प्रकरणों में तहसीलदार को अपील करने के निर्देश दिये गये हैं जिसकी पालना में तहसीलदार, भादरा ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर के न्यायालय में श्री औंकार लाल जाट द्वारा किये गये अनियमित आवंटन के 188 प्रकरणों में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है व इसी संदर्भ में जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ के पत्र दिनांक 11.4.2002 के द्वारा श्री औंकार लाल जाट के विरूद्ध आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र तैयार कर राजस्व विभाग को प्रेषित कर दिये गये हैं। ये प्रस्ताव दिनांक 17.3.2009 तक राजस्व विभाग में विचाराधीन रहे जैसाकि राजस्व विभाग के पत्र दिनांक 23.3.2009 के द्वारा यह सूचित किया गया कि श्री औंकार लाल जाट के प्रकरण में माननीय राजस्वमंत्री के अनुमोदन पश्चात् विभागीय जांच प्रस्ताव नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत कार्मिक विभाग को दिनांक 17.3.2009 को प्रेषित कर दिये गये है। कार्मिक विभाग ने अपने पत्र दिनांक 9.2.2010 द्वारा सूचित किया कि लोकसेवक श्री औंकार लाल जाट ने उक्त विभागीय जांच के विरूद्ध जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर शहर, जयपुर के न्यायालय से दिनांक 4.8.2009 को यथास्थति बनाये रखने के आदेश प्राप्त कर लिये हैं जिसके कारण विभागीय जांच स्थगित है।

एफ.11(210)लोआस/2003

यह परिवाद श्री देवकिशन चाण्डक निवासी बीकासर, नोखा, जिला बीकानेर ने इस आशय का प्रस्तुत किया कि नोखा कस्बे के पास बीकासर में नोखा-बीकासर रोड पर रीको इण्डिस्ट्रियल एरिया के पास खसरा नं. 383/245/15 व खसरा नं. 246/15/1 की कुल 28 बीघा 3 बिस्वा

भूमि जो राजस्व रिकार्ड में ओरण दर्ज थी, को परिवादी ने दिनांक 29.2.1992 को जरिये इकरारनामे से भूमि के कब्जेधारी श्री नैनगिरी से क्रय किया था। जब इस भूमि की स्थिति के बारे में श्री अशोक यादव, तत्कालीन एस.डी.एम. बीकानेर (दक्षिण) को हुई तो उन्होंने परिवादी से उसके हक में रजिस्ट्री करवाने की एवज में रिश्वत में रूप में पांच बीघा जमीन व एक लाख रूपये नगद की मांग की, जो परिवादी ने देने से इंकार कर दिया, जिससे नाराज होकर श्री अशोक यादव ने अवकाश पर होने के बावजूद भी कार्यालय समय के पश्चात् श्री नैनगिरी से मिलीभगत करके उक्त भूमि में से 6 बीघा भूमि स्वयं श्री यादव ने अपने मामा ससुर श्री रामचन्द्र यादव, 5 बीघा श्रीमती प्रभादेवी एवं 5 बीघा श्री उम्मेद सिंह व शेष भूमि खातेदार श्री नैनगिरी, जिसने कि उक्त सारी भूमि परिवादी को जरिये इकरारनामा विक्रय करदी थी, के नाम रजिस्ट्री करदी जिसकी जांच की जाकर श्री यादव को दण्डित किया जावे।

इस प्रकरण में इस सचिवालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने पर कार्मिक विभाग ने अपने पत्र दिनांक 15.10.2007 द्वारा सूचित किया कि श्री अशोक यादव के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 420, 477ए एवं 120 में दिनांक 29.3.2005 को अभियोजन की स्वीकृति दी जा चुकी है जिसके विरूद्ध लोकसेवक ने माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है। पत्र दिनांक 18.3.2009 के द्वारा यह भी सूचित किया गया कि लोकसेवक के विरूद्ध पहले नियम 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया था, परन्तु आरोपों की गंभीरता को देखते हुए विभागीय जांच को नियम 16 सी.सी.ए. में बदल दिया गया है जो प्रतिवेदनाधीन अवधि में लंबित थी।

एफ.11(186)लोआस/2004

यह परिवाद श्री हरिराम मीणा पुत्र श्री छीतर लाल मीणा तथा श्री बाबू लाल पुत्र श्री सुवालाल निवासी ग्राम बांक्या, तहसील नैनवां, जिला बूँदी ने इस आशय का पेश किया कि उनकी भूमि को बांक्या बांध के वास्त अवाप्त किया गया था परन्तु श्री भागीरथ शर्मा, तहसीलदार व जगदीश सिंह, ऑफिस कानूनगो की मिलीभगत से परिवादी श्री हरिराम मीणा के पिता श्री छीतर लाल की मुआवजा राशि रूपये 48,802/- का भुगतान श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री हीरा लाल को व दूसरे परिवादी श्री बाबू लाल के पिता श्री सुवालाल की मुआवजा राशि रूपये 54,658/- का भुगतान श्री रामनाथ पुत्र श्री गुलाब को कर दिया गया। दोनों परिवादीगण के पिता को कोई मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया। इस संबंध में पुलिस थाना, नैनवां में एफ.आई.आर. सं. 290/2004 भी दर्ज करवाई गई थी। परिवादीगण ने लोकसेवकगण सर्वश्री भागीरथ शर्मा, तत्कालीन तहसीलदार व श्री जगदीश सिंह, तत्कालीन ऑफिस कानूनगो के विरूद्ध कार्यवाही करने व परिवादीगण को मुआवजा राशि का भुगतान कराये जाने की प्रार्थना की।

इस परिवाद के संबंध में इस सचिवालय के पत्र दिनांक 29.5.2007 द्वारा जिला कलेक्टर, बूंदी से तथा पत्र दिनांक 30.5.2007 द्वारा पुलिस अधीक्षक, बूंदी से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया।

जिला पुलिस अधीक्षक, बूंदी ने अपने पत्र दिनांक 29.6.2007 के द्वारा सूचित किया कि प्रकरण की जांच सी.आई.डी./सी.बी., जयपुर द्वारा किये जाने पर मुलजिमान 1. श्री मदन तेली पुत्र श्री गोपी लाल तेली, 2. श्री जितेन्द्र, 3. श्री कजोड़, 4. श्री महावीर जैन, 5. श्री नन्दा, 6. श्री प्रहलाद, 7. श्री जगदीश सिंह, तत्कालीन ऑफिस कानूनगो, 8. श्री गजराज सिंह, तत्कालीन लीव रिजर्व पटवारी, नैनवा, 9. श्री राम सहाय, 10. श्री सत्यनारायण, 11. श्री लक्ष्मण सिंह, ग्राम सेवक के विरूद्ध धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी ता.हि. व 3(2)(5) एस.टी. एक्ट का व मुलजिम 12. श्री रामनाथ, 13. श्री ओम प्रकाश, 14. श्री प्रहलाद, 15 एक अज्ञात के विरूद्ध धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी ता.हि. का जुर्म प्रमाणित पाया गया है। इसी तरह का तथ्यात्मक प्रतिवेदन जिला कलेक्टर, बूंदी ने भी अपने पत्र दिनांक 18. 7.2007, 16.11.2007, दिनांक 23.6.2008 व दिनांक 11.3.2010 के द्वारा प्रेषित किया। तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह भी सूचित किया गया कि सी.आई.डी. सी.बी., जयपुर द्वारा की गई जांच में श्री भागीरथ शर्मा, तत्कलीन तहसीलदार को दोषी नहीं पाया गया। चैक वितरण में दोषी पाये गये लोकसेवकगण सर्वश्री जगदीश सिंह, तत्कालीन ऑफिस कानूनगो व गजराज सिंह, तत्कालीन लीव रिजर्व पटवारी के विरूद्ध नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की गई जिसमें उन्हें दोषी पाया गया। श्री जगदीश सिंह के दिनांक 31.8.2008 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया परन्तु अन्य लोकसेवक श्री गजराज सिंह को एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है। परिवादी को मुआवजा राशि का चैक तहसील से प्राप्त करने हेतु लिखा गया, परन्तु परिवादी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जिस पर यह पत्रावली दिनांक 29.3.2010 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.11(194)लोआस/2004

परिवादी श्री शैलेन्द्र सिंह खमेसरा, वास्ते श्रेया इंजीनियर्स, जी-295, मेवाड़ इण्डस्ट्रियल एरिया, उदयपुर ने यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि उनके संयुक्त हिन्दू परिवार के पारिवारिक समझौते के आधार पर रीको ने सप्लीमेंटरी लीज एग्रीमेंट निष्पादित की है जिसमें उसके पिता एवं उसके भाई ने पट्टे का हस्तान्तरण परिवादी के पक्ष में किया है। नियमानुसार इस तरह के प्रकरण में कोई मुद्रांक कर नहीं लगता है। उपरोक्त सप्लीमेंटरी लीज एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करवाने के लिए उसने दस्तावेजात उप पंजीयक, उदयपुर के यहां प्रस्तुत किये जिसका गलत रेफरेंस बना कर उप पंजीयक ने कलक्टर (मुद्रांक), उदयपुर के यहां भिजवा दिया। कलक्टर (मुद्रांक), उदयपुर श्री एम.एल.चौहान ने इस प्रकरण में नियमानुसार निर्णय करने की एवज में परिवादी से 45,000/- रूपये की रिश्वत की मांग की जो नहीं देने पर जानबूझ कर नियमविरूद्ध तरीके से निर्णय करके 88,730/- रूपये मुद्रांक कर, 7,975/- पंजीयन शुल्क एवं 88,730/- रूपये शास्ती आरोपित करदी जिसके संबंध में उचित कार्यवाही की जावे व इसके द्वारा निर्णीत किये गये प्रकरणों की भी जांच की जावे।

इस परिवाद के संबंध में महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान, अजमेर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिनके द्वारा अपने पत्र दिनांक 1/3.11.2007 के द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायतकर्ता की शिकायत की जांच में मुद्रांक शुल्क की अपवंचना होना नहीं पाया गया

व रिश्वत मांगने के आरोप के संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराये जाने हेतु राज्य सरकार को पत्र दिनांक 25.11.2005 के द्वारा लिखा जा चुका है। अपने अन्य पत्र दिनांक 3.11.2008 के यह भी अवगत कराया कि श्री एम.एल.चौहान द्वारा सरकार को 6 लाख रूपये का नुकसान पहुंचाने के संबंध में नियम **16 सी.सी.ए.** के अन्तर्गत आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी कर कार्मिक विभाग द्वारा आदेश दिनांक 1.9.2007 के द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 6.2.2010 के द्वारा अवगत कराया गया कि जांच अधिकारी के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है जिस पर अपचारी अधिकारी श्री एम.एम.चौहान, आर.ए.एस. से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 29.1.2010 को पत्र जारी किया जा चुका है। प्रतिवेदनाधीन अवधि में विभागीय जांच लंबित थी।

एफ.11(10)लोआस/2005

परिवादी श्री रघुनाथ प्रसाद, निवासी नागौर ने यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि रिट याचिका सं. 628/2004 में पारित निर्णय दिनांक 5.4.2004 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने नागौर जिले में गिरते जल स्तर को देखते हुए आदेश दिया कि नागौर जिले में कोई भी नया ट्यूबवैल भूजल विभाग की अनुमति के बिना नहीं किया जावे। इसकी पालना में कलक्टर, नागौर ने सभी तहसीलदारों को न्यायालय के आदेश की अक्षरशः पालना के आदेश दिये। परन्तु जैसे ही इस आदेश की जानकारी लोगों को हुई, तो सम्पन्न लोगों ने तहसीलदारों से सम्पर्क कर नये कुए खोदने शुरू कर दिये और तहसीलदारों ने रूपये 15000 से 25000 तक रूपये लेकर एक वर्ष पहिले खुदा हुआ, सात माह पहिले खुदा हुआ जैसी रिपोर्ट पटवारियों से लेकर बिना भूजल विभाग की स्वीकृति लिये ही प्रमाण पत्र देकर कुए खुदवा दिये। तहसीलदार, खींवसर ने 1000 से अधिक नये कुए खोदने की स्वीकृति दे दी जिसकी जांच की जावे। इस परिवाद के संबंध में जिला कलक्टर, नागौर से पत्र दिनांक 29.5.2007 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया।

जिला कलक्टर, नागौर ने अपने पत्र दिनांक 10.9.2007 के द्वारा सूचित किया कि प्रकरण की जांच उपखण्ड अधिकारी, नागौर से करवाई गई जिसमें श्री गफार अहमद पठान, तत्कालीन तहसीलदार, खींवसर को माह सितम्बर, 2004 के पश्चात् नलकूपों पर विद्युत संबंध हेतु भूमि प्रमाण पत्र नए खुदे नलकूपों को पुराने बता कर जारी करने तथा कार्यालय प्रक्रिया की पालना नहीं करने का दोषी पाये जाने पर उसके विरूद्ध नियम **16 सी.सी.ए.** के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु राजस्व मण्डल को प्रस्ताव भिजवा दिया गया है।

इसके पश्चात् निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर से उक्त लोकसेवक के विरूद्ध की जा रही विभागीय जांच के परिणाम से अवगत कराने हेतु लिखा गया जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 9.4.2008 के द्वारा सूचित किया कि तत्कालीन तहसीलदार, खींवसर श्री गफ्फार अहमद पठान हाल सेवानिवृत्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के विपरीत नलकूप स्थापित करवाये जाने के आरोपों के संबंध में जिला कलक्टर, नागौर से मण्डल को विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव प्राप्त हुए। आरोपी के राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हो जाने से

अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु राजस्व विभाग से अनुमति चाही जा रही है। तत्पश्चात् राजस्व विभाग को पत्र दिनांक 22.4.2009 के द्वारा उक्त स्वीकृति के बाबत लिखा गया जिसके संदर्भ में प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार ने अपने पत्र दिनांक 11/12.5.2009 के द्वारा सूचित किया कि निबन्धक, राजस्व मण्डल से कुछ आवश्यक सूचनाएं भिजवाने हेतु लिखा गया था ताकि विभाग कोई निर्णय ले सके जो सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और जैसे ही वांछित सूचनाएं प्राप्त हो जायेंगी, लिये गये निर्णय से अवगत करा दिया जावेगा।

तत्पश्चात् उप निबन्धक (जांच), राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 14.10.2009 के साथ आदेश दिनांक 1.10.2009 की प्रति प्रेषित कर यह अवगत कराया कि श्री पठान को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

यहां उल्लेख किया जाना उचित होगा कि लोकसेवक ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की घोर अवहेलना करते हुए गलत प्रमाण पत्र देकर नलकुप खुदवाने में मदद की और ऐसा उसने बिना अनुचित लाभ अथवा रिश्वत प्राप्त किये बिना नहीं किया होगा, ऐसा माना जा सकता है, परन्तु राजस्व मण्डल ने भी ऐसे गंभीर प्रकरण में तत्परता से कार्यवाही करने के बजाय लीपापोती करने का ही प्रयास कर भ्रष्ट लोकसेवक को बचाने का प्रयास किया है जिसे प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता क्योंकि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए लोकसेवक कहीं अधिक बड़े दण्ड से दण्डादिष्ट किये जाने का अधिकारी था।

एफ.11(11)लोआस/2005

यह एक ऐसा प्रकरण है जिसमें एक लोकसेवक श्री रामनाथ सिंह, तत्कालीन एस.डी.एम, रूपवास, जिला भरतपुर ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए एक पक्ष को पंचायत चुनावों में नाजायज फायदा पहुंचाने की गरज से दूसरे पक्ष के व्यक्ति (परिवादी श्री रवीन्द्रसिंह) को पुलिस पर दबाव डाल कर अनावश्यक ही 151 जा.फौ. में न केवल गिरफ्तार कराया बल्कि उसके जमानत के मुचलके भी जानबूझकर स्वीकार नहीं किये व तीन दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। जिला कलक्टर, भरतपुर ने भी वर्ष 2007 से प्रकरण उनके कार्यालय में लंबित होने के बावजूद भी उसमें न तो कोई उचित ढंग से जांच कराई और न ही दोषी लोकसेवक के विरूद्ध कोई कार्यवाही समय रहते प्रस्तावित की व लोकसेवक को दिनांक 30.11.2009 को बिना किसी दाण्डिक कार्यवाही के ही सेवानिवृत्त हो जाने दिया गया।

विस्तृत तथ्य यह हैं कि परिवादी रवीन्द्र सिंह पुत्र श्री सरदार सिंह, निवासी निभेरा, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर द्वारा लोकसेवक श्री रामनाथ सिंह, एस.डी.एम., रूपवास के विरूद्ध निर्भय लाल, विधायक भाई की पत्नी व समय सिंह गूजर की भाई की पत्नी को पंचायत समिति सदस्य का चुनाव नाजायज तरीके से जितवाने तथा इसी षडयंत्र के तहत् परिवादी के भाई सत्येन्द्रसिंह को सरपंच का चुनाव हर हालत में हरवाकर अपने चहेते समयसिंह को सरपंच, निभेरा का चुनाव जितवाने की योजना के तहत् दिनांक 29.1.2005 को परिवादी, जो

सत्येन्द्रसिंह, सरपंच उम्मीदवार का भाई था को स्थानीय पुलिस पर दबाव डाल कर बिना कुछ झगड़ा फसाद के ही धारा 151 जा.फौ. में गिरफ्तार कराया, झूँठी आदेशिका बनाई व मुचलका न लेकर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। दिनांक 31.1.2005 को परिवादी के वकील को प्रार्थना पत्र के साथ एस.डी.एम. के सामने मुचलके पेश किये तो भी स्वीकार नहीं किये और सत्येन्द्रसिंह से कहा कि तुम सरपंची मत लड़ों, मैं अभी जमानत ले लेता हूँ और फिर वही मुचलके दिनांक 1.2.2005 को स्वीकार किये।

इस पर जिला कलक्टर, भरतपुर से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 30.5.2007 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जो उनके पत्र दिनांक 17.11.2007 के द्वारा प्रेषित किया गया। प्रतिवेदन का परिशीलन करने पर पाया गया कि यह सिर्फ आरोपी लोकसेवक के स्पष्टीकरण पर ही आधारित है जिसमें परिवादी को परीक्षित नहीं किया गया है। अतः किसी अन्य उच्चाधिकारी से जांच करवाकर रिपोर्ट भिजवाने हेतु पत्र दिनांक 2.1.2008 द्वारा लिखा गया। जिला कलक्टर द्वारा अपने पत्र दिनांक 9.7.2008 द्वारा पुनः मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भरतपुर की जांच के आधार पर परिवाद में लगाये गये आरोपों को आधारहीन मानते हुए परिवाद को बंद किये जाने की अनुशंसा की गई जिस पर कलक्टर, भरतपुर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भरतपुर द्वारा की गई जांच से संबंधित मूल पत्रावली इस सचिवालय के पत्र दिनांक 29.8.2008 के द्वारा तलब की गई। जिला कलक्टर ने अपने पत्र दिनांक 7.10.2008 के द्वारा उक्त पत्रावली के स्थान पर कलेक्ट्रेट की जांच पत्रावली प्रेषित करदी जिस पर उन्हें पुनः उक्त जांच की मूल पत्रावली भिजवाने हेतु पत्र दिनांक 24.2.2009 द्वारा लिखा गया तब लगभग 6 माह बाद जाकर वांछित जांच की मूल पत्रावली प्रेषित की गई।

मूल पत्रावली के परिशीलन के पश्चात् जिला कलक्टर, भरतपुर को इस सचिवालय के पत्र दिनांक 14.5.2009 यह निर्देशित किया गया कि परिवादी का बयान लेखबद्ध करते हुए उसे साक्ष्य/सबूत पेश करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् जांच रिपोर्ट एक माह की अवधि में इस सचिवालय को प्रेषित की जावे जिस पर जिला कलक्टर ने अपने पत्र दिनांक 8.9.2009 के द्वारा यह सूचित किया कि प्रकरण की जांच अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर से कराई गई जिन्होंने अपने जांच रिपोर्ट में श्री रामनाथ सिंह, उपखण्ड मजिस्ट्रिट, रूपावास को परिवादी श्री रवीन्द्र सिंह को अनावश्यक रूप से 3 दिवस न्यायिक अभिरक्षा में रखने का उत्तरदायी माना है जिस पर श्री रामनाथ सिंह को कारण बताओं नोटिस जारी कर उससे स्पष्टीकरण चाहा गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करने हेतु जिला कलक्टर को बार-बार लिखने के बाद पत्र दिनांक 18.1.2010 के द्वारा यह सूचित किया गया श्री रामनाथ सिंह दिनांक 30.11.2009 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

यह पूरा प्रकरण इस इस बात को इंगित करता है कि यदि जिला कलक्टर, भरतपुर सतर्क होते तो इस प्रकरण में, जो कि उनके कार्यालय में वर्ष 2007 से लंबित था, दोषी लोकसेवक को समय रहते दण्डित कराया जा सकता था।

चूँकि श्री रामनाथ सिंह सेवानिवृत्त हो जाने के कारण लोकसेवक नहीं रह गये थे, इसलिये इस प्रकरण में इस सचिवालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी व प्रकरण को दिनांक 4.2.2010 को नस्तीबद्ध करना पड़ा। यह तथ्य इस बात पर बल देता है कि *''पूर्व लोकसेवक''* को भी लोकायुक्त की अधिकारिता में लाया जाना चाहिए ताकि कोई भी लोकसेवक भ्रष्टाचार या पद का दुरूपयोग कर सेवानिवृत्ति या पदत्याग के बहाने जवाबदेहिता से न बच सके। जिला कलक्टरों व अन्य प्राधिकारियों को भी चाहिए कि वे पद के दुरूपयोग व भ्रष्टाचार की शिकायतों पर त्वरित व प्रभावी कार्यवाही करें ताकि जनता में यह संदेश जाये कि उनकी शिकायतें पर कार्यवाही की जाती है।

एफ.11(38)लोआस/2005

परिवादी श्री सुभाष चन्द्र वशिष्ठ व अन्य ग्रामवासी ग्राम ककराली रामपुरा तहसील राजगढ़ जिला अलवर ने यह परिवाद ग्राम की सरकारी भूमि पर जानबूझकर प्रभावशाली लोगों से रूपये खाकर रेवेन्यू के कर्मचारियों द्वारा कब्जा कराकर व पेड़ों को कटवा कर अनुचित लाभ प्राप्त कने के संबंध में प्रस्तुत किया जिसके संबंध में जिला कलक्टर, अलवर से पत्र दिनांक 6.7.2007 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया। जिला कलक्टर, अलवर ने अपने पत्र दिनांक 6.3.2007, 24.9.2008, 14.1.2009 एवं 12.8.2009 के द्वारा सूचित किया कि अतिक्रमियों के विरूद्ध रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत् कार्यवाही की जाकर पेनेल्टी कायम की जाकर बेदखली की कार्यवाही की जा चुकी है। विभागीय जांच के दौरन् दोषी अधिकारीगण सर्वश्री हरवंश लाल खुराना, तत्कालीन तहसीलदार, राजगढ़, देवेन्द्र भार्गव, तत्कालीन नायब तहसीलदार, राजगढ़ व राजेन्द्र कुमार गुप्ता, तत्कालीन नायब तहसीलदार, राजगढ़ के विरूद्ध नियम 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर उन्हें जाचोंपरान्त दोषमुक्त कर दिया गया है तथा श्री खुराना को भविष्य में राजकीय कार्य सजगतापूर्वक करने की चेतावनी दी गई है। अन्य दोषी कर्मचारीगण सर्वश्री भगवान सहाय यादव, रामकिशन मीणा, कमलेश कुमार मीणा एवं राजेन्द्र कुमार यादव गिरदावर कानूनगो हलका पटवारी के विरूद्ध 16 सी.सी.ए. के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। पेड़ों की कटाई का आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया।प्रतिवेदनाधीन अवधि में विभागीय जांच लंबित थी।

एफ.11(110)लोआस/2005

परिवादी श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल, सी-20, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर ने यह परिवाद तहसीलदार (पदेन उप पंजीयक) श्री राधेश्याम मीणा के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि ग्राम चाकसू, तहसील चाकसू जिला जयपुर की खसरा नं. 2499, 2500, 2503, 2507 व 2508 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा के 1/3 हिस्से के दर हिस्सा 4/10 श्रीमती कौशल्या देवी तापड़िया, कलकत्ता की भूमि उसने दिनांक 13.1.2000 को सम्पूर्ण प्रतिफल का भुगतान कर क्रय करली थी एवं श्रीमती तापड़िया ने एक विक्रय पत्र अनुबन्ध परिवादी के हम में तहरीर कर दिया था जो कि नोटेरी पब्लिक से तस्दीकशुदा है। विक्रय पत्र पंजीयन हेतु श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल को मुख्त्यार आम दिनांक 13.1.2000 को नियुक्त कर दिया था जिसके द्वारा दिनांक 29.6.2005 को प्रात: 10.30 बजे विक्रय पत्र पंजीयन हेतु प्रस्तुत कर दिया गया, मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क भी जमा कर लिया गया परन्तु पंजीयन नहीं किया गया और

दिनांक 29.6.2005 को ही दोपहर 12.30 बजे श्री मोहन लाल सोनी, मुख्त्यारआम द्वारा प्रस्तुत किये गये उपरोक्त वर्णित भूमि के विक्रय पत्र पंजीकृत कर दिया गया जिसकी जांच की जावे एवं दोषी को दण्डित किया जावे।

प्रकरण में इस सचिवालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने पर अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 4.11.2009 के द्वारा अवगत कराया कि श्री राधेश्याम मीणा, उप पंजीयन, चाकसू को दोषी पाये जाने पर उसके विरूद्ध नियम 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत आरोप पत्र कार्मिक विभाग को प्रेषित कर दिया गया है। प्रतिवेदनाधीन अवधि में विभागीय जांच के परिणाम की सूचना अपेक्षित थी।

एफ.11(114)लोआस/2005

यह परिवाद श्री प्रेमसिंह, मानद मंत्री श्री गुरूमंछ शिक्षण संस्थान, सिवाना, बाड़मेर ने इस आशय का प्रेषित किया कि लोकसेवक श्री रामचन्द्र पाटोलिया, तहसीलदार, सिवाना, बाड़मेर ने खान मालिकों से सांठगांठ करके गलत जांच रिपोर्ट देकर जिला प्रशासन को गुमराह किया जिसके लिये उसके विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

इस प्रकरण में कार्यवाही किये जाने पर जिला कलक्टर, बाड़मेर ने पहिले तो अपने पत्र दिनांक 30.10.2007 के द्वारा आरोपों को निराधार बताया। जब उन्हें अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जोधपुर वृत जोधपुरन की रिपोर्ट की फोटो प्रति प्रेषित कर रिपोर्ट में आये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पुनः जांच करवाकर रिपोर्ट भिजवाने हेतु पत्र दिनांक 28. 5.2008 के द्वारा लिया गया तो उन्होंने पुनः जांच करवाकर अपने पत्र दिनांक 23.9.2008 के द्वारा सूचित किया कि राजस्थान स्मारक, पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961 की धारा 3 की उप धारा (4) के तहत् संरक्षित स्मारक की दीवार से 200 मीटर दूरी तक निर्माण एवं अन्य गतिविधियां नहीं की जा सकती। सिवाना दुर्ग से लीज क्षेत्र की दूरी 200 मीटर से कम है इसलिये खनन हेतु स्वीकृत लीज निर्धारित दूरी से कम दूरी पर होना नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है। अतः इस लीज को निरस्त करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही के लिए संबंधित विभाग को लिख दिया गया है। पत्र दिनांक 18.4.2009 एवं दिनांक 9.9.2009 के द्वारा सूचित किया गया कि दोषी पाये गये श्री राजेश चौहान, उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा एवं श्री रामचन्द्र पोटलिया, तत्कालीन तहसीलदार, सिवाना वर्तमान आर.ए. एस. के विरूद्ध नियम 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु आरोप पत्र पत्र दिनांक 14.4.2009 के द्वारा कार्मिक विभाग को भेज दिये गये हैं। प्रतिवेदनाधीन अवधि में विभागीय जांच के परिणाम की सूचना अपेक्षित थी।

एफ.11(142)लोआस/2005

यह परिवाद समस्त ग्रामवासी, ग्राम दीपपुरा टोडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर की ओर से राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज ग्राम दीपपुरा टोडी के पुराने खसरा नं. 10 हाल खसरा नं. 39, 40, 41 कुल रकबा 2.78 भूमि का गलत तरीके से राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से नामान्तरण करने के संबंध में प्रस्तुत किया गया। परिवाद में इस भूमि को

बेशकीमती सरकारी भूमि बताया गया व इसे बचाने की प्रार्थना की गई। शिकायत जनहित की प्रतीत होने पर दिनांक 3.9.2007 को इस परिवाद में स्व-प्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाकर जिला कलक्टर, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया।

जिला कलक्टर, जयपुर ने प्रकरण की जांच उपखण्ड अधिकारी, आमेर से कराकर पहिले अपने पत्र दिनांक 24.1.2008 व तत्पश्चात् पत्र दिनांक 21.7.2008 के द्वारा यह अवगत कराया कि ग्राम दीपपुरा टोडी, तहसील आमेर का ग्राम खसरा नं. 10 हाल खसरा नं. 39,40,41 रकबा 2.78 हेक्टेयर भूमि न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर-चतुर्थ, जयपुर के निर्णय दिनांक 6.1.2001 के द्वारा सिवायचक दर्ज करने का आदेश दिया गया था। राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर द्वारा दिनांक 28.4.2003 के निर्णय द्वारा उक्त आदेश को निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 20.9.2003 के पत्र के द्वारा जिला कार्यालय द्वारा तहसीलदार, आमेर को निर्देशित किया गया कि गत खसरा नं. 10 विवादित नहीं होने के संबंध में अपील नहीं की जावे तथा राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी द्वारा की गई जांच में यह तथ्य सामने आया कि तहसीलदार द्वारा खोला गया नामान्तरण संख्या 51 दिनांक 6.10.2005 सीधे ही झूंथा के पुत्रों रामचन्द्र, सेवाराम, घासी, गोधा, कल्या व मान्या के नाम दर्ज किया गया है। इस नामान्तरण में मृतक झूँथा की बेवा एवं उसकी पुत्रियों के द्वारा किये गये हक त्याग पत्र का कोई उल्लेख नहीं है तथा झूँथा की मृत्यु दिनांक एवं मृत्यु प्रमाण पत्र का भी उल्लेख नहीं है। हलका पटवारी का यह दायित्व था कि वह नामान्तरण भरते समय मृतक की मृत्यु व उसके विधिक वारिसों का उल्लेख करता तथा नामान्तरण तस्दीक करते समय संबंधित गिरदावर व तहसीलदार को भी इस बाबत जांच करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई तथा नामान्तरण को सीधे ही झूंथा के पुत्रों के नाम दर्ज कर दिया गया जो उचित नहीं है। इस प्रकार नामान्तरण की वांछित प्रक्रिया अपना बिना ही मृतक के पुत्रों के नाम सीधे ही नामान्तरण खोलना यह राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकॉर्ड्स) रूल्स, 1957 के नियम 131 के प्रावधानों के विपरीत है जिसके उत्तरदायी पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करदी गई है।

पत्र दिनांक 21.5.2009 के द्वारा यह सूचित किया गया कि उपखण्ड अधिकारी, आमेर की जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री इन्द्रजीत सिंह, तत्कालीन तहसीलदार, आमेर एवं श्री भवानी सिंह, तत्कालीन पटवारी हलका सेवापुरा के विरूद्ध नियम 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करदी गई है। तत्पश्चात् पत्र दिनांक 17.2.2010 के द्वारा सूचित किया गया कि लोकसेवक श्री इन्द्रजीत सिंह व श्री भवानी सिंह को आदेश दिनांक 6.1.2010 के द्वारा एक-एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

एफ.11(4)लोआस/2006

यह परिवाद श्री महीपेन्द्र सिंह हाडा पुत्र श्री रघुवीर सिंह हाडा ने श्री सुरेश चन्द्र, तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली, जिला बूंदी के विरूद्ध वर्ष 2004 में आयोजित भूमि आवंटन

शिविरों में एक ही व्यक्ति व उसके परिवार के अन्य सदस्यों को एक से अधिक आवेदन पत्रों पर कई जगह भूमि का आवंटन करने व कमाण्ड क्षेत्र में कम कीमत लेकर भूमि का आवंटन कर राजकोष को हानि पहुंचाने के संबंध में प्रस्तुत किया व इसकी निष्पक्ष जांच कराकर दोषी को दण्डित कराने की प्रार्थना की।

इस परिवाद में इस सचिवालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर कार्यवाही की गई। परिणामतः कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 30.1.2009 के द्वारा सूचित किया गया कि वर्ष 2004 में आयोजित भूमि आवंटन शिविरों में नियमों के विपरीत आवंटन करने के संबंध में श्री सुरेश चन्द्र, आर.ए.एस., तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली के विरूद्ध नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जा रही है। प्रतिवेदनाधीन अवधि में विभागीय जांच लंबित थी।

एफ.11(10)लोआस/2006

यह परिवाद श्री नरेश कुमार, कपूरचन्द एवं प्रेम प्रकाश गोयल ने श्री ताज मोहम्मद, तहसीलदार, संगरिया एवं श्री तरसेम सिंह, पटवारी के विरूद्ध गलत यात्रा भत्ता बिल उठाने व गलत चिकित्सा पुनर्भरण बिल के संबंध में प्रस्तुत किया जिसके संबंध में जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया। तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुसार श्री ताजमोहम्मद, तत्कालीन तहसीलदार, संगरिया द्वारा दुर्भावनावश भुगतान उठाया जाना नहीं पाये जाने पर गलत उठाई राशि रूपये 120 वापिस राजकोष में जमा कराने का आदेश दिया गया तथा अन्य लोकसेवक श्री तरसेम सिंह के विरूद्ध नियम 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत कार्यवाही करने पर दुर्भावनावश भुगतान उठाया जाना नहीं पाये जाने पर विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाकर बिल राशि रूपये 749.95 राजकोष वापिस जमा करवाने का आदेश दिया गया। इस प्रकार इस प्रकरण को दिनांक 29.1.2010 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(21)लोआस/2006

परिवादी श्री रामेश्वर लाल पुत्र श्री इन्द्रमल गदिया निवासी सावा, तहसील व जिला चित्तौड़ ने यह परिवाद इस आशय का पेश किया कि उसे मुआवजा राशि का भुगतान हुए बगैर एवं सरफेस रेन्ट की राशि राजकोष में जमा होने के पूर्व ही दिनांक 27.4.2006 को ग्राम बनस्टी की आराजी नम्बर 169 रकबा 0.61 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 170 रकबा 1.11 हेक्टेयर भूमि को बिला नाम सरकार (खनन कार्य हेतु माइनिंग लीज) दर्ज कर दिया गया जिसकी जांच की जावे व दोषी को दण्डित किया जावे। इस परिवाद के संबंध में जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया। जिला कलक्टर ने अपने पत्र दिनांक 10.12.2007, 12.2.2008, 25.4.2008, 30.7.2008, 24.12.2008, एवं 28.5.2009 के अनुसार सूचित किया कि उक्त आरोप के संबंध में लोकसेवक श्री बालकृष्ण काबर, पटवारी के विरूद्ध नियम 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की गई जिसमें लोकसेवक की लम्बी सेवा अवधि को मध्य नजर रखते हुए उसे लिखित चेतावनी के दण्ड से दण्डित किया गया जिस पर इस प्रकरण को दिनांक 6.7.2009 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(17)लोआस/2007

परिवादी श्री मुन्नालाल सोलंकी निवासी, मण्डली खुर्द, होटल हैप्पी होम, पाली ने यह परिवाद दिनांक 15.5.2007 को इस आरोप के साथ प्रस्तुत किया कि पाली के उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, आर.आई. व पटवारी द्वारा भू-माफिया दलाल पार्षद अम्बालाल वगैरह के से मिलीभगत करके 28 वर्ष पूर्व के उत्तराधिकार के मामले में फैसला कर परिवादी की भूमि खसरा नं. 143/1, मण्डली खुर्द, पाली के राजस्व रिकार्ड में बिना परिवादी को पक्षकार बनाये सीधे उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज कर उनका नामान्तरण खुलवा लिया। अतः दोषियों के विरूद्ध जांच कर कार्यवाही की जावे।

इस परिवाद के संबंध में जिला कलक्टर, पाली से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 19.7.2007 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जो उनके पत्र दिनांक 16.11.2007 व 28.2.2008 के के द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार यह सूचित किया गया कि ग्राम मण्डली खुर्द तहसील पाली के खसरा नं. 143/1 कुल रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा भूमि हरजी माली के नाम दर्ज थी। हरजी के देहान्त के पश्चात् भूमि उसके श्पुत्र गंगाराम के नाम दर्ज हुई। फौतेदगी नामान्तरण में विधिक उत्तराधिकारी पुत्रियों का नाम दर्ज नहीं होने से पुत्रियों द्वारा उपखण्ड न्यायालय, पाली में नामान्तरण संख्या 366 की अपील प्रस्तुत की गई। उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण तहसीलदार, पाली को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि विधिवत उत्तराधिकारियों को सुनवाई का अवसर देकर कार्यवाही करे। तहसीलदार, पाली द्वारा विधिक उत्तराधिकारी को सुन कर उनके नाम म्यूटेशन भरने का निर्णय लिया गया जिसकी पालना में नामान्तरण खोला गया। विधिक उत्तराधिकारी पुत्रियों द्वारा अपने हिस्से की भूमि अम्बालाल के परिवार के नाम बेचान करने से नामान्तरण खोला गया। यह भी सूचित किया कि राजस्व मण्डल में मुन्ना लाल द्वारा अपील संख्या 8453/06 मुन्ना लाल बनाम राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार, पाली व अन्य 9 पक्षकारान के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें मुख्य बिन्दु मुन्नालाल को सुनवाई किये बिना नामान्तरण भरने से संबंधित है जो विचाराधीन है। तथ्यात्मक प्रतिवेदन का परीक्षण करने पर प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि अपील में तहसीलदार, पाली द्वारा जानबूझ कर सही रूप से तथ्य नहीं रखे गये जिससे परिवादी को अनुचित हानि हुई व दूसरे पक्ष को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ। अतः जिला कलक्टर, पाली को इस सचिवालय के पत्र दिनांक 25.6.2008 के द्वारा लिखा गया कि वे इस प्रकरण में लिप्त तहसीलदार, पाली के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही एक माह में प्रस्तावित कर इस सचिवालय को सूचित करें जिसके प्रत्युत्तर में जिला कलक्टर, पाली ने अपने पत्र दिनांक **26.9.2008, 5.3.2009 व 8.3.2010 के** द्वारा सूचित किया कि प्रकरण में प्राथमिक जांच उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), पाली से करवाई गई जिसमें श्री प्रकाश चन्द्र राठौड़, तत्कालीन तहसीलदार, पाली, भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हलका, पाली दोषी पाये गये। श्री प्रकाश चन्द्र राठौड़ के विरूद्ध कार्यवाही विभागीय स्तर पर की जाने के कारण आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र तैयार कर उप शासन सचिव, राजस्व विभाग को उनके कार्यालय के पत्र दिनांक 25.2.2009 के द्वारा प्रेषित कर दिये गये हैं। श्री सूर्यभान सिंह, पटवारी हलका, मण्डलीखुर्द व श्री राम लाल, सेवानिवृत भू अभिलेख निरीक्षक, पाली के विरूद्ध आवश्यक स्वीकृति के पश्चात् नियम 16 सी.सी.ए. के तहत् चार्जशीट जारी की जाकर

उपखण्ड अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। प्रतिवेदनाधीन अवधि में विभागीय जांचें लंबित थी।

एफ.11(7)लोआस/2008

परिवादी श्री भौंर्या पुत्र कंवरिया माली निवासी डिडवाना तहसील लालसोट ने यह परिवाद ग्राम डिडवाना की आराजी खसरा नं. 436, 439, 441, 519, 635, 4154/467, 4155/467 कुल किता 8 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नं. 431 रकबा 5.04 बीघा के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लालसोट व राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश होने के बावजूद भी पटवारी द्वारा जमाबन्दी की नकल तैयार कर जारी करदी गई जिसमें स्थगन आदेश का नोट नहीं लगाया जिसके आधार पर तहसीलदार, लालसोट द्वारा दिनांक 24.9.2007 व 25.9.2007 को उक्त भूमि की रजिस्ट्रयां करदी गई, जिनके विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

इस परिवाद में प्रसंज्ञान लिये जाने पर जिला कलक्टर, दौसा ने अपने पत्र दिनांक 3.9.2009 के द्वारा अवगत कराया कि दोषी पाये गये पटवारी श्री कैलाश प्रसाद मीणा को दिनांक 3.8.2009 को नियक 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है। अगले पत्र दिनांक 11.3.2010 के द्वारा अवगत कराया कि दोषी पाये गये तहसीलदार श्री बिरदीचंद गंगवाल के विरूद्ध नियम 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव पत्र दिनांक 11.3.2010 के द्वारा राजस्व मण्डल को भिजवा दिये गये हैं। प्रतिवेदनाधीन अवधि में उक्त विभागीय जांचें लंबित थी।

एफ.11(13)लोआस/2008

परिवादिया श्रीमती जानकी ग्राम हरसौर तहसील डेगाना, जिला नागौर ने यह परिवाद नायब तहसीलदार, भैंरूदा श्री राम कुमार शर्मा व हलका पटवारी, थांवला श्री आनन्द कुमार शर्मा के विरूद्ध अपने पदीय दायित्व से परे जाकर अवैध रूप से राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने से संबंध में प्रस्तुत किया गया जिसके संबंध में संभागीय आयुक्त, अजमेर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 12.8.2009 द्वारा अवगत कराया कि दोषी लोकसेवक श्री राम कुमार शर्मा, तत्कालीन नायब तहसीलदार, भैंरूदा के विरूद्ध नियम 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया जा चुका है व जिला कलक्टर, नागौर को नामान्तरण रेस्टोर की कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कराने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। प्रतिवेदनाधीन अवधि में विभागीय जांचें लंबित थी।

एफ.11(15)लोआस/2008

यह परिवाद श्री बृजमोहन सैनी ग्राम भट्टों की गली, रेलवे स्टेशन के पास, जयपुर ने तहसीलदार आमेर श्री आकाश रंजन के विरूद्ध उसकी कृषि भूमि खसरा नं. 151/1 परिवर्तित नये खसरा नं. 347/1252 रकबा 0.50 हेक्टेयर, 348/1253 रकबा 0.59 हैक्टेयर, 349 रकबा 0.02 हैक्टेयर, 350 रकबा 0.20 हैक्टेयर एवं 351 रकबा 4.76 हेक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 6.07 हेक्टेयर, भट्टो की गली, तहसील आमेर, जो कि दिनांक 9.8.1981 को रजिस्टर्ड

विक्रय पत्र के जरिये उनके द्वारा पूर्व खातेदार श्री रघुनाथ एवं उसके भाई श्री भगवाना से क्रय की थी, के संबंध में परिवादी के पक्ष में फैसला करने की एवज में दस लाख रूपये की मांग करने जो नहीं देने पर भू-माफिया से मिलकर गुपचुप तरीके से मुकदमा सं. 93/05 रामसहाय वगैरह बनाम शंकर जोगी की पत्रावली फर्जकारी एवं हेराफेरी करते हुए अवैध कार्यवाही करने के संबंध में प्रस्तुत किया।

इस प्रकरण की जांच कर संभागीय आयुक्त, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 12.12.2008 के द्वारा तहसीलदार श्री आकाश रंजन को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 8.2.2008 द्वारा स्थगन होने के बावजूद निर्धारित तारीख 15.2.2008 में कांट छांट करके 8.2.2008 की जाकर दिनांक 13.2.2008 में निर्णय पारित करने का दोषी पाया जिस पर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना उचित पाया गया। राजस्व मण्डल, अजमेर के पत्र दिनांक 4.3.2010 के अनुसार उक्त लोकसेवक के विरूद्ध दिनांक 2.2.2010 को नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करदी गई है। प्रतिवेदनाधीन अवधि में विभागीय जांच के परिणाम की सूचना अपेक्षित थी।

एफ.11(20)लोआस/2008

परिवादी श्री बाबूलाल पुत्र श्री मोहन लाल निवासी देई, तहसील नैनवां, जिला बूंदी ने यह पविाद दिनांक 3.5.2008 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उनकी पूर्वजों के नाम की जमीन कुल रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा को पटवारी व नायब तहसीलदार की मिलीभगत से फर्जी रजिस्ट्री करदी गई जिसे निरस्त करवाया जावे व दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

इस परिवाद में प्रसंज्ञान लिये जाने पर जिला कलक्टर, बूंदी ने अपने पत्र दिनांक 24.12.2009 के द्वारा सूचित किया गया कि उक्त दोनों दोषी लोकसेवकगण को राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत आरोप व आरोप विवरण पत्र जारी कर दिये गये है। प्रतिवेदनाधीन अवधि में विभागीय जांचें लंबित थी।

एफ.11(81)लोआस/2008

परिवादी श्री चांदरतन सांखला निवासी बीकानेर ने यह परिवाद नत्थूराम यादव, पटवारी व श्री किशनसिंह, भू-अभिलेख निरीक्षक के विरूद्ध भूमि खसरा नं. 88/4, 88/10, 88/11, 88/13 तादादी 31.12 बीघा का जानबूझ कर गलत रिपोर्टिंग कर इंतकाल नं. 308 खोलने के संबंध में प्रस्तुत किया जिसके संबंध में इस सचिवालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने पर संभागीय आयुक्त, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 13.4.2009 व 28.8.2009 के द्वारा सूचित किया कि उक्त दोनों लोकसेवकगण को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध नियम 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करदी गई है व अगले पत्र दिनांक 4.3.2010 के द्वारा सूचित किया कि उक्त दोनों लोकसेवकगण को आदेश दिनांक 12.1.2010 के द्वारा दो-दो वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

एफ.11(110)लोआस/2008

परिवादी श्री माहीन खां निवासी दलपतपुरा, पोकरण, जिला जैसलमेर ने यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि खसरा नं. 98/638 व 65/646 रकबा क्रमशः 75 एवं 75 कुल रकबा 150 बीघा ग्राम दलपतपुरा, पंचायत जैमला, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर में सरकारी दर्ज है। इस भूमि पर इसाक खां, इस्माईल खां, मेहरदीन खां ने ढाणी, टांके व बाड़ लगा कर अतिक्रमण कर लिया है जिसे अतिक्रमियों से मुक्त करवाया जावे।

इस प्रकरण में इस सचिवालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने पर जिला कलक्टर, जैसलमेर ने अपने पत्र दिनांक 26.2.2009 के द्वारा अवगत कराया कि उक्त भूमि सिवायचक भूमि है व अतिक्रमियों के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत् प्रकरण संख्या 67/2008 न्यायालय नायब तहसीलदार, भणियाणा में दर्ज किया गया जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका सं. 4707/2006 ईस्माइल खां बनाम राजस्व मण्डल, राजस्थान वगैरह दायर की गई जिसमें याचि का कब्जा नहीं हटाने का आदेश होने के कारण धारा 91 की कार्यवाही स्थगित है। पत्र दिनांक 17.8.2009, 26.10.2009 एवं 7.1.2010 के अनुसार अतिक्रमण होने देने के लिए दोषी लोकसेवगण सर्वश्री जसराज बेनीवाल, नायब तहसीलदार, भणियाणा, गुमान सिंह, भू अभिलेख निरीक्षक, भणियाणा एवं हजाराम, पटवारी जैमला, तहसील पोकरण के विरूद्ध नियम 16/18 सी.सी.ए. के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर विभागीय प्रारंभ करदी गई है। प्रतिवेदनाधीन अवधि में विभागीय जांच का परिणाम अपेक्षित था।

एफ.11(140)लोआस/2008

परिवादी श्री रतन सिंह निवासी देसूरी जिला पाली ने यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा देसूरी के खसरा नं. 2398 सिवायचक भूमि है जिसमें संस्कृत विद्यालय बना हुआ है व बाकी भाग खुला मैदान है जिस पर गैनाराम द्वारा निर्माण कर कब्जा करना शुरू कर दिया गया तो दिनांक 15.7.2008 को नायब तहसीलदार, देसूरी को दी गई जिनके द्वारा निर्माण कार्य रूकवाया गया, परन्तु तहसीलदार, देसूरी की शह से निर्माण कार्य वापिस चालू हो गया। अतः दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावे व सरकारी भूमि को बचाया जावे।

इस प्रकरण में प्रसंज्ञान लिये जाने पर जिला कलक्टर, पाली के पत्र दिनांक 30.3.2009 के द्वारा सिवायचक भूमि पर गैनाराम द्वारा 2-2.5 फीट तक निर्माण कर अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया गया व यह भी अवगत कराया गया व यह भी अवगत कराया गया कि उपखण्ड अधिकारी, देसूरी की जांच रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं पटवारी हलका देसूरी की लापरवाही प्रतीत हुई है जिनको नोटिस जारी करने के निर्देश दे दिये गये है। पत्र दिनांक 6.11.2009 23.11.2009 के द्वारा आगे यह अवगत कराया कि तहसीलदार, देसूरी श्री राजेश मेवाड़ा एवं नायब तहसीलदार, देसूरी श्री सुभाष गुप्ता के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही को व्यक्तिगत सुनवाई के पश्चात् ड्रोप कर दिया गया व अन्य लोकसेवक श्री विनोद कुमार, पटवारी के विरूद्ध नियम 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर

उसे आदेश दिनांक 11.12.2009 के द्वारा दो वार्षिक वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है।

एफ.11(165)लोआस/2008

परिवादी श्री बिशनलाल, लड्डू पुत्रान श्री पून्या निवासी जटवाड़ा खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर ने यह परिवाद उनकी पैतृक भूमि खसरा नं. 659/0.38, 660/0.19, 668/0.28 कुल किता 3 कुल रकबा 0.85 हेक्टेयर को उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर एवं तहसीलदार, सवाईमाधोपुर द्वारा न्याय के सिद्धान्त के विपरीत भू-माफिया से साजकर अवैध रूप से 90बी की कार्यवाही करने के संबंध में प्रस्तुत किया एवं इस कार्यवाही को निरस्त करने व दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस परिवाद के संबंध में संभागीय आयुक्त, भरतपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया। संभागीय आयुक्त ने अपने पत्र दिनांक 22.6.2009 के द्वारा अवगत कराया कि जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार श्री प्रेम सिंह चारण, तत्कालीन उप जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 के तहत् पत्रावली संख्या 281 उनवानी सरकार बनाम पून्या में पारित निर्णय दिनांक 25.7.2006 एवं 29.9.2006 तथा आदेश दिनांक 1.5.2007 से उनके द्वारा की गई कार्यवाही संदेहास्पद प्रतीत होती है जिसके लिए श्री प्रेम सिंह चारण तथा तहसीलदार व पटवारी के विरूद्ध आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र तैयार कराये जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ कराने हेतु सक्षम अधिकारीगण को भिजवाये जा रहे हैं। पत्र के साथ श्री प्रेमसिंह चारण आर.ए.एस., तत्कालीन उप खण्ड अधिकारी, सवाई माधोपुर, श्री कन्हैया लाल मीमरोठ, तत्कालीन तहसीलदार, सवाई माधोपुर, श्री रामेश्वर लाल जोशी, तत्कालीन तहसीलदार, सवाई माधोपुर, श्री तुलसीराम, पटवारी हलका ठींगला के विरूद्ध नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के प्रस्तावों की प्रतियां भी संलग्न कर प्रेषित की। पत्र दिनांक 5.3.2010 द्वारा अवगत कराया गया कि जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के पत्र दिनांक 19.2.2010 के द्वारा राजस्व मण्डल, अजमेर को तत्कालीन तहसीलदार श्री कन्हैया लाल मीमरोठ के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के लिए प्रारूप आरोप पत्र भिजवा दिया गया है। तत्कालीन पटवारी श्री तुलसीराम के विरूद्ध भी कार्यवाही किये जाने के लिए आरोप पत्र भिजवा दिये गये हैं जबकि श्री रामेश्वर लाल जोशी पूर्व तहसीलदार को इस प्रकरण में दोषी नहीं पाया गया है। जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर के पत्र दिनांक 19.2.2010 के द्वारा तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सवाई माधोपुर द्वारा न्यायालय के स्थगन संबंधी गलत रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर को लिख दिया गया है। प्रतिवेदनाधीन अवधि में विभागीय कार्यवाही विचाराधीन थी।

एफ.11(176)लोआस/2008

परिवादी श्री बनवारी मीण निवासी साझरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ने यह परिवाद दिनांक 24.2.2009 को तहसीलदार, आमेर तथा पटवारी, गिरदावर के के विरूद्ध उनके द्वारा मिलीभगत करके परिवादी के स्वीकृतशुदा नामान्तरण का जमाबन्दी में अंकन नहीं करने के

संबंध में प्रस्तुत किया जिसके संबंध जिला कलक्टर, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 10.7.2009 के द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण की जांच कराई गई जिसके अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा पक्षकारान पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है जिसके संबंध में परिवादी द्वरा एक एफ.आई.आर., पुलिस थाना, चौमू में दर्ज करवाई गई है जिसमें कार्यवाही जैरकार है। पुलिस अनुसंधान के पश्चात् निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी। अपने अन्य पत्र दिनांक 25.9.2009 द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण में मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 17.1.2007 के द्वारा तत्कालीन पटवारी श्री केसर सिंह, पटवार हलका सिरसली, तहसील आमेर हाल निलम्बित मुख्यालय भू-अभिलेख शाखा, जयपुर द्वारा नामान्तरण संख्या 183 दिनांक 1.2.2007 को दर्ज किया गया था। उक्त पटवारी द्वारा नामान्तरण दर्ज करते समय विक्रय पत्र में अंकित खसरा नम्बर 361, 362, 55/730 छोड़ दिये गये जिसके संबंध में पटवारी के विरूद्ध आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र मंगवाये जाकर नियम 17 सी.सी.ए. में कार्यवाही जैरकार है। शिकायत में अंकित अन्य कर्मचारी श्री रामकिशन मीणा, पटवारी की मृत्यु दिनांक 16.7.2009 को हो चुकी है। जिला कलक्टर, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 15.1.2010 के द्वारा सूचित किया कि उक्त दोषी पाये गये पटवारी श्री केसर सिंह जाखड़ा को एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है जिस पर इस परिवाद को दिनांक 19.2.2010 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.11(180)लोआस/2008

परिवादी श्री भूँदर पुत्र श्री मंगल निवासी आरेज, तहसील टोडाभीम, जिला करौली ने यह परिवाद श्री भरतलाल मीणा, तत्कालीन तहसीलदार, टोडाभीम के विरूद्ध भूमि का आपसी सहमति से विभाजन स्वीकार करने से पूर्व बहक सहखातेदारों के हस्ताक्षर सहमति श्पत्र पर नहीं कराने, न्यायालय का स्थगन आदेश होने के बावजूद भी बंटवारा स्वीकार करने आदि के संबंध में प्रस्तुत किया जिसके संबंध में इस सचिवालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने पर जिला कलक्टर, करौली ने अपने पत्र दिनांक 9.9.2009 के द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण की जांच कराने पर उक्त आरोप प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर उक्त लोकसेवक श्री भरतलाल मीणा, तत्कालीन तहसीलदार, टोडाभीम के विरूद्ध नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही किये जाने हेतु प्रारूप आरोप पत्र राजस्व मण्डल, अजमेर को भिजवाये गये हैं। राजस्व मण्डल, अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 29.10.2009 के द्वारा अवगत कराया कि लोकसेवक के आर.ए.एस. में पदोन्नत हो जाने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को दिनांक 12.10.2009 को भिजवा दिया गया है। कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 13.1.2010 के अनुसार उक्त प्रस्ताव कार्मिक विभाग में दिनांक 28.10.2009 को प्राप्त हो गये थे जो अभी परीक्षणाधीन है।

एफ.11(181)लोआस/2008

परिवादी श्री मंगलचन्द सैनी निवासी बन्दौल तन सामोद, तहसील चौमू ने यह परिवाद बाबू लाल मीणा व पतासी देवी मीणा की ग्राम सामोद के खसरा नं. 1738 से 1740 की खातेदारी की भूमि का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा भ्रष्टाचार करके नियमों के विपरीत नामान्तरण खोलने के संबंध में प्रस्तुत किया जिसके संबंध में जिला कलेक्टर, जयपुर से

तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 3.9.2009 व दिनांक 28.1.2010 के द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण में दोषी पाये गये पटवारी श्री सायर सिंह, पटवार हलका सामोद एवं श्री सुरेश कुमार देवत, पटवारी हलका, चौमू इंचार्ज भू अभिलेख निरीक्षक चौमू के विरूद्ध नियम 16 सी.सी.ए. के तहत् आरोप पत्र जारी कर कार्यवाही की जा रही है। प्रतिवेदनाधीन अवधि में विभागीय कार्यवाही विचाराधीन थी।

एफ.11(29)लोआस/2009

परिवादी श्री बोतिया पुत्र श्री बगदु निवासी गोमाना, तहसील छोटी सादड़ी अरूण कुमार शर्मा, पटवारी, गोमाना तहसील छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ ने यह परिवाद दिनांक 3.6.2009 को इस आशय का पेश किया कि परिवादी का नाम खातेदार की हैसियत से राजस्व रिकार्ड में दर्ज था जिसे काट कर विपक्षी नानुराम पुत्र श्री किशन लाल ढोली, जिसकी मृत्यु दिनांक 20.1.2009 को ही हो चुकी थी, के नाम दर्ज कर दिया गया व नामान्तरण संख्या 1175 दिनांक 14.5.2009 खोल दिया गया। अत: उक्त नामान्तरण को निरस्त कराया जावे। इस संबंध में जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 28.7.2009 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर उनके पत्र दिनांक 30.10.2009 एवं 25.2.2010 के द्वारा सूचित किया कि परिवादी की जिस भूमि का इन्तकाल खोला गया वह भूमि श्री नानूराम पुत्र श्री किशनलाल ढोली के नाम उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ के आदेश प्र.सं. 125/2007 में पारित निर्णय दिनांक 20.11.2007 द्वारा दर्ज की गई थी। प्रकरण में आदेश का हुक्मनामा जारी करने की प्रक्रिया के दौरान् ही श्री नानूराम का देहान्त हो गया जिसकी कोई सूचना न्यायालय हाजा व तहसीलदार को प्रस्तुत नहीं की गई। परिणामत: नामान्तरण संख्या 1175 दिनांक 14.5.2009 नानूराम के नाम दर्ज हो गया। प्रकरण में दोषी पाये गये लोकसेवक श्री अरूण कुमार शर्मा, पटवारी, गोमाना को भविष्य में सतर्क रहते हुए नियमों के अनुरूप कार्य करने की हिदायत दी गई।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

एफ. 12(78)लोआस/2001

श्री सहीराम विश्नोई, प्रधान, पंचायत समिति, नोखा ने यह परिवाद श्री श्याम बिहारी लाल माथुर, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नोखा द्वारा नियम विरूद्ध कराये गये गलत कार्यो की जांच करवाने के संबंध में प्रस्तुत किया जिसके संबंध में इस सचिवालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने पर उक्त लोकसेवक श्री माथुर को पंचायत समिति, नोखा की केन्टीन में केन्टीन संचालक श्री हनुमान व्यास द्वारा निविदा शर्तो के विपरीत फोटोस्टेट मशीन लगाने के उपरान्त भी मशीन हटवाने की कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं करने, मूल निविदा शर्तो के विपरीत फर्जी इकरारनामा होने की जानकारी होते हुए भी स्वत: कोई कार्यवाही नहीं करने, केन्टीन का किराया माह मई, 2001 के बाद जमा नहीं होने पर विलम्ब से कार्यवाही करते हुए दिनांक 25.8.2001 को ठेका निरस्त करने व केन्टीन खाली कराने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही नही करने के आरोपों के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 23.11.2004 को उक्त श्री श्याम बिहारी लाल माथुर, तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नोखा हाल आर.ए.एस.

अधिकारी के विरूद्ध नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई। प्रतिवेदनाधीन अवधि के अंत तक लोकसेवक के विरूद्ध जांच पूर्ण की जाकर प्रकरण को राय प्राप्त करने हेतु राजस्थान लोकसेवक आयोग, अजमेर को भिजवा हुआ था।

एफ. 12(6)लोआस/2005

यह परिवाद श्री मेघसिंह खींची, मण्डल अध्यक्ष, मण्डौर, जिला जोधपुर ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय, इन्द्रोका के भवन में मरम्मत कार्य नहीं होने पर भी कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर रूपये 87,499/- का गबन करने के की जांच करने के संबंध में प्रस्तुत किया।

इस परिवाद में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने पर शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 24.8.2007 के द्वारा अवगत कराया कि श्रीमती सविता कच्छवाहा, कनिष्ठ अभियन्ता को अनुमत दर से अधिक स्वीकृत कर कार्य का मूल्यांकन रूपये 34,105/- से अधिक करने का दोषी पाये जाने तथा मस्टररोल में अनियमितता करने हेतु ग्राम सेवक सुश्री ऊंझा कंवर एवं तत्कालीन सरपंच श्रीमती रमादेवी दोषी पाये जाने पर तत्कालीन सरपंच के विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की सक्षम धाराओं के तहत् कार्यवाही किये जाने हेतु संभागीय आयुक्त, जोधपुर को दिनांक 18.7.2005 को प्रस्ताव प्रेषित किये जा चुके हैं तथा श्रीमती सविता कच्छवाहा, कनिष्ठ अभियन्ता एवं सुश्री ऊंझा कंवर, ग्राम सेवक के विरूद्ध **नियम 17 सी.सी.ए.** मे हत् अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। आदेश दिनांक 22.9.2009 के द्वारा श्रीमती सविता कच्छवाहा, कनिष्ठ अभियन्ता को दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है तथा अधिक मूल्यांकन की गई राशि रूपये 16,779/- की वसूली सरपंच व ग्राम सेवक से किये जाने हेतु आदेशित कर दिया गया।

एफ. 12(28)लोआस/2005

यह परिवाद श्री पूनमाराम पुत्र श्री सुगाराम निवासी भादला, नौखा, जिला बीकानेर ने ग्राम पंचायत, भादला में अकाल राहत कार्यो में पटवारी व सरपंच द्वारा मिलीभगत करके फर्जी मस्टररोल भुगतान उठाने के संबंध में प्रस्तुत किया जिसके संबंध में इस सचिवालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने पर शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 13.8.2009 व 22.12.2009 के द्वारा अवगत कराया गया कि जांच में सरपंच श्री नथाराम के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित पाये जाने पर संभागीय आयुक्त, बीकानेर के आदेश दिनांक 29.9.2009 के द्वारा उसे अयोग्य घोषित किया जाकर पद रिक्त घोषित कर दिया गया है। श्री विकास सागवान, तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, भादला के विरूद्ध नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करदी गई है। श्री रमणदान, पटवारी को जांच में दोषी नहीं पाये जाने पर जिला कलक्टर, बीकानेर के आदेश दिनांक 6.7.2009 के द्वारा उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही समाप्त करदी गई है।

एफ. 12(83)लोआस/2007

परिवादी श्री पुष्पेन्द्र माली निवासी घाणेराव, तहसील देसूरी जिला पाली ने यह परिवाद घाणेराव की खसरा नं. 246 रकबा 16.37 हैक्टेयर रेवेन्यू भूमि पर श्री लाल सिंह द्वारा रिलायन्स कम्पनी का टावर लगवाने के संबंध में प्रस्तुत किया व दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की।

इस परिवाद में प्रसंज्ञान लिये जाने पर शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 23.4.3009 व दिनांक 25.11.2009 के द्वारा अवगत कराया कि श्री लालसिंह निवासी घाणेराव को लघु उद्योग लगाने हेतु एक पट्टा 124 गुणा 48 वर्ग फीट का जिला कलक्टर, पाली के आदेश दिनांक 2.11.1984 के द्वारा नि:शुल्क दिया गया था जिसमें 15 गुणा 10 वर्ग फीट के भूखण्ड पर दन्त मंजन बनाने की मशीन लगी हुई है, शेष भाग में मौके पर तारबंदी की हुई है। ग्राम पंचायत, घाणेराव द्वारा दिनांक 2.3.2007 को आयोजित ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव संख्या 4 के अनुसरण में मौका निरीक्षण कर टावर लगाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया जो पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के प्रावधान के प्रतिकूल है। अत: दोषी पाये गये सरपंच श्री ओगडराम मीणा के विरूद्ध संभागीय आयुक्त द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करदी गई है तथा श्री तनुराम मेघवाल, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, देसूरी एवं श्री ग्यारसी लाल, ग्राम सेवक के विरूद्ध नियम 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करदी गई है। प्रतिवेदनाधीन अवधि में विभागीय जांच का परिणाम अपेक्षित था।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग/स्वायत्त शासन विभाग

एफ. 16(151)लोआस/2004

श्री शेरू खां निवासी धानमण्डी, जालौर ने यह परिवाद जालौर कस्बे में सार्वजनिक पुस्तकालय से सब्जी मण्डी जाने वाले आम रास्ते पर छ: अतिक्रमियों द्वारा केबिन रख कर रास्ते में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया तथा यह भी आरोप लगाया कि अधिशाषी अधिकारी श्री गोविन्द सिंह डाबी, तत्कालीन अध्यक्षा श्रीमती मीरा अग्रवाल एवं सफाई निरीक्षक श्री केसाराम माली इनसे मिलीभगत करके अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं। उक्त अतिक्रमियों में एक अतिक्रमी श्रीमती दीवाली देवी सफाई निरीक्षक श्री केसराम की पत्नी है।

इस संबंध में निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग ने अपने पत्र दिनांक 4.1.2008 के द्वारा उक्त आरोपों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि इन कबिनों को हटाने के विषय में वर्ष 1980 से विभिन्न न्यायालयों में वाद चलते रहे हैं व वर्तमान में यह वाद सिविल न्यायाधीश (प्रथम वर्ग), जालौर में लंबित है तथा उसमें आगामी आदेशों तक यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हुए हैं जिसके कारण अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। पत्र दिनांक 30.6.2009 के द्वारा सूचित किया गया कि अतिक्रमण होने देने के लिए उत्तरदायी लोकसेवकगण तत्कालीन अधिशाषी अधिकारीगण सर्वश्री बी.एम.त्रिपाठी, नन्द लाल व्यास, प्रतापसिंह राजपुरोहित, आनन्द गोपाल व्यास एवं सफाई निरीक्षक श्री केसाराम के विरूद्ध नियम

17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, जालौर के पत्र दिनांक 17.8.2009 के अनुसार स्थगन आदेश दिनांक 15.7.2009 को खारिज कर दिये जाने पर नगरपालिका द्वारा मौके से दिनांक 4.8.2009 को अतिक्रमण हटा दिये गये हैं।

एफ. 16(33)लोआस/2005

श्री भंवर लाल स्वर्णकार, भूतपूर्व चैयरमैन एवं वर्तमान पार्षद, वार्ड नं. 10, नगरपालिका, माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा ने यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि माण्डलगढ़ नगरपालिका की अध्यक्षा श्रीमती गीता देवी त्रिपाठी व उनके पति श्री शिवकुमार त्रिपाठी ने ग्राम माण्डलगढ़ में स्थित उद्योग विभाग की आराजी खसरा नं. 797 रकबा 12 बिस्वा भूमि पर अनधिकृत रूप से अवैध निर्माण कर मकान बनाया तथा भूमि रूपान्तरण शुल्क, विकास शुल्क व अन्य किसी प्रकार का शुल्क जमा नहीं करवा कर नगरपालिका को नुकसान पहुंचाया और अधिशाषी अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद बोहरा ने भी अपने पद का दुरूपयोग कर कोई कार्यवाही नहीं की।

इस परिवाद में इस सचिवालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जान पर स्थानीय निकाय विभाग के पत्र दिनांक 16.10.2009 के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण की जांच कराये जाने पर बिना भू उपयोग परिवर्तन किये आवासीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में दोषी पाये गये श्री राजेन्द्र सिंह देथा, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, श्री रफीक मोहम्मद बेग एवं श्री अशोक भट्ट, लिपिक, नगर पालिका, माण्डलगढ़ के विरूद्ध नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किये जा चुके हैं तथा श्रीमती गीता देवी त्रिपाठी, तत्कालीन अध्यक्षा के विरूद्ध प्रकरण न्यायिक जांच में भिजवा दिया गया है।

एफ. 16(83)लोआस/2005

श्री राम कुमार वर्मा निवासी वार्ड सं. 25, राजगढ़, जिला चूरू ने यह परिवाद यह परिवाद इस आशय का पेश किया कि राजगढ़ कस्बे के वार्ड 25 में सार्वजनिक चौक व आम रास्ते के एक भूखण्ड, जो कुआं फतेहपुरियान व राजकीय प्राथमिक विद्यालय नं. 1 के बीच में स्थित है, पर सुरेश कुमार पुत्र राम लाल जांगिड़ ने दिनांक 25-26 दिसम्बर, 1997 को रातों-रात अतिक्रमण कर मकानात का निर्माण करा लिया जिसे हटवाया जावे व दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

इस प्रकरण में निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 18.1.2008 के द्वारा सूचित किया कि संबंधित भूमि पर सिविल न्यायालय द्वारा यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिये हुए है, इसलिये अतिक्रमण हटाया जाना संभव नहीं है। अन्य पत्र दिनांक 8.9.2008 के अनुसार अतिक्रमण की गई भूमि को खांचा भूमि का दर्जा देने के लिए दोषी श्री राम कुमार आर्य, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, राजगढ़ के विरूद्ध नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिया गया है। पत्र दिनांक 16.10.2009 के अनुसार विस्तृत जांच कराये जाने हेतु आदेश दिनांक 26.5.2009 के द्वारा विशेषाधिकारी, जांच को जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है।

एफ. 16(78)लोआस/2005

श्री शैतानराम निवासी कुआ सिरसावाला तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झूनू ने यह परिवाद ग्राम उदयपुरवाटी की सरकारी भूमि खसरा नं. 1716 व 1717 अवैध रूप से पट्टा जारी करने के संबंध में प्रस्तुत किया गया।

इस संबंध में निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग ने अपने पत्र दिनांक 3.6.2009 के द्वारा सूचित किया कि परिवाद की जांच में दोषी पाये गये तत्कालीन अध्यक्षा श्रीमती उषा देवी के विरूद्ध आरोप की न्यायिक जांच कराने हेतु प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय को प्रकरण प्रेषित किया जा चुका है तथा तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी श्री बलदेव सिंह लाम्बा को नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत आरोप पत्र दिया जा चुका है।

एफ. 16(138)लोआस/2007

यह परिवाद श्री रामकुमार शर्मा ने नगर परिषद, भरतपुर की पार्षद श्रीमती किरनदेई द्वारा अपने मकानों के आगे सड़क की भूमि पर अतिक्रमण करने के संबंध में प्रस्तुत किया गया जिसके संबंध में संभागीय आयुक्त, भरतपुर ने जिला कलक्टर, भरतपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर अपने पत्र दिनांक 6.11.2008 के द्वारा अवगत कराया कि रामकुमार के विरूद्ध अतिक्रमण करने के फलस्वरूप न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया है तथा उक्त अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण होने देने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

जिला कलक्टर, भरतपुर के पत्र दिनांक 1.1.2009 के अनुसार श्रीमती किरनदेई द्वारा किये गये अतिक्रमण को मौके से हटा दिया गया है। स्थानीय निकाय विभाग के पत्र दिनांक 13.10.2009 के अनुसार अतिक्रमण न होने देने व बाद में न हटाने की कार्यवाही न करने के दोषी लोकसेवक श्री रोहित चौधरी, तत्कालीन सचिव, नगर परिषद, भरतपुर के विरूद्ध नियम 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करदी गई है तथा इसी तरह कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 28.1.2010 के अनुसार अन्य लोकसेवक श्री लक्ष्मीकान्त, बालौत, तत्कालीन आयुक्त आर.ए.एस. अधिकारी के विरूद्ध दिनांक 27.1.2010 को आरोप पत्र जारी किये जा कर विभागीय जांच प्रारंभ की जा चुकी है।

एफ. 16(50)लोआस/2008

श्री नरेश शर्मा पुत्र श्री जानकी प्रसाद शर्मा निवासी बजरिया, सवाईमाधोपुर ने यह परिवाद प्रस्तुत कर नगरपालिका, सवाईमाधोपुर के अधिकारियों पर भू माफियाओं से मिलीभगत करके सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण कराये जाने का आरोप लगाया व इसकी जांच कर दोषियों को दण्डित कराने की प्रार्थना की।

इस शिकायत के संबंध में प्रसंज्ञान लिया जाकर कार्यवाही करने पर निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 1.7.2009 के द्वारा अवगत कराया कि परिवाद की जांच कराये जाने पर श्री राकेश शर्मा एवं श्री लक्ष्मीनारायण, अधिशाषी अधिकारी,

नगरपालिका, सवाईमाधोपुर को श्री रमेश चन्द पुत्र श्री भंवर लाल को बिना नीलामी के खांचा भूमि आवंटित करने एवं फर्जी तौर पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करदी गई है।

सिंचाई विभाग

एफ.23(11)लोआस/2003

यह परिवाद श्री शैलेन्द्र गोदारा, अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा, चारणवाला ब्रान्च, आर. डी. भारेवाला तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर ने सिंचाई अधिकारियों द्वारा क्षेत्र के प्रभावशाली कृषकों को अवैध लाभ पहुंचाने की दृष्टि से सिंचाई के उपयोगार्थ जल का विक्रय कर भ्रष्टाचार करने के संबंध में प्रस्तुत किया व जांच कर दोषियों को दण्डित किये जाने की प्रार्थना की।

इस परिवाद में प्रसंज्ञान लिये जाने पर सचिव, इन्दिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 23.10.2004 के द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण की जांच अधिशाषी अभियन्ता, सतर्कता, गुण नियंत्रण एवं तकनीकी परीक्षक, खण्ड-II, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, फलौदी से करवाई गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार अनियमिता करने वाले अभियन्ताओं के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता, इगानप, बीकानेर से प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। पत्र दिनांक 11.9.2008 के अनुसार श्री पी.के.गोविल, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता का प्रकरण राज्य सरकार द्वारा आरोप निराधार होने के कारण समाप्त कर दिया गया व पत्र दिनांक 7.8.2009 के अनुसार अन्य लोकसेवक श्री पी.आर.सोनी, अधिशाषी अभियन्ता, चारणवाला खण्ड-II, इ.गा.न.प., बीकमपुर को नियम 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत दिनांक 23.7.2009 को बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के 11 ठोकरों का अनधिकृत रूप से निर्माण करवाने के संबंध में चार्जशीट जारी की जा चुकी है। प्रतिवेदनाधीन अवधि में उक्त लोकसेवक के विरूद्ध जारी विभागीय जांच का परिणाम अपेक्षित था।

एफ. 24(5)लोआस/2007

परिवादी श्री प्यारे लाल जाटव, सेवानिवृत्त मिस्त्री, जल संसाधन विभाग, अलवर ने यह परिवाद दिनांक 18.9.2007 को इस आशय का पेश किया कि वह दिनांगक 30.4.2007 को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हुआ था, परन्तु उसे अभी तक भी पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है और न ही उसके यात्रा भत्ता व चिकित्सा बिलों का भुगतान किया जा रहा है जो शीघ्र दिलवाया जावे और दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

प्रकरण में कार्यवाही किये जाने पर मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय पत्र दिनांक 5.6.2008 के द्वारा अवगत कराया गयाकि परिवादी को 28.5.2008 को पेंशन स्वीकृत होकर पी.पी.ओ. नं. 175101 (आर), जी.पी.ओ. नं. 272804 (आर) एवं सी.पी.ओ. नं. 184186 (आर) जारी हो चुके हैं। जी.पी.एफ. एवं राज्य बीमा राशि का भुगतान भी किया जाचुका है तथा चिकित्सा बिल राशि रूपये 3247/-, यात्रा भत्ता बिल

राशि रूपये 9079/- का भुगतान भी किया जा चुका है व पत्र दिनांक 15.2.2010 के अनुसार पेंशन में विलम्ब करने के उत्तरदायी लोकसेवक श्री धर्मवीर भारद्वाज, सहायक अभियन्ता के विरूद्ध नियम 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करदी गई है। प्रतिवेदनाधीन अवधि में विभागीय जांच का परिणाम अपेक्षित था।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

एफ.31(15)लोआस/2000

यह परिवाद श्री बाबूलाल श्री गोपाल शर्मा, उपाध्यक्ष, नगर युवक कांग्रेस, सादुलपुर जिला चूरू द्वारा सादुलपुर उपखण्ड में पिछले तीन वर्षो से टैंकरों से जलापूर्ति करवाये जाने के कार्य में लाखों रूपये के घोटाले की जांच करने के प्रस्तुत किया गया।

इस परिवाद में इस सचिवालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग क्षेत्र, बीकानेर के पत्र दिनांक 12.12.2002 के द्वारा अवगत कराया गया कि परिवाद की जांच कराने पर टैंकर मालिकों को अधिक भुगतान किया जाना पाये जाने पर उनसे वसूल की कार्यवाही की जा रही है। पत्र दिनांक 10.10.2003 के द्वारा अवगत कराया गया कि कुल वसूली योग्य राशि रूपये 1,65,842/- में से 60,721/- की वसूली संबंधित फर्मो से की जा चुकी है तथा शेष राशि की वसूली तहसीलदार, तारानगर द्वरा की जानी शेष है। शासन उप सचिव, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र दिनांक 27.1.2010 एवं 19.3.2010 के अनुसार श्री के.सी.वर्मा, अधिशाषी अभियन्ता को कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 18.1.2010 को नियम 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत चार्जशीट जारी करदी गई है तथा श्री नरसिंह दत्त, श्री रामदयाल मीणा, श्री जयसिंह पूनिया एवं श्री देवकरण श्योराण को दिनांक 11.2.2010 को नियम 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिये गये हैं।

एफ.31(7)लोआस/2005

यह परिवाद श्री दिनेश जैन, निवासी ग्राम रैणी जिला अलवर ने खण्ड राजगढ़ में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लोकसेवकों द्वारा ब्लीचिंग पाउडर के भुगतान में गबन करने, रोनीजाथान में एक नलकूप का दो बार भुगतान करने, राजगढ़ में ड्राइ पड़े नलकूपों का भुगतान करने, पाइप लाइन कम गहराई पर डलवा कर अधिक गहराई के अनुसार भुगतान करने, टैंकरों द्वारा किये गये जल परिवहन में घोटाला करने आदि के आरोपों की जांच के संबंध में प्रस्तुत किया।

इस परिवाद पर कार्यवाही करने पर कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 6.12.2007 के द्वारा अवगत कराया गया कि परिवाद के बिन्दु संख्या 1 के उप बिन्दु (6), बिन्दु संख्या 9,11, 13 से 16 एवं 24 से 27 में लगाये आरोपों की जांच में दोषी पाये गये लोकसेवकगण सर्वश्री पी.सी.शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, एल.पी.बैरवा, सहायक अभियन्ता, लोकेश शर्मा, रोहिताश

पाराशर, वी.एस.बैरवा, कनिष्ठ अभियन्तागण को दिनांक 4.10.2007 को नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिये गये हैं।

मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 12.6.2009 के अनुसार परिवाद के बिन्दु संख्या 1 के उप बिन्दु (1से 5), बिन्दु संख्या 2 से 8, 10, 12 व 17 में लगाये गये अन्य आरोपों के संबंध में वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जलप्रदान एवं सीवरेज प्रबन्धक मण्डल, जयपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाये गये अन्य लोकसेवकगण सर्वश्री पी.सी.शर्मा, अधिषाषी अभियन्ता, श्री बी.एस.मीणा, अधिशाषी अभियन्ता, श्री पी.सी.गुप्ता, सहायक अभियन्ता एवं वेद प्रकाश सैनी, कनिष्ठ अभियन्ता के विरूद्ध नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत आरोप पत्रादि प्रशासनिक विभाग को भिजवा दिये गये हैं।

एफ.31(11)लोआस/2007

श्री दिनेश जैन, निवासी ग्राम रैणी जिला अलवर ने यह परिवाद प्रस्तुत कर श्री शांतिलाल ओसवाल, अभिशाषी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड दौसा द्वारा अपने कार्यकाल में सीमित निविदा के माध्यम से एक करोड़ रूपयों की खरीद ऊंची दरों पर करने का आरोप लगाया व मामले की जांच कर दोषी को दण्डित करने की प्रार्थना की।

इस परिवाद के संबंध में मुख्य अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे जाने पर अपने पत्र दिनांक 2.6.2008 एवं 11.6.2009 के द्वारा अवगत कराया कि वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, जयपुर की विशेष जांच में दोषी पाये जाने पर श्री शांतिलाल ओसवाल, तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, खण्ड दौसा के विरूद्ध दिनांक 27.10.1994 के निर्देशों का उल्लंघन कर सीमित निविदा से क्रय करने, वित्तीय नियमों के विपरीत अधिक खर्च करने, बिना हाइड्रोलोजिस्ट से स्ट्रेटा का प्रमाण पत्र प्राप्त किये ही हैण्डपम्प खुदवाने के आरोपों के संबंध में नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत आरोप पत्र तैयार कर प्रशासनिक विभाग को भिजवा दिये गये थे जिस पर कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 26.5.2009 को उक्त लोकसेवक को नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिये गये हैं।

एफ. 31(12)लोआस/2008

श्री राजेन्द्र कुमार टांक निवासी ग्राम मंगलपुरा तहसील लाडनूं, जिला नागौर ने यह परिवाद इस आरोपों के साथ प्रस्तुत किया कि श्री सोहन सिंह पुत्र श्री दुल सिंह भाटी कार्यप्रभारित से नियमित बेलदार के विरूद्ध फर्जी शैक्षणिक योग्यता एवं जन्म तिथि के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, लाडनू में राजकीय सेवा में नियुक्ति प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जावे।

इस परिवाद में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने पर मुख्य अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 29.7.2009 व 14.12.2009 के द्वारा अवगत कराया कि **नियम 16 सी.सी.ए.** के अन्तर्गत जांच में श्री सोहन लाल,

कार्यप्रभारित से नियमित बेलदार को जन्म तिथि एवं शैक्षणिक योग्यता के गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर सरकारी नौकरी प्राप्त करने का दोषी पाये जाने उसे आदेश दिनांक 30.10.2009 के द्वारा राज्य सेवा से निष्काषित कर दिया गया है।

एफ.31(7)लोआस/2009

यह परिवाद श्री बाबूलाल चावला, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं मानव अधिकार संस्थान, 9, गोकुलपुरी एयरपोर्ट के सामने, सांगानेर ने यह परिवाद प्रस्तुत कर श्री आर.पी.माथुर, अधीक्षण अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर वृत, जयपुर के विरूद्ध निविदा संख्या 113 एवं 114/08-09 में भ्रष्ट एवं अनियमित कार्यवाही कर राज्य सरकार को लाखों रूपयों की क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया जिसके संबंध में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर मुख्य अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 6.10.2009 के द्वारा अवगत कराया कि श्री आर.पी.माथुर के विरूद्ध नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत आरोप पत्रादि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

समाज कल्याण विभाग

एफ. 32(2)लोआस/2007

यह परिवाद श्रीमती सुनीता जैन व अन्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं निवासी तहसील कठूमर, जिला अलवर ने श्रीमती पिस्ता चौधरी, महिला पर्यवेक्षक, कठूर, अलवर द्वारा मानदेय बिलों एवं अन्य बिलों में भुगतान में अनधिकृत रूपसे राशि मांगने व असभ्यता से पेश आने के संबंध में प्रस्तुत किया व इसके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की।

इस परिवाद में कार्यवाही करने पर निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 8.7.2008 के द्वारा सूचित किया कि उक्त लोकसेविका श्रीमती पिस्ता चौधरी, महिला पर्यवेक्षक, कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, कठूमर, जिला अलवर को दिनांक 4.7.2008 से नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत आरोप पत्र दिया जा चुका है। पत्र दिनांक 29.5.2009 के अनुसार लोकसेविका द्वारा आरोप अस्वीकार किये जाने पर आदेश दिनांक 19.5.2009 के द्वारा विस्तृत जांच के लिए उप निदेशक, आई.सी.डी.एस., दौसा को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। प्रतिवेदनाधीन अवधि में विभागीय जांच का परिणाम अपेक्षित था।

एफ. 32(10)लोआस/2007, 32(11)लोआस/2007 एवं 32(15)लोआस/2007

पहला परिवाद श्री लाखन सिंह पुत्र श्री बैजनाथ ठाकुर निवासी ग्राम बरेहमोरी, जिला धौलपुर ने, दूसरा परिवाद श्रीमती सुखिया पत्नी श्री बच्चूसिंह लोधा ग्राम पोस्ट मरैना, जिला धोलपुर ने तथा तीसरा परिवाद श्रीमती ईश्वरवती पत्नी श्री शिवशंकर ठाकुद निवासी बरेहमोरी, जिला धौलपुर ने लोकसेवक श्रीमती माया जैन, उप निदेशक, आई.सी.डी.एस., धौलपुर के विरूद्ध नियमों को ताक पर रख कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगाने के प्रस्तुत किया ।

इस संबंध में कार्यवाही करने पर निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 25.3.2008 के द्वारा अवगत कराया कि श्रीमती माया जैन के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के कम में उसे दिनांक 15.3.2008 को निलम्बित किया जा चुका है व अगले पत्र दिनांक 24.2.2009 के द्वारा अवगत कराया कि उक्त लोकसेविका के विरूद्ध श्रीमती ईश्वरवती पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बरेहमोरी-प्रथम एवं श्रीमती बीना लोधा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एलनाबाद को बिना नोटिस व सुनवाई के मानदेय सेवा से हटाये जाने, परिवादिया सुखिया को प्रशिक्षण में भेजे जाने एवं कार्यग्रहण करवाने हेतु निर्देशित नहीं करने, श्रीमती ममता के फर्जी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की शिकायत पर जांच नहीं करने, सहायिकाओं का अनधिकृत रूप से स्थानान्तरण करने, आदि के आरापों के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया जाकर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। प्रतिवेदनाधीन अवधि में विभागीय जांच का परिणाम अपेक्षित था।

एफ. 32(14)लोआस/2007

यह परिवाद श्रीमती सरोज देवी पत्नी श्री सरनाम सिंह गूर्जर निवासी जैतपुर, राजाखेड़ा, जिला धौलपुर ने यह परिवाद श्रीमती शीलादेवी को फर्जी शिक्षा प्रमाण पत्र होने के बावजूद भी आंगणबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर लगाने के संबंध में प्रस्तुत किया और दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस परिवाद में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर निदेशक एवं शासन उप सचिव, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 5.6.2008 व 24.2.2009 के द्वारा अवगत कराया कि श्रीमती आशा चौहान एवं श्रीमती सरोज अग्रवाल, बाल विकास परियोजना अधिकारी के विरूद्ध आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर कार्मिक विभाग द्वारा नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है। प्रतिवेदनाधीन अवधि में विभागीय जांच का परिणाम अपेक्षित था।

एफ. 32(6)लोआस/2008

यह परिवाद जितेश पटेल निवासी अजमेर ने लोकसेवक श्री विमल कुमार यादव, कार्यालय सहायक, कार्यालय उप निदेशक, आई.सी.डी.एस., अजमेर के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि उक्त लोकसेवक राजकीय सेवामें कार्यरत रहते हुए भी भवन निर्माण की ठेकेदारी का कार्य कर रहा है तथा उसके विरूद्ध न्यायालय द्वारा निर्णय पारित होने पर भी उसने विभाग को सूचित नहीं किया।

इस परिवाद में कार्यवाही करने पर निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 14.5.2009 द्वारा उक्त लोकसेवक के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को प्रथम दृष्टया सही मानते हुए उसके विरूद्ध नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किये जाने की सूचना प्रेषित की। प्रतिवेदनाधीन अवधि में विभागीय जांच का परिणाम अपेक्षित था।

खान एवं भू विज्ञान विभाग

एफ.45(4)लोआस/2002

यह परिवाद श्री शैतान सिंह सांखला, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान कॉन्ट्रेक्टर्स एडवाइजरी एण्ड वेल्फेयर कमेटी, नयापुरा, लालसागर, पो. बी.एस.एफ. मण्डोर रोड़, जोधपुर ने इस आशय का प्रस्तुत किया कि खनिज विभाग के अतिरिक्त निदेशक श्री श्याम लाल माथुर ने भेड़ (नागौर) में मैसर्स नेशनल लाइम के विजीलेन्स की रिपोर्ट के विरूद्ध होने के बावजूद भी खनन करने के लिए उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की, बोरूंदा स्थिति लाइम स्टोन प्लाट, जो कि वर्ष 1992 से 50 लाख रूपये बकाया होने के कारण अधिकारिक रूप से बंद करा दिया गया था, के मालिक से बकाया की वसूली नहीं कर मिलीभगत करके खनन जारी रखवाया, खनि अभियन्ता, सतर्कता द्वारा इसी तरह के सी.पी.मिश्रा के मामले में कार्यवाही नहीं की गई व बड़ली में अवैध खनन करवाया गया और इस तरह राजकोष को भारी हानि पहुंचाई गई जिसकी जांच की जाकर दोषियों को दण्डित किया जावे।

परिवाद में शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने अपने पत्र दिनांक 24.9.2003 के द्वारा अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन एवं अतिरिक्त निदेशक, खान, मुख्यालय, उदयपुर एवं अतिरिक्त निदेशक, खान, उदयपुर जोन, उदयपुर से कराई गई जांच की रिपोर्ट की प्रति प्रेषित कर सूचित किया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन खनि अभियन्ता, जोधपुर, खनि अभियन्ता, सतर्कता, जोधपुर, खनि अभियन्ता, नागौर एवं अतिरिक्त निदेशक, खान, जोधपुर के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के प्रस्ताव भिजवाने हेतु निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर को निर्देशित कर दिया गया है।

तत्पश्चात् कार्मिक विभाग ने अपने पत्र दिनांक 28.5.2009 के द्वारा अवगत कराया कि श्री श्याम लाल माथुर, श्री ओ.पी.बम्ब, श्री एम.एल.मरमट एवं श्री अब्दुल लतीफ शेख के विरूद्ध ज्ञापन दिनांक 29.3.2006 के द्वारा नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किये जाकर आदेश दिनांक 7.2.2008 के द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। आदेश दिनांक 24.12.2009 के द्वारा श्री अब्दुल लतीफ शेख को आरोप प्रमाणित नहीं होने पर दोषमुक्त कर दिया गया। प्रतिवेदनाधीन अवधि में अन्य लोकसेवकों के विरूद्ध विभागीय जांच का परिणाम अपेक्षित था।

अध्याय-5

अनुतोष के प्रकरण
(1.4.2009 से 31.3.2010)

दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2010 की कालावधि के कुछ महत्वपूर्ण अनुतोष प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :-

पुलिस विभाग

एफ. 3(119)लोआस/2008

श्री रामसिंह, सेवानिवृत्त हैड कांस्टेबल नं. 547 हाल कृष्णपुरी, भरत मेटल के पास, सिरोही ने यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह दिनांक 31.7.2008 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हुआ था। पेंशन केस भिजवाने पर पेंशन विभाग ने उसका पेंशन केस इस आक्षेप के साथ वापिस लौटा दिया कि जब सेवानिवृत्ति तिथि जून, 2008 में थी तो जुलाई, 2008 में सेवानिवृत्त क्यों किया गया। यह पुलिस विभाग की गलती है। परिवादी को डेढ माह बाद भी पेंशन नहीं मिल रही है जिससे उसे आर्थिक परेशानी हो रही है। परिवादी का यह भी कथन है कि वह एक माह का वेतन वापिस जमा कराने को भी तैयार है।

परिवाद में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा अवगत कराया गया कि परिवादी ने स्वयं ने अपनी जन्म तिथि में सेवारत रहते कोई सुधार नहीं करवाया, इसलिये वह स्वयं दोषी है। राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 3 के नियम 8(2)(क)(2) के प्रावधान के अनुसार सेवा पुस्तिका में उल्लिखित जन्मतिथि के अनुसार किसी कर्मचारी को अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत किया जा सकता है और सेवानिवृत्ति आदेश उसी के अनुसार जारी किया गया है। नियमानुसार परिवादी द्वारा एक माह अधिक की गई सेवा का उठाया गया वेतन वापिस जमा नहीं कराया जावेगा। परिवादी का पेंशन प्रकरण आक्षेप की पूर्ति करके वापिस पेंशन विभाग को भिजवा दिया गया है। पेंशन में डेढ़ माह की देरी के लिए इस प्रकार परिवादी स्वयं जिम्मेदार है।

एफ. 3(176)लोआस/2008

यह परिवाद सूर्यनगर, महेश नगर, केशव विहार, मंगल विहार आदि के निवासीगण द्वारा इस आशय का पेश किया गयाकि सूर्य नगर, गणेश मार्ग, गोपालपुरा बाईपास रोड के बीच सड़क पर दूध की डेयरी तथा दिन-प्रतिदिन नई-नई मूर्तियां लाकर महेश शर्मा व महादेव द्वारा रास्ता अवरूद्ध कर काफी ऊंचाई तक अवैध निर्माण करने बाबत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 24.12.2000 को थाना इंचार्ज, महेश नगर को दिया गया था, परन्तु उनके विरूद्ध नगर निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर डेयरी व पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकारण, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 12.3.2009 एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर नगर निगम ने अपने पत्र दिनांक 21.4.2009 के द्वारा अवगत कराया कि सूर्य नगर, महेश नगर, केशव विहार, मंगल विहार में वर्णित गोपालपुरा बाईपास से महेशनगर मोड़ के सड़क के बीच स्थिति पेड़ के बराबर लगी डेयरी बूथ, शनि मंदिर, गणेश मंदिर व हनुमान मंदिर के अतिक्रमणों को मौके पर दुर्घटना होने के कारण वहां की आम जनता द्वारा पूर्णतया हटा दिया गया है। वर्तमान में मौके पर सड़क पर किसी प्रकार का अतिक्रमण मौजूद नहीं है।

एफ. 3(51)लोआस/2009

श्री ताराचन्द सैनी निसासी कोर्ट रोड, चूरू ने यह परिवाद इस आशय का पेश किया कि उसने तीन वर्ष पहिले जिला उद्योग केन्द्र से ऋण लेकर गाड़ियों के सीट कवर सिलने का कार्य कोर्ट रोड पर प्रारम्भ किया था। चुरू जिला मुख्यालय पर राजस्थान पुलिस में कार्यरत कांस्टेबल श्री लक्ष्मण सिंह कांस्टेबल नं0. 646 का प्राइवेट बसों का कार्य है जिसने परिवादी की दुकान से अपनी बसों हेतु सीट कवर सिलवाये, परन्तु मजदूरी के शेष 5,930/- रूपये नहीं दिये और रूपये मांगने पर गालियां देता है व झगड़ा करता है। अतः उसके विरूद्ध कार्यवाही की जावे व परिवादी के मजदूरी के पैसे दिलवाये जावे।

इस संबंध में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर पुलिस अधीक्षक, चूरू ने अपने पत्र दिनांक 2.9.2009 के द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की फोटो प्रति संलग्न करते हुए अवगत कराया कि परिवादी को शेष रूपये 5,930/- का भुगतान दिनांक 31.8.2009 को प्राप्त हो गया है।

सहकारिता विभाग

एफ. 4(3)लोआस/2009

यह परिवाद श्रीमती शोभा के.एस., सेवानिवृत्त वरिष्ठ लिपिक, निवासी माही सरोवर नगर, हाउसिंग बोर्ड, बांसवाड़ा ने इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह वरिष्ठ लिपिक के पद से सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बांसवाड़ा के कार्यालय से दिनांक 30.6.2008 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त हुई थी। सेवानिवृत्ति के 10 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी उसे पेंशन व अन्य लाभों का भुगतान नहीं किया जा रहा है जो शीघ्र दिलवाये जावें।

इस संबंध में प्रसंज्ञान लिये जाने पर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 9.6.2009 के द्वारा अवगत कराया गया कि परिवादिया का पेंशन प्रकरण स्वीकृति हेतु दिनांक 26.5.2009 को भिजवाया जा चुका है। परिवादिया ने अपने पत्र दिनांक 20.8.2009 के द्वारा धन्यवाद देते हुए सूचित किया कि उसे पेंशन एवं सेवा लाभ के पेटे रूपये 6.94 लाख दिनांक 12.8.2009 को प्राप्त हो गये हैं।

शिक्षा विभाग

एफ. 5(74)लोआस/2004

परिवादी श्री छिद्दी सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह निवासी वरताई तहसील कुम्हेर, जिला भरतपुर ने यह परिवाद लखमी सिंह पुत्र श्री घनश्याम सिंह, अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, महरावर, तहसील कुम्हेर द्वारा फर्जीवाड़े से नौकरी कर रहे होने के संबंध में प्रस्तुत किया और कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस प्रकरण में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने पर निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 9.3.2009 के द्वारा यह अवगत कराया कि जांच में श्री लखमी सिंह अध्यापक द्वारा फर्जी दस्तावेजात के आधार पर नौकरी प्राप्त करना पाये जाने पर उसे आदेश दिनांक 28.1.2009 के द्वारा तत्काल प्रभाव से राज्य सेवा से निष्कासित कर दिया गया है।

एफ. 5(47)लोआस/2005

यह परिवाद जयश्री सोनी निवासी विजय बाड़ी, गली नं.2, तीन दुकान, सीकर रोड, जयपुर ने अपनी स्वर्गीय माता श्रीमती आशा टांक, वरिष्ठ अध्यापिका का स्थायीकरण का लाभ, अनुकम्पा नियुक्ति दिलाये जाने, वेतन स्थिरीकरण का लाभ दिलाये जाने, अर्जित अवकाश का भुगतान दिलाये जाने आदि के संबंध में प्रस्तुत किया।

इस प्रकरण में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र दिनांक 25.11.2008 एवं 6.8.2009 के द्वारा अवगत कराया गया कि नियमानुसार परिवादिया को पारिवारिक पेंशन ही देय है और परिवादिया के नाम से पारिवारिक पेंशन जारी करवादी गई है।

एफ. 5(76)लोआस/2007

यह परिवाद श्री पी.के.शर्मा, जोशी निवास के पीछे, जटवाड़ा, मानटाउन, सवाईमाधोपुर के द्वारा 9 माह का गरीब विकलांग महिला पैराटीचर का भुगतान दिलवाये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया जिसके संबंध में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर के द्वारा उनके पत्र दिनांक 2.9.2009 के द्वारा यह अवगत कराया गया कि विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, जटवाड़ा खुर्द के द्वारा संचालित शिक्षा मित्र केन्द्रों के बकाया भुगतान प्रकरण में रूपये 72,300/- का भुगतान दिनांक 31.7.2009 को चैक संख्या 462633 द्वारा कर दिया गया है जिसमें सवाईमाधोपुर ब्लॉक के बकाया भुगतान राशि रूपये 30,300/- एवं बौंली ब्लॉक के बकाया भुगतान राशि रूपये 42,000/- भी शामिल है।

एफ. 5(73)लोआस/2008

परिवादी श्रीमती पांची देवी मीणा निवासी महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा ने यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके पति की मृत्यु दिनांक 3.4.2007 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सिण्डौली जिला दौसा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत रहते हो गई थी। उसने अपने बड़े पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण मीणा को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्ति दिलाने हेतु एक वर्ष पूर्व आवेदन पत्र दिया था, परन्तु अभी तक भी नियुक्ति नहीं दी जा रही है।

इस सचिवालय द्वारा इस परिवाद में कार्यवाही किये जाने पर अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 11.8.2009 के द्वारा सूचित किया कि आवेदक को अनुकम्पा के आधार पर आदेश दिनांक 18.6.2009 के द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति दी जा चुकी है।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

एफ. 7(21)लोआस/2008

श्री फूलाराम मेघवाल निवासी कच्ची डबली कला तहसील टीबी, जिला हनुमानगढ़ ने यह शिकायत इस आशय की प्रस्तुत की कि वह बी.पी.एल. कार्ड धारक गरीब व्यक्ति है लेकिन राशन डीलर कृष्ण सोनी उसे राशन नहीं देता है जिसकी शिकायत एस.डी.एम., जिला कलक्टर, जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को की, परन्तु कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

इस परिवाद में कार्यवाही किये जाने पर जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 12.2.2009 के द्वारा अवगत कराया कि मौके पर जांच करने पर अनियमितता किया जाना पाये जाने पर राशन डीलर का प्राधिकार पत्र मौके पर ही निलम्बित कर दिया गया है। परिवादी ने मौके पर पड़ा गेहूँ लेने से इंकार कर दिया।

एफ. 7(22)लोआस/2008

श्री दिनेश कुमार जैन, महामंत्री, शहर कांग्रेस कमेटी, निवाई ने यह परिवाद निवाई नगरपालिका क्षेत्र में कार्यरत 14 राशन डीलरों के द्वारा कालाबाजारी करने, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कालाबाजारी में लिप्त राशन डीलरों के लाइसेंन्स निरस्त करने के बाद भी जिला रसद कार्यालय, टोंक की मिलीभगत से दुकानें यथावत चालू होने के संबंध में प्रस्तुत किया व शीघ्र कार्यवाही की प्रार्थना की।

इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे जाने पर अर्द्धशासकीय टीप दिनांक 3.6.2009 के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त 14 डीलरों के प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिये गये थे जिसके विरूद्ध उनके द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गई थी जो खारिज कर दिये जाने पर उनके प्राधिकार पत्र निरस्त किये जा चुके हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

एफ. 8(64)लोआस/2004

श्री राजीव कुमार कालरा निवासी 202, साउथ वेस्ट ब्लॉक, अलवर ने यह परिवाद इस आशय का पेश किया कि उसने सन् 2002 में देवनहल्ली, बैंगलोर से डी फार्मेसी की योग्यता प्राप्त की है। उसने अपना पंजीयन रजिस्ट्रार, राजस्थान फार्मेसी कौन्सिल, जयपुर के यहां कराने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 17.6.2004 में जमा करा दिया था जिसके साथ आवश्यक कागजात भी लगा दिये थे तथा शुल्क के रूपये 1000/- भी जमा करा दिये थे, परन्तु 10-15 बार चक्कर लगाने के बावजूद भी पंजीयन नहीं किया जा रहा है।

इस सचिवालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने एवं काफी पत्राचार करने के उपरान्त प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्र दिनांक 9.7.2009 के द्वारा अवगत कराया कि परिवादी का पंजीयन फार्मेसी काउन्सिल में संख्या 28601 पर दिनांक 8.7.2009 को कर प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। कॉलेज से विधिवत् वेरिफिकेशन काउन्सिल को प्राप्त होने पर मूल पंजीयन प्रमाण पत्र जारी कर दिया जावेगा।

एफ. 8(17)लोआस/2008

श्री डेनीयल विलियम निवासी 550, सुनार हवेली, आनासागर, घाटीगुंज, अजमेर ने यह परिवाद दिनांक 13.6.2008 को इस आशय का पेश किया कि उसकी माता श्रीमती आशा विलियम का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के अधीन प्रसाविका के पद पर सेवारत रहते दिनांक 28.1.1981 को निधन हो गया था, **परन्तु 27 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उन्हें पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है,** जो शीघ्र दिलवाया जावे।

इस प्रकरण में इस सचिवालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अपने पत्र **दिनांक 3.6.2009** के द्वारा अवगत कराया कि स्व. श्रीमती आशा विलियम, पूर्व प्रसाविका के पारिवारिक पेंशन प्रकरण का निस्तारण हो चुका है व पेंशन विभाग, अजमेर स्तर से पारिवारिक पेंशन के एल.टी.ए. एरियर का भुगतान व ग्रेच्यूटी का बराबर-बराबर भुगतान इनके पुत्र व पुत्रियों के नाम जारी कर दिये गये हैं।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से 27 वर्ष से वांछित पेंशन व पेंशन परिलाभों का भुगतान कराया गया।

एफ. 8(13)लोआस/2009

डॉ. जोगाराम, सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी निवासी 5, लाजपतराय कोलोनी, 5 बी चौपासनी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर ने यह परिवाद दिनांक 26.5.2009 को इस आशय का पेश किया कि वह दिनांक 31.7.2008 को सेवानिवृत्त हुए थे, परन्तु उन्हें अभी तक भी पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है जिसके संबंध में

निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 24.6.2009 के द्वारा अवगत कराया कि परिवादी के विरूद्ध विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण प्रोवीजनल पेंशन प्रकरण फरवरी, 2009 में निदेशालय में प्राप्त हुआ था।संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, ज्योति नगर, जयपुर को प्रोवीजनल पेंशन स्वीकृति हेतु एवं पी.पी.ओ., जी.पी.ओ. जारी करने हेतु लिखा जा चुका है।

विद्युत निगम

एफ. 10(8)लोआस/2009

श्री पंकज शर्मा निवासी दरगाहपीर, हिमालय डिपो, हरिद्वार ने यह परिवाद विद्युत कनेक्शन हेतु निगम में जमा कराई गई राशि रूपये 4000/- वापिस दिलवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया जिस पर प्रसंज्ञान लिये जाने पर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने उनके पत्र दिनांक 28.8.2009 के द्वारा अवगत कराया कि परिवादी द्वारा निगम में जमा करवाई गई राशि रिफण्ड करने हेतु लेखाधिकारी (अलवर वृत), जयपुर डिस्कॉम, अलवर द्वारा रूपये 4000/- का चैक संख्या 448391 दिनांक 4.8.2009 को जारी कर दिया गया है। परिवादी ने अपने पत्र दिनांक 20.10.2009 के द्वारा उक्त राशि प्राप्त हो जाना स्वीकार करते हुए परिवाद को समाप्त करने की प्रार्थना करते हुए सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

राजस्व विभाग

एफ.11(136)लोआस/2005

श्रीमती शारदा देवी निवासी रोहिड़ा, वार्ड नं. 3, पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही ने यह परिवाद इस आशय का पेश किया कि उसके पति स्व. श्री नाराण लाल सगरडा के नाम से पंचायत समिति, पिण्डवाड़ा द्वारा दिनांक 13.12.1975 को 30 गुणा 45 कुल 1350 वर्गफुट का भूखण्ड नि:शुल्क पट्टा आवंटित किया गया था जिसका कब्जा उन्हें नहीं दिया गया। बाद में इस भूमि पर पुलिस थाना, रोहिड़ा का निर्माण हो गया व उन्हें अन्यत्र भूमि आवंटित करने आश्वासन दिया गया परन्तु उन्हें अभी तक भी भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया है जो आवंटित कराया जावे। इस परिवाद में जिला कलेक्टर, सिरोही से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर उन्होंने अपने पत्र दिनांक 3.8.2009 द्वारा सूचित किया कि परिवादिया को दिनांक 27.7.2009 को पट्टे के अनुसार भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है जिस यह परिवाद दिनांक 25.11.2009 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(84)लोआस/2007

परिवादी श्री सुरताराम मेघवाल पुत्र श्री मोहन लाल, ग्राम राणासर, तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झूनू ने यह परिवाद उसे स्टाम्प वेण्डर का लाईसेन्स दिलवाये जाने बाबत प्रस्तुत किया। इस परिवाद के संबंध में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर अतिरिक्त महानिरीक्षक,

पंजीयन एवं मुद्रांक के पत्र दिनांक 11.2.2009 के अनुसार परिवादी को स्टाम्प वेण्डर का अनुज्ञा पत्र जारी कर दिया गया।

एफ.11(78)लोआस/2008

श्री सुरजाराम, श्री श्रवण कुमार व अन्य निवासी चक 6 एस.पी.एम., तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर ने यह परिवाद श्री सोहन लाल व देवकरण द्वारा उनके मकान के आगे से गुजर रहे 30 फुट चौड़े रास्ते में दीवार बना कर किये गये अतिक्रमण को हटवाने के संबंध में प्रस्तुत किया जिस पर जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिस पर उनके पत्र दिनांक 17.4.2009 के द्वारा सूचित किया गया कि मौके पर से अतिक्रमण को हटवा कर रास्ते को खुलवा दिया गया है।

एफ.11(109)लोआस/2008

परिवादी श्री रामलाल व अन्य निवासी ग्राम हनीफगंज, ग्राम पंचायत राणौली, तहसील पीपलू, जिला टोंक ने यह परिवाद ग्राम हनीफगंज में राणोली से जयपुर जाने वाले रास्ते पर हुए अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया जिस पर इस सचिवालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने पर जिला कलेक्टर, टोंक ने अपने पत्र दिनांक 19.3.2009 द्वारा सूचित किया कि मौके पर सीमा ज्ञान करवाकर रास्ते का अतिक्रमण हटवाकर मौके पर ग्रेवल सड़क बनवा दी गई है।

एफ.11(135)लोआस/2008

परिवादी श्री नेमचन्द पचारिया, ग्राम लूम्बासरिया, तहसील नोखा, जिला बीकानेर ने यह परिवाद खसरा न. 31 जोहड पायतन की भूमि में नाजायज अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया जिस पर इस सचिवालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने पर जिला कलेक्टर, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 13.7.2009 द्वारा सूचित किया कि खसरा नं. 31 की 150 मीटर भूमि पर से दिनांक 24.9.2008 को मौके पर से अतिक्रमण हटा कर कब्जा बहक सरकार ले लिया गया है।

एफ.11(177)लोआस/2008

परिवादी श्री प्रहलाद मीणा पुत्र श्री हीरालाल मीणा, ग्राम गण्डावर, तहसील खण्डार, जिला सवाईमाधोपुर ने यह परिवाद ग्राम गण्डावर में चारागाह भूमि पर से कब्जा हटाये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया जिसके संबंध में प्रसंज्ञान लिये जाने पर जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर ने अपने पत्र दिनांक 5.3.2009 द्वारा सूचित किया कि चारागाह की भूमि से अतिक्रमियों को बेदखल कर उन्हें तीन माह की सजा से दण्डित कर दिया गया है।

एफ.11(191)लोआस/2008

परिवादी श्री रामनिवास धाकड़ पुत्र श्री कन्हैया लाल धाकड़, ग्राम श्योपुर, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा ने यह शिकायत हलका पटवारी बमोलियाकलां, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा के द्वारा इजराय डिक्री की पालना नहीं करने के संबंध में प्रस्तुत की जिसके संबंध में इस

सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर जिला कलेक्टर, कोटा ने अपने पत्र दिनांक 24.7.2009 के द्वारा सूचित किया कि परिवादी को खसरा नं. 217 की भूमि 0.14 हैक्टेयर का कब्जा अतिक्रमियों को बेदखल करके दिला दिया गया है।

एफ.11(193)लोआस/2008

श्री चन्दा गूर्जर पुत्र श्री तेजा गूर्जर, बड़ा नया गांव, तहसील हिण्डौली, जिला बूंँदी ने यह परिवाद उसे खातेदारी अधिकारी दिलवाये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया जिसके संबंध में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर जिला कलेक्टर, बूंदी ने अपने पत्र दिनांक 21.7.2009 द्वारा सूचित किया कि परिवादी को नामान्तरण संख्या 2147 दिनांक 29.1.2009 के द्वारा गैरखातेदारी से खातेदारी हक दे दिया गया है।

एफ.11(28)लोआस/2009

श्री किशोरसिंह शेखावत ग्राम मोकलसानी, पोस्ट बटिण्डा, तहसील जोधपुर ने यह परिवाद ग्राम मोकलासनी तहसील जोधपुर में राजपूतो की शमशान भूमि को राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करवाये जाने बाबत प्रस्तुत किया जिसके संबंध में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर जिला कलेक्टर, जोधपुर ने अपने पत्र दिनांक 25.11.2009 के द्वारा सूचित किया कि श्मशान की भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर राजपूत समाज के मुख्य मौतबिरानों को दिनांक 17.7.2009 को कब्जा संभलवाया दिया गया है।

एफ.11(34)लोआस/2009

श्री प्रेमचन्द सुथार पुत्र श्री नत्थूराम सुथार, वार्ड नं. 15, रावतसर, जिला हनुमानगढ़ ने यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसने 15 आर.पी. लखुवाली के हाजी मोहम्मद पुत्र मुसा की 19 बीघा जमीन उसकी पत्नी के नाम से दिनांक 14.11.2007 को क्रय कर रजिस्ट्री करवाई थी। दिनांक 22.12.2007 को उस जमीन पर ट्रेक्टर का ऋण बकाया होना बता कर उस जमीन को रहन दर्ज कर दिया गया व उनके नाम इंतकाल नहीं हुआ। इस परिवाद के संबंध में जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिनके द्वारा अपने पत्र दिनांक 26.10.2009 के द्वारा सूचित किया गया कि विक्रेता हाजी मोहम्मद द्वारा समस्त बकाया बैंक ऋण चुकता करने पर बैंक द्वारा उक्त भूमि के संबंध में अदेयता प्रमाण पत्र दिनांक 27.3.2009 को जारी करने पर इंतकाल सं. 396 दिनांक 15.7.2009 से उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में रहन मुक्त दर्ज करदी गई है।

एफ.11(41)लोआस/2009

श्री रमेश माली एवं श्री शंकर लाल माली पुत्र श्री समर्थ माली निवासी बस स्टेण्ड के पास, सिरोही ने यह परिवाद उनकी की भूमि ओर पड़ौसी द्वारा दरवाजा निकालने व गाली-गलौच करने बाबत प्रस्तुत किया। इस परिवाद के संबंध में जिला कलक्टर, सिरोही से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उनके पत्र दिनांक 10.9.2009 द्वारा सूचित किया गया कि नगरपालिका, सिरोही द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति के विपरीत अप्रार्थी द्वारा खोले गये दरवाजे को दिनांक 3.9.2009 को बन्द करवा दिया गया है व गाली-गलौच करने के संबंध

में श्री ओमप्रकाश व श्री राधेश्याम वगैरह के विरूद्ध दिनांक 24.8.2009 को न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत कर दिया गया था जिस पर मुकदमा नं. 243/2009 दर्ज किया जाकर गैरसायलान को नोटिस जारी कर दिये गये हैं।

एफ.11(74)लोआस/2009

श्री फूसाराम एवं अन्य पुत्र श्री हेतराम विश्नोई, निवासी 4 एम.एस.आर, तहसील अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर ने यह परिवाद समुचित नकलें उपलब्ध न करवाये जाने बाबत प्रस्तुत किया जिसके संबंध में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्री गंगानगर के पत्र दिनांक 4.11.2009 के अनुसार परिवादी को चाही गई सूचनाएं उपलब्ध करवादी गई है।

एफ.11(80)लोआस/2009

श्री डूँगरराम सोलंकी, सचिव, मारवाड़ मेघवाल परिषद, पोस्ट खुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला पाली ने यह परिवाद राजस्व ग्राम मुडिया, तहसील रायपुर जिला पाली के बाबा रामेदव मंदिर की ओरण भूमि से अतिक्रमण हटवाये जाने बाबत प्रस्तुत किया जिसके संबंध में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर जिला कलेक्टर, पाली ने अपने पत्र दिनांक 11.11.2009 द्वारा सूचित किया कि ओरण भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को बेदखल करके अतिक्रमण हटा दिया गया।

एफ.11(84)लोआस/2009

श्री बद्रीलाल कुमावत व अन्य, **ग्राम पंवालिया, तहसील टोड़ारायसिंह, जिला टोंक ने यह परिवाद ग्राम पंवालिया की चरागाह की करीबन 125-150 बीघा भूमि पर से अतिक्रमण** हटवाये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया जिसके संबंध में इस सचिवालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने पर जिला कलेक्टर, टोंक ने अपने पत्र दिनांक 25.2.2010 द्वारा इस सचिवालय को सूचित किया कि अतिक्रमियों के विरूद्ध धारा 91, भू राजस्व अधिनियम के तहत् कार्रवाई की जाकर दिनांक **6.2.2009 को अतिक्रमियों को दण्डित कर मौके से बेदखल किया गया है।**

एफ.11(99)लोआस/2009

परिवादिया सुश्री संतोष पुत्री श्री बच्चूराम कोली, कजावा बस्ती, जैतारण, जिला पाली ने यह परिवाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारी उसका मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बना रहे हैं। इस शिकायत के संबंध में इस सचिवालय द्वारा जिला कलेक्टर, पाली को लिखे जाने पर उनके पत्र पत्र दिनांक 18.1.2010 द्वारा सूचित किया गया कि परिवादिया को मूल निवास प्रमाण पत्र दिनांक 12.10.2009 को जारी कर दिया गया।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

एफ. 12(106)लोआस/2008

यह परिवाद श्री शिवराज सिंह निवासी देवपुरा कलां ग्राम पंचायत रानीपुरा वार्ड नं. 4, तहसील उनियारा, जिला टोंक द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में अनियतताएं करने के संबंध में प्रस्तुत किया जिसे आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित किया गया जिसके संदर्भ में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक ने अपने पत्र दिनांक 3.12.2009 द्वारा अवगत कराया कि शिकायतकर्ता ने नरेगा योजनान्तर्गत सार्वजनिक तालाब मिट्टी खुदाई कार्य देवपुरा कलां में किया था जिसका भुगतान रूपये 720/- जरिये चैक नं. 1541605 दिनांक 8.9.2009 किया जा चुका है जो शिकायतकर्ता ने प्राप्त कर लिया है। शिकायत मूलतः भुगतान से संबंधित ही थी जो शिकायतकर्ता एवं मेट के बीच आपसी विवाद का परिणाम था।

एफ. 12(64)लोआस/2009 एवं 12(77)लोआस/2009

परिवाद संख्या एफ.12(64)लोआस/2009 में श्री सुरेन्द्र पारीक, सरपंच, ग्राम पंचायत, नेतेवाला के विरूद्ध नरेगा कार्य हेतु प्राप्त राशि का गबन किये जाने के आरोप लगाये गये तथा परिवाद संख्या 12(77)लोआस/2009 में पूर्व सरपंच सहित श्री सुरेन्द्र पारीक, सरपंच के विरूद्ध यह आरोप लगाया गया कि इन्होंने राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को वर्ष 1977 में आवंटित की गई 6 बीघा भूमि, जिसमें कि काफी गड्डे हो रखे थे, को समतल करके खेती करने के लिए वर्ष 1997 में श्री बृज मोहन ताखर को चार वर्ष के लिए ठेके पर दी थी, परन्तु चार वर्ष की अवधि गुजर जाने के पश्चात् भी न तो उससे ठेका राशि ही ली जा रही है और न ही भूमि ही वापिस ली जा रही है। यहां तक कि श्री सुरेन्द्र पारीक, सरपंच ने श्री बृजमोहन को नाजायज लाभ पहुंचाने की गरज से चार वर्ष की ठेका अवधि को 14 वर्ष में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार श्री सुरेन्द्र पारीक, सरपंच व बृजमोहन ताखर मिलकर ग्राम पंचायत, नेतेवाला को नुकसान पहुंचा रहे हैं व जमीन से नाजायज लाभ प्राप्त कर रहे हैं जिसकी जांच की जावे।

चूँकि सरपंच राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में दी गई लोकसेवक की परिभाषा में नहीं आते हैं, अतः इन दोनों परिवादों को नस्तीबद्ध कर इनकी एक-एक प्रति आवश्यक कार्यवाही करने व की गई कार्यवाही से इस सचिवालय को अवगत कराने हेतु जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को भेजी गई जिसकी पालना में जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र दिनांक 22.2.2010 द्वारा यह अवगत कराया कि प्रकरण की जांच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर द्वारा करवाई गई थी जिसमें श्री सुरेन्द्र पारीक, सरपंच, ग्राम पंचायत, नेतेवाला को दोषी पाये जाने पर उसके विरूद्ध आरोप पत्र तैयार कर अवर सचिव (जांच), पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर को भिजवाये जा चुके हैं।

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये प्रकरणों पर विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही किया जाना लोकायुक्त संस्था की अहमियत एवं सफलता को दर्शित करता है व इस विचार को बल प्रदान करता है कि यदि सरपंच, उप सरपंच तथा अन्य लोकसेवक, जिन्हें राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में दी गई ''लोकसेवक'' की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया हैं, को यदि ''लोकसेवक'' की परिभाषा में सम्मिलित कर दिया जावे तो आम जनता की ऐसी शिकायतों के अन्वेषण व समाधान के लिए लोकायुक्त संस्था द्वारा आधिकारिक तौर पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जा सकती है।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग/स्वायत्त शासन विभाग

एफ. 16(209)लोआस/2004

श्रीमती विद्यावती शर्मा निवासी 302, कृष्णा नगर, भरतपुर ने यह परिवाद इस आशय का पेश किया कि प्लाट नं. 301 के निर्माणकर्ता श्री बंसल ने प्लाट नं. 307 से 302 तक के मकानों के नाली में आने वाले पानी को माह जनवरी से मिट्टी तथा खण्डे डाल कर रोक दिया है जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस परिवाद में कार्यवाही करने पर संभागीय आयुक्त, भरतपुर ने अपने पत्र दिनांक 17.4.2009 के द्वारा अवगत कराया कि नाली का निर्माण करवाकर समस्या का समाधान करवा दिया गया है।

एफ. 16(33)लोआस/2008

यह परिवाद श्रीमती भंवरी देवी निवासी ईदगाह रोड, जोधपुर के द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसमें परिवादिया के मकान के पीछे स्थिति खालसा भूमि पर अब्दुल वहाब द्वारा अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया जिसके संबंध में जिला कलक्टर, जोधपुर ने अपने पत्र दिनांक 22.5.2009 के द्वारा अवगत कराया कि सरकारी भूमि पर डाला गया मलबा हटवा दिया गया है तथा परिवादिया के मकान के पीछे गली में बरसाती पानी के नाले व परनाले से गिरने वाले पानी के लिये नाली बनवा दी गई है जिससे समस्या का समाधान हो चुका है।

आबकारी विभाग

एफ. 18(2)लोआस/2008

यह परिवाद श्री गिरिराज सुमन पुत्र श्री औंकार माली निवासी सुमेरगंज मण्डी, जिला बून्दी ने दिनांक 2.7.2007 को इस आशय का पेश किया कि उसने जिला आबकारी अधिकारी, कोटा द्वारा 15.10.1987 को बकाया रकम वसूली हेतु नीलाम की गई भूमि खसरा नं. 23/1 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा उच्चतम बोली लगा कर क्रय की थी और उसकी सम्पूर्ण विक्रय राशि

3500/- जमा करादी थी, परन्तु उक्त भूमि का पंजीयन न तो उसके नाम किया जा रहा है और न ही नामान्तरण किया जा रहा है।

इस संबंध में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर संभागीय आयुक्त, कोटा ने अपने पत्र दिनांक 22.1.2009, 1.6.2009 एवं 3.8.2009 के द्वारा सूचित किया कि परिवादी ने वर्ष 1987 में नीलामी में भूमि कय करने के पश्चात् नामान्तरण खुलवाने की ओर ध्यान नहीं दिया। अब दिनांक 13.3.2009 को उक्त भूमि का कब्जा दिया जाकर दखलनामा एवं नामान्तरण सं. 133 दिनांक 15.5.2009 को खोल दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को इस सचिवालय के हस्तक्षेप से लगभग 23 साल से लंबित अनुतोष प्राप्त हुआ।

सिंचाई विभाग

एफ. 23(8)लोआस/2008

श्रीमती राममूर्ति पत्नी श्री रामरतन निवासी चाणदा जिला कोटा ने यह परिवाद इस आशय का पेश किया कि परिवादिया की कृषि भूमि सरकारी धोरा नं. सी.सी.ए.5/149 से सिंचित होती है, लेकिन उक्त सरकारी धोरे को समीपस्थ खातेदार कालू खां, शरीफ मोहम्मद आदि ने नष्ट कर जमीन को अपने खाते की भूमि में मिला लिया जिससे परिवादिया की भूमि में सिंचाई बंद हो गई है। परिवादिया ने इसकी शिकायत अध्यक्ष, जल प्रबन्धन समिति, कजलिया माइनर व सहायक अभियन्ता, सी.ए.डी., मांगरोल तथा अन्य उच्च अधिकारियों को की, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः सरकारी धोरे को पुनः बनवाया जावे ताकि उसके खेतों में सिंचाई हो सके।

इस परिवाद के संबंध में प्रसंज्ञान लिये जाने पर क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सी.ए.डी. चम्बल, कोटा ने अपने पत्र दिनांक 7.11.2008 के द्वारा अवगत कराया कि उक्त धोरे को वापिस बनवा दिया गया है व सिंचाई व्यवस्था पुनः बहाल हो गई है जिससे परिवादिया भी संतुष्ट है।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना

एफ. 24(2)लोआस/2009

श्री भगवान दास मोहनानी, सेवानिवृत्त क्षेत्रीय प्रथम हाल 2/5, तुल्सानी एस्टेट, न्यू नाना पेठ रोड, भवानी पेठ, पुणे ने यह परिवाद इस आशय का पेश किया कि उसने दिनांक 2.2.2009 को स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी, परन्तु उसके पेंशन प्रकरण का अभी तक भी निस्तारण नहीं किया गया है जो शीघ्र करवाया जावे।

इस परिवाद में कार्यवाही करने पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 29.10.2009 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी के पेंशन प्रकरण का निस्तारण हो चुका है तथा दिनांक 16.10.2009 को जी.पी.ओ. व पी.पी.ओ. जारी किये जा चुके हैं।

विविध

एफ. 35(55)लोआस/2007

श्री बृज कुमार कुमार, 5/6, जमालपुरा, सेन्दड़ा रोड़, ब्यावर ने यह परिवाद इस आशय का पेश किया कि श्री रूप सिंह द्वारा मकान के सामने गली की 5 फीट सड़क पर पक्का भवन निर्माण करवाकर अतिक्रमण कर लिया गया है जिससे गली का मार्ग 14 फीट से घट कर 9 फीट ही रह गया है जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसकी शिकायत दिनांक 23.7.2007 को नगर परिषद में की गई थी, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं। अत: उक्त अतिक्रमण को हटवाया जावे।

इस परिवाद के संबंध में कार्यवाही करने पर आयुक्त, नगर परिषद, ब्यावर ने अपने पत्र दिनांक 13.1.2009 व 26.2.2009 के द्वारा अवगत कराया कि अतिक्रमी द्वारा स्वयं ही अतिक्रमण को हटा दिया गया है।

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

एफ. 47(5)लोआस/2004

श्रीमती त्रिपत जौहर ने यह परिवाद इस आशय का पेश किया कि उसने लगभग 30 वर्षो तक राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर की अजयमेरू हटूण्डी शाखा के अन्तर्गत कमला नेहरू माध्यमिक विद्यालय, हटूण्डी में सेवाएं दी और दिनांक 30.3.1998 को सेवानिवृत्त हो गई। तब से आज तक उसे उसकी पी.एफ. राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है जो दिलवाया जावे।

इस प्रकरण में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, चित्रकूट नगर, भुवाणा, उदयपुर ने अपने पत्र दिनांक 31.1.2006 के द्वारा अवगत कराया कि परिवादिया की राशि रूपये 1,25,988/- तथा अन्य सदस्य स्व. सायर मोहम्मद की राशि रूपये 12,828/- कुल 1,38,816/- संस्थान के पी.डी. खाता नं. 117 में प्रेषित कर दिये गये हैं। परिवादिया ने अपने पत्र दिनांक 30.3.2006 के द्वारा अवगत कराया कि उसे कर्मचारी अंशदान की राशि रूपये 49,263/- जरिये चैक दिनांक 8.12.2004 तथा दूसरी राशि कर्मचारी एवं संस्था अंशदान पर ब्याज की राशि रूपये 1,25,988/- चैक दिनांक 16.9.2005 के जरिये प्राप्त हो गई है जिसकी वह आभारी है, परन्तु उसे संस्था अंशदान की राशि रूपये 48,123/- अभी तक प्राप्त नहीं हुई है जिस पर पुन: कार्यवाही किये जाने पर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं प्रभारी अधिकारी, उप क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर ने अपने पत्र दिनांक 26.9.2007 व दिनांक

12.11.2008 द्वारा अवगत कराया कि उक्त राशि रूपये 48,123/- संस्थान के पी.डी. खाता संख्या 117 में जरिये चैक दिनांक 24.9.2007 ट्रेजरी ऑफिस, अजमेर में प्रेषित की जा चुकी है। इस प्रकार परिवादिया को सम्पूर्ण अनुतोष दिलाये जाने के पश्चात् इस प्रकरण को दिनांक 19.5.2009 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 47(6)लोआस/2008

श्री रविन्द्र कुमार सक्सैना ने यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह मीटर रीडर-प्रथम के पद से सहायक अभियन्ता (प एवं स), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, फालना के कार्यालय से दिनांक 31 जुलाई, 2008 को सेवानिवृत्त हुआ था, लेकिन उसके पेंशन प्रकरण का निस्तारण अभी तक नहीं किया गया है और न ही ग्रेच्यूटी व कम्यूटेशन का भुगतान किया गया है।

परिवाद में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने पर पत्र दिनांक 8.12.2008 के द्वारा अवगत कराया कि परिवादी के प्रकरण में वेतन स्थिरीकरण कराकर पेंशन की स्वीकृति की जाकर पी.पी.ओ., जी.पी.ओ. एवं सी.पी.ए. जारी कर दिये गये हैं। परिवादी को प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन कर कोई आपत्ति हो तो प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया जो उसके द्वारा 16.1.2009 को प्रस्तुत की गई। प्रकरण को परीक्षण के पश्चात् नियमानुसार अनुतोष प्रदान किया हुआ मानते हुए दिनांक 23.4.2009 को नस्तीबद्ध किया गया।

अध्याय-6

लोकायुक्त संस्था को सशक्त बनाने की आवश्यकता

6.1 लोकायुक्त संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जावे-

देश में विभिन्न राज्यों में लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना राज्य विधियों के अन्तर्गत की गई है व इनके प्रावधानों में एकरूपता नहीं है। संस्था का संवैधानिक दर्जा नहीं होने के कारण इस संस्था के साथ मन-माना व्यवहार किया जाता रहा है। प्राय: यह देखा गया है कि कुछ राज्यों में तो लोकायुक्तों व उप-लोकायुक्तों की नियुक्ति समय पर नहीं की जाती है और कुछ राज्यों में तो राजनीतिक या अन्य कारणों से इस संस्था को ही समाप्त कर दिया गया और फिर कुछ समय बाद पुन: बना दिया गया।

अत: सभी राज्यों में लोकायुक्त विधियों के प्रावधान एकसमान हों, इस हेतु संविधान में प्रावधान किया जाना एवं केन्द्रीय विधि बनाया जाना आवश्यक है। लोकायुक्त संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किये जाने की मांग इसकी स्थापना के समय से विभिन्न लोकायुक्त सम्मेलनों द्वारा, अनेक प्रख्यात विशिष्टजनों एवं लोक प्रशासन के विद्वानों द्वारा की जाती रही है। इस संबंध में पूर्व के प्रतिवेदनों में भी लिखा जाता रहा है।

आठवें लोकायुक्त सम्मेलन, देहरादून (27 से 29 सितम्बर, 2004) में अपने उद्घाटन भाषण में तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम ने तथा माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने अपने समापन भाषण में लोकपाल/लोकायुक्त को संवैधानिक स्तर प्रदान किये जाने व संस्था को अधिक प्रभावी बनाये जाने की वकालत की थी। सम्मेलन में पारित प्रस्ताव संख्या 2 के अनुसरण में लोकायुक्त/लोकपाल/उप-लोकायुक्त एसोसियेशन द्वारा गठित लोकायुक्तों की उप समिति ने एक केन्द्रीय लोकायुक्त विधि के लिए **'प्रारूप लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त बिल 2005'** तैयार किया जिसे दिनांक 10.2.2005 को तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति, तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री एवं तत्कालीन केबीनेट द्वारा संस्थापित मंत्रियों के समूह, जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विधि मंत्री एवं विज्ञान एवं टेक्नोलोजी मंत्री सम्मिलित थे, को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। **उक्त बिल को 23वें वार्षिक प्रतिवेदन में दिया जा चुका है।** इस बिल को द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007) ने अपनी चौथी रिपोर्ट के चैप्टर 4 के पैरा 4.4.5 में उद्धृत किया है। **आयोग ने अपनी रिपोर्ट में संविधान में संशोधन कर राष्ट्रीय लोकायुक्त का प्रावधान किये जाने** तथा राज्यों के **लोकायुक्त संगठनों को संवैधानिक दर्जा प्रदान** करने की सिफारिश की है परन्तु अभी तक इस दिशा में कुछ नहीं किया गया है।

6.2 लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन :-

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की प्रस्तावना में इसे बनाये जाने का एक प्रमुख उद्देश्य कतिपय मामलों में मंत्रियों तथा लोक सेवकों के विरूद्ध अभिकथनों का अन्वेषण करना है, परन्तु **'लोकसेवक'** की परिभाषा में पंच/सरपंचों सहित कई ऐसे लोकसेवक व लोककृत्यकारी सम्मिलित नहीं हैं जो कि सरकार/स्थानीय निकायों/निगमों/समितियों/बोर्डो/विश्वविद्यालयों की सेवा में हैं या उनके वेतनभोगी हैं। यहां तक कि **'अभिकथन'** की परिभाषा में कुप्रशासन, ग्रीवान्सेज, पक्षपातपूर्ण कार्यवाही, भाई-भतीजावाद व आय के ज्ञात स्रोतो से अधिक जमा की गई सम्पत्ति को भी सम्मिलित नहीं किया गया है। लोकायुक्त के प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों की पालना को बाध्यकारी भी नहीं बनाया गया है और न ही वार्षिक प्रतिवेदनों व विशेष प्रतिवेदनों को राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष रखवाये जाने की समय सीमा तय की गई है जिससे उनमें की गई सिफारिशों व सुझावों की सामयिकता व प्रासंगिता प्रायः समाप्त हो जाती है।

मेरे द्वारा व पूर्ववर्ती सभी लोकायुक्तों द्वारा इस अधिनियम को प्रभावी बनाये जाने पर जोर दिया जाता रहा है और इस हेतु वार्षिक प्रतिवेदनों व पत्रों के माध्यम से विभिन्न संशोधन समय-समय पर प्रस्तावित किये गये हैं, परन्तु अभी तक एक भी संशोधन किया गया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। मेरा यह अभिमत है कि लोकायुक्त संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किये बिना व वर्तमान लोकायुक्त अधिनियम को प्रभावी बनाये बनाये बिना, इसे बनाये जाने के प्रयोजन को पूर्ण किया जाना संभव नहीं है। लोकायुक्त अधिनियम को प्रभावी बनाये जाने हेतु अब तक दिये गये प्रमुख सुझावों को समेकित करके यहां पुनः दिये जा रहा है, जो निम्नानुसार हैं :-

6.2.1 धारा 2(ख) में संशोधन की आवश्यकता:-

'अभिकथन' की परिभाषा में कुप्रशासन, ग्रीवान्सेज, पक्षपातपूर्ण कार्यवाही, भाई-भतीजावाद व आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति जमा करने को सम्मिलित नहीं किया हुआ है जबकि ये सभी अविच्छिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए है। दूसरे शब्दों में कुप्रशासन, पक्षपातपूर्ण कार्यवाही एवं भाई-भतीजावाद के परिणाम स्वरूप ही ग्रीवान्सेज (परिवदेनाओं) की उत्पत्ति होती है और भ्रष्टाचार ही आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति जमा करने के अवसरों को जनक है। इनके संबंध में जांच/अन्वेषण नहीं किये जाने से भ्रष्टाचार, पदीय स्थिति के दुरूपयोग व परिवेदनाओं की रोकथाम किया जाना लगभग असंभव है।

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि धारा 2 (ख) में समुचित रूप से संशोधन किया जाकर **'अभिकथन'** की परिभाषा **में 'कुप्रशासन', 'ग्रीवान्सेज', 'पक्षपातपूर्ण कार्यवाही', 'भाई-भतीजावाद' व 'आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति जमा करने'** को भी सम्मिलित किया जावे।

6.2.2 धारा 2 (i)(iv)(ख) में संशोधन की आवश्यकता:-

धारा 2 के खण्ड (i) के उपखण्ड (iv) के उप खण्ड (ख) में प्रावधान है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो, **राज्य अधिनियम** के अधीन या द्वारा स्थापित और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कोई भी निगम (जो स्थानीय प्राधिकरण न हो), की सेवामें या वेतन भोगी है, 'लोकसेवक' होंगे। **राजस्थान पथ परिवहन निगम** की स्थापना केन्द्रीय अधिनियम के अधीन की गई है, ऐसी स्थिति में वे व्यक्ति जो इसकी सेवामें हैं या वेतनभोगी है, लोकायुक्त अधिनियम में दी गई 'लोकसेवक' की परिभाषा में नहीं आते हैं। प्रतिवर्ष परिवहन निगम के बहुत सारे लोकसेवकों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त होती हैं, परन्तु अधिकारिता के अभाव में यह सचिवालय उन शिकायतों पर कार्रवाई करने में असमर्थ है। संबंधित प्रावधान निम्नानुसार है :-

> ''धारा 2 (i)(iv)(ख) किसी **राज्य अधिनियम के अधीन या द्वारा स्थापित** और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कोई भी निगम (जो स्थानीय प्राधिकरण न हो),''

कर्नाटक लोकायुक्त अधिनियम, 1984 में राज्य अधिनियम के साथ-साथ केन्द्रीय अधिनियम के अधीन गठित निगम के वेतनभोगियों को भी लोकसेवक की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है जो निम्नवत् है :-

> "2(12)(g)(ii) a statutory body or a corporation (not being a local authority) **established by or under a State or CentralAct**, owned or controlled by the State Government and any other board or Corporation as the State Government may, having regard to its financial interest therein by notification, from time to time, specify;"

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि उक्त प्रावधान में आंशिक संशोधन करके शब्द **'राज्य अधिनियम'** के पश्चात् व शब्द **'के अधीन'** के पहिले शब्द **'या केन्द्रीय अधिनियम'** को जोड़ा जावे ताकि प्रत्येक वह व्यक्ति जो कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सेवामें है या उसके वेतनभोगी है, को राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अधिकारक्षेत्र में लाया जा सके और उनके विरूद्ध प्राप्त होने वाली पद के दुरूपयोग आदि की शिकायतों की जांच/अन्वेषण किया जा सके।

6.2.3 धारा 2(i)(iv)(d) में संशोधन की आवश्यकता :-

वर्तमान प्रावधान के अनुसार प्रत्येक वह व्यक्ति, जो राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी सोसाइटी, जो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन है और जिसे राजपत्र में उस सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है, की सेवा में है या उनका वेतन भोगी है, 'लोकसेवक' की परिभाषा में आता है। परन्तु सच्चाई यह है कि

वर्ष 1973 में लोकायुक्त अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद से लेकर अब तक एक भी ऐसी सोसाइटी को इस अधिनियम के निमित्त अधिसूचित नहीं किया गया है। आज *राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन, सहकारी बैंकों, राजस्थान मेडीकेयर सोसाइटी सहित विभिन्न सहकारी समितियों* के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कई शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं, परन्तु इनके लोकायुक्त अधिनियम के निमित्त अधिसूचित न होने के कारण कोई कार्रवाई किया जाना संभव नहीं हो पाता है। वर्तमान धारा 2(i)(iv)(d) निम्नवत् है :-

> ''2(i)(iv)(d) राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का राजस्थान अधिनियम 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी सोसाइटी, जो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन है और जिसे राज पत्र में उस सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है,''

कर्नाटक के लोकायुक्त अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो किसी सहकारी समिति की सेवामें या वेतनभोगी है, लोकसेवक है।

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि उपर्युक्त धारा 2(i)(iv)(d) में से शब्द *'और जिसे राज पत्र में उस सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है'* को विलोपित कर दिया जावे।

6.2.4 विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता :-

राजस्थान के लोकायुक्त अधिनियम में विश्वविद्यालय के कर्मचारी 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किये गये हैं। यह अधिनियम 1973 में प्रभावशील हुआ था। इसके बाद से लेकर अब तक सारा परिदृश्य ही बदल चुका है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम संशोधित किया जा चुका है यहां तक कि नया भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 लाया जा चुका है जिसमें दी गई 'लोकसेवक' की परिभाषा में 12 उपखण्ड दिये गये हैं। संबंधित धारा 2(C)(Xi) निम्नवत् है :-

> "2(c)(xi)Any person who is a Vice-Chancellor or member of any governing body, professor, reader, lecturer or any other teacher or employee, by whatever designation called, of any University and any person whose services have been availed of by a University or any other public authority in connection with holding or conducting examinations;"

भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की उक्त धारा 2 के उपखण्ड (C)(Xi) में वर्णित कार्मिकों के विरूद्ध इन दिनों गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगना असामान्य नहीं रहा है। प्रश्नपत्रों को लीक किये जाने की घटनाएं आये दिन होने लग गई हैं। वीक्षकों (Invigilators) के विरूद्ध भी कई शिकायत देखने को मिलती हैं। इसी तरह की शिकायतें

परीक्षकों के विरूद्ध भी देखने को मिल रही हैं। अतः उक्त संदर्भित उप खण्ड (xi) के अनुसार राजस्थान के लोकायुक्त अधिनियम में भी समुचित संशोधन वांछनीय है।

यहां यह उल्लेख किया जाना सुसंगत होगा कि कर्नाटक लोकायुक्त अधिनियम की धारा 2(12)(g)(vi) के प्रावधान के अनुसार वह प्रत्येक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में या उसका वेतनभोगी है, 'लोकसेवक' माना गया है।

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि राजस्थान के लोकायुक्त अधिनियम की धारा 2 को संशोधित किया जाकर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 2(c)(xi) में किये गये प्रावधान को जोड़ा जावे जिससे विश्वविद्यालय के कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध शिकायत पर भी कार्यवाही की जा सके।

6.2.5 सरपंच, उप-सरपंच व पंचों को 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता :-

सरपंच, उप-सरपंच व पंचों तथा प्रत्येक वह व्यक्ति जो किसी पंचायत की सेवामें है, को 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। जब से पंचायतों को विकास कार्यो के क्रियान्वयन से जोड़ा गया है व इस हेतु सरपंच, उप-सरपंच व पंचों को वित्तीय अधिकार दिये गये हैं, तब से उनके द्वारा भ्रष्टाचार व पद का दुरूपयोग किये जाने की शिकायतें भी बड़ी संख्या में प्राप्त हो रही हैं।

यहां यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि जिला परिषद के प्रमुख व उप-प्रमुख तथा पंचायत समिति के प्रधान व उप-प्रधान व स्थाई समिति के अध्यक्ष को राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 2(i)(iii)(a) में दी गई 'लोकसेवक की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है, परन्तु सरपंच, उप-सरपंच व पंचों तथा प्रत्येक वह व्यक्ति जो कि किसी पंचायत की सेवामें है, को लोकसेवक की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है।

यहां यह उल्लेख किया जाना भी उचित होगा कि धारा 2(i)(iii)(a) में किये गये प्रावधान में पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1959 का संदर्भ अंकित है, जो कि अब प्रभाव में प्रतीत नहीं होता है। 73वें संविधान संशोधन के प्रभाव में आने के पश्चात्, जिसके कि द्वारा अध्याय 243ए से 243ओ जोड़े गये हैं और नया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (अधिनियम सं. 13 सन् 1994) प्रवृत किये जा चुकने के पश्चात् निरसित किये जा चुके पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1959 का संदर्भ इस धारा में हटाया जाना वांछनीय है।

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि धारा 2 में आवश्यक संशोधन किया जाकर प्रत्येक ग्राम पंचायत **के सरपंच, उप-सरपंच व पंच तथा प्रत्येक वह व्यक्ति जो किसी ग्राम पंचायत,**

पंचायत समिति और जिला परिषद की सेवामें हैं को 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित किया जावे।

6.2.6 समितियों/बोर्डो के कार्मिकों को लोकसेवक की परिभाषा में सम्मिलित करने की आवश्यकता :-

सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न समितियों व बोर्डो का गठन किया जाता है जिनमें से कुछ स्टेट्यूटरी होते हैं और कुछ नॉन-स्टेट्यूटरी होते हैं। इस तरह की समितियों व मण्डलों के संचालन हेतु नियुक्त व्यक्ति व वे व्यक्ति जो ऐसी समितियों/बोर्डो की सेवामें या वेतनभोगी होते हैं, वे 'लोकसेवक' की वर्तमान परिभाषा में सम्मिलित नहीं किये गये हैं।

जैसाकि पहिले कहा जा चुका है, राजस्थान का लोकायुक्त अधिनियम वर्ष 1973 में प्रभाव में आया थ जब इस तरह की समितियां/बोर्ड नहीं होंगे। इसलिये इनकी सेवामें या इनके वेतनभोगी कार्मिकों को **'लोकसेवक'** की परिभाषा में सम्मिलित किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया होगा।

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि वर्तमान धारा 2 में आवश्यक संशोधन किया जाकर सरकार द्वारा समय-समय पर **स्टेट्यूटरी या नॉन-स्टेट्यूटरी आधार पर गठित प्रत्येक समिति/बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्यों व प्रत्येक वह व्यक्ति जो इनकी सेवामें व इनके वेतनभोगी हैं, को 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित किया जावे।**

6.2.7 पूर्व लोकसेवक को भी 'लोकसेवक' की परिभाषा में रखे जाने की आवश्यकता:-

लोकायुक्त अधिनियम में दी गई 'लोकसेवक' की परिभाषा में पदधारण न करने वाले व्यक्ति/सेवानिवृत्त व्यक्ति नहीं आते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई लोकसेवक भ्रष्टाचार या पद का दुरूपयोग करने के पश्चात् स्वयं त्यागपत्र देदे, या सेवानिवृत्त हो जावे या पद त्याग करदे तो वह धारा 2 में दी गई लोकसेवक की परिभाषा के अनुसार 'लोकसेवक' नहीं माना जावेगा। ऐसे कई उदाहरण विगत में देखने को मिले हैं जिनमें लोकसेवकों के विरूद्ध गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों का अन्वेषण प्रारंभ करते ही उनके द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया या शिकायत ही सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात् प्राप्त हुई, जिसके कारण उनके लोकसवेक न रहने के कारण आगे अन्वेषण नहीं किया जा सका। केवल इसी प्रावधान के कारण किसी भी लोकसेवक को भ्रष्टाचार या पद का दुरूपयोग करके बिना जवाबदेही के ही चले जाने की आजादी दिया जाना उचित नहीं है।

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि धारा 2 में यथोचित संशोधन किया **जाकर पूर्व लोकसेवकों को भी 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित किया जावे।**

6.2.8 राज्य विधानसभा के सदस्यों को भी 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता :-

राज्य विधान सभा के सदस्यों के विरूद्ध भी इन दिनों कई भ्रष्टाचार एवं पद के दुरूपयोग के आरोप लगते रहते हैं, परन्तु लोकायुक्त अधिनियम में दी गई 'लोकसेवक' की परिभाषा में राज्य विधानसभा के सदस्यों को सम्मिलित नहीं किये जाने के कारण उनके विरूद्ध इस सचिवालय द्वारा कोई जांच किया जाना संभव नहीं हो पा राह है। कर्नाटक के लोकायुक्त अधिनियम, 1984 में राज्य विधानसभा के सदस्यों को भी 'लोकसेवक' माना गया है।

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि राजनीतिक शुचित को बनाये रखने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए धारा 2 में यथोचित संशोधन किया जाकर राज्य विधानसभा एवं राज्य विधान परिषद के सदस्यों को भी 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित किया जावे।

6.2.9 धारा 5 (1) में संशोधन की आवश्यकता :-

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 5(1) के प्रावधान के अनुसार लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त की पदावधि पांच वर्ष की है। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के लोकायुक्त अधिनियमों में लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त की पदावधि छः वर्ष है। पदावधि की इस विसंगति को दूर करने एवं इसे छः वर्ष करने के लिये पूर्व में 12वें वार्षिक प्रतिवेदन में भी लिखा गया था, जो निम्नानुसार है -

> **"Sec. 5 (1) Conditions of Service.**
> The term of office of the Member of the Public Service Commission as provided inArticle 316 (2) of Constitution is six years. Similarly the term of office the Comptroller andAuditor General of India is six years as provided in Section 2 of the Comptroller andAuditor General (Conditions of Service)Act, (XXI of 1953). To make the law uniform, the State of Uttar Pradesh has also amended Section regarding the term of the Office of Lokayukta and now the term of Office of the Lokayukta is six years. Similarly amendments have been moved in otherActs in other States**.**
>
> **It is, therefore, proposed that in Section 5 (1) the words "six years" should be substituted for the words "five years".**

मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के लोकायुक्त अधिनियमों के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम की धारा 5(1) में संशोधन किया जाकर लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त की पदावधि 6 वर्ष की जावे।

6.2.10 धारा 8(3) के संशोधन की आवश्यकता:-

धारा 8(3) शिकायत प्रस्तुत किये जाने की जो पांच वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है, वह उचित नहीं है। कई मामलों में यह देखा गया है कि भ्रष्ट व्यक्ति इतने प्रभावशाली होते

हैं कि वे अपने प्रभाव से या उनके डर के कारण उनके द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की कोई शिकायत उनके पदासीन रहते नहीं की जाती। कुछ ऐसे भी मामले होते हैं, जिनमें भ्रष्टाचार के मामले पांच वर्ष बाद उजागर होते हैं। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचारियों को केवल समय सीमा लाभ देकर छोड़ा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः धारा 8(3) के नीचे यह परन्तुक जोड़ा जाना चाहिए कि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त उक्त पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् प्रस्तुत की जाने वाली ऐसी शिकायतों के संबंध में अन्वेषण कर सकेंगे, जहां लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त, जैसी भी स्थिति हो, शिकायत को उक्त अवधि में प्रस्तुत न करने के शिकायतकर्ता द्वारा दिये गये कारणों से संतुष्ट हों।

6.2.11 धारा 9(1) में संशोधन कर लोकसेवकों को भी शिकायत किये जाने की अधिकारिता दिये जाने की आवश्यकता:-

भ्रष्टाचार, पद का दुरूपयोग, भाई-भतीजावाद आदि कृत्य लोकसेवकों द्वारा ही किये जाते हैं और इनकी सबसे अधिक जानकारी भी लोकसेवकों को ही होती है, परन्तु उन्हें लोकायुक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन शिकायत प्रस्तुत करने की अधिकारिता नहीं दी गई है। इसका कोई उचित कारण नजर नहीं आता है। इसी कारण बहुत सारी शिकायतें गुमनाम या छद्मनाम से प्राप्त होती हैं, जिनमें से जांच किये जाने योग्य मामला बनना पाये जाने पर लोकायुक्त द्वारा स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाकर जांच के आदेश दिये जाते। ऐसी स्थिति में **किसी लोकसेवक को शिकायत प्रस्तुत करने की अधिकारिता न देना तर्कसंगत नहीं लगता है।** दिल्ली, आन्ध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश तथा केरल के लोकायुक्त अधिनियमों में लोकसेवकों को भी शिकायत प्रस्तुत करने की अधिकारिता दी गई है।

अतः यदि वास्तव में हम भ्रष्टाचारमुक्त समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के सभी उपायों को अपनाना ही होगा और इस हेतु लोकसेवकों को, जो कि भ्रष्टाचार के स्रोतों एवं भ्रष्टाचारियों को अच्छी तरह से जानते हैं, उनके सबूतों के बारे में जानते हैं, को शिकायत प्रस्तुत करने की अधिकारिता देनी चाहिए।

इसके लिये धारा 9(1) में आंशिक संशोधन करते हुए शब्द *'लोक सेवक से भिन्न'* को विलोपित कर दिया जाना चाहिए।

6.2.12 शपथ पत्र को समाप्त किये जाने की आवश्यकता :-

धारा 9(2) सपठित नियम 4, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (कार्यवाहियां) नियम, 1974 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक शिकायत ऐसे प्रारूप में तथा ऐसे शपथ पत्रों सहित प्रस्तुति की जायगी जो विहित किये जायें।

इस संबंध में यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में अधिकांश जनता अब भी अधिक पढ़ी-लिखी नहीं है। लोग अब भी कानूनी पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते। उन्हें ऐसी संस्था की आवश्यकता है, जहां उन्हें वकीलों और अन्य औपचारिकताओं की आवश्यकता न पड़े और यह सब लोकायुक्त सचिवालय प्रदान कर सकता है। आज अधिकाधिक लोग फैक्स व ई-मेल का प्रयोग करने लगे हैं, जिसके कारण मूल शपथ पत्र आदि प्रेषित किया जाना संभव नहीं है।

लोकायुक्त सचिवालय के लिये अब इन नवीनतम माध्यमों को नकारना उचित नहीं होगा। इसके अतिरक्त जब लोकायुक्त को स्वमेव स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिये जाने की शक्ति प्रदत है और लोकायुक्त का कार्य केवल जांच करना व मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर केवल अपनी सिफारिश करना है तो फिर किसी शिकायत के संबंध में प्रारूप निर्धारित किये जाने या उसके समर्थन में कोई शपथ पत्र को प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

अतः समय की आवश्यकता को देखते हुए व आम जनता के हित को देखते हुए धारा 9 की उप-धारा (2) को विलोपित कर दिया जाना चाहिए।

6.2.13 धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (क) एवं (ख) को समाप्त करने की आवश्यकताः-

धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (क) एवं (ख) में यह प्रावधान है कि जहां लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त (ऐसी प्रारंभिक जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे) लोकायुक्त अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करना प्रस्थापित करते है, तो वह उस शिकायत की प्रतिलिपि, या किसी ऐसे अन्वेषण की दशा में, जो वह स्वप्रेरणा से करना प्रस्थापित करे, उसके लिये आधारों का एक विवरण, संबंधित लोक सेवक को और संबंधित सक्षम प्राधिकारी को भेजेंगे, संबंधित लोक सेवक को उस शिकायत या विवरण पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेंगे।

जहां तक औपचारिक अन्वेषण प्रारंभ करने से पूर्व प्रारंभिक जांच किये जाने का प्रावधान है, वह उचित है, परन्तु अन्वेषण प्रारंभ करने से पूर्व ही संबंधित लोकसेवक को प्रतिलिपि या सारांश दिये जाने और अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये जाने से अन्वेषण का महत्व ही निष्फल हो जाता है, क्योंकि अधिकांश मामलों में संबंधित लोकसेवक द्वारा रिकार्ड के साथ छेड़छाड़ किये जाने और गवाहों को डराने-धमकाने या अपने प्रभाव में लेने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। लोकसेवक को विभागीय जांच अथवा अभियोजन के दौरान् अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर प्रदान किया जाता है।

अतः धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (क) एवं (ख) को विलोपित कर दिया जाना चाहिए और अन्वेषण के दौरान् क्या प्रक्रिया अपनाई जावे, इसे लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त के विवेक पर छोड़ देना चाहिए।

6.2.14 तलाशी एवं जब्ती की शक्ति प्रदान किये जाने की आवश्यकताः-

धारा 11(2)(ख) के अनुसार लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त को किसी भी अन्वेषण एवं प्रारंभिक जांच के प्रयोजनार्थ किसी दस्तावेज के प्रकटन और प्रस्तुतीकरण के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन किसी वाद पर विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय को प्राप्त समस्त शक्तियां प्राप्त हैं, किन्तु अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि लोकायुक्त द्वारा तलाशी का वारंट जारी किया जा सकता है, एवं अनैतिकता से अर्जित सम्पत्ति की जब्ती का आदेश भी दिया जा सकता है।

दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, गुजरात के लोकायुक्त अधिनियमों में तलाशी एवं जब्ती का वारंट जारी करने की शक्ति विशिष्ट रूप से प्रदत्त हैं।

अतः अन्वेषण/जांच के उचित एवं लाभदायक निस्तारण के लिये राजस्थान के लोकायुक्त अधिनियम में भी तलाशी एवं जब्ती का विशिष्ट प्रावधान किया जाना चाहिए।

6.2.15 सिफारिश की पालना :-

वर्तमान धारा-12 की उप धारा (2) में यह प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी, उप-धारा(1) के अधीन उसे भेजे गये प्रतिवेदन की परीक्षा करेगा और प्रतिवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त को, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिवेदन के आधार पर की गई या की जाने के लिये प्रस्थापित कार्रवाई की सूचना देगा।

अभी तक का अनुभव यह बताता है कि इस वैधानिक प्रावधान की पालना सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं की जाती है। प्राधिकारियों द्वारा इस संबंध में सूचना कई स्मृति पत्र जारी करने के बाद महीनों एवं वर्षो के बाद दी जाती है। तब तक सिफारिश का महत्व ही समाप्त हो जाता है।

आन्ध्रप्रदेश लोकायुक्त अधिनियम के अन्तर्गत लोकायुक्त के प्रतिवेदन पर बिना किसी अग्रिम जांच के किसी लोकसेवक को अपने पद से हटाया जा सकता है। कर्नाटक के लोकायुक्त अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि लोकायुक्त इस संबंध में संतुष्ट हो कि संबंधित लोकसेवक को उसके पद पर से हटना चाहिए, तो उस स्थिति में इस आशय की घोषणा कर दी जावेगी।

यह भी प्रावधान है कि लोकायुक्त द्वारा की जाने वाली ऐसी घोषणा यदि 3 माह में अस्वीकार नहीं की जाती है, तो उसे स्वीकृत माना जायेगा। यदि संबंधित लोकसेवक अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है, तो उस स्थिति में राज्य सरकार ऐसे लोकसेवक को उस पर लागू सेवा नियमों के अनुसार निलम्बित रखने की कार्यवाही करेगी।

महाराष्ट्र, उड़ीसा व केरल के लोकायुक्त अधिनियमों में परिवेदना के मामलों में लोकायुक्त की सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी होती है।

अतः लोकायुक्त द्वारा की जाने वाली सिफारिशों को महत्व देने हेतु धारा 12 को समुचित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए जिससे लोकायुक्त द्वारा की गई सिफारिश का क्रियान्वयन तत्काल हो जावे।

6.2.16 अंतरिम सिफारिश किये जाने की शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता:-

कई बार शिकायतें लोकसेवक की किसी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप शिकायतकर्ता को होने वाले अन्याय या अनुचित परेशानी के बारे में, लोकसम्पत्ति, राजकोष को क्षति पहुंचाने वाले आदेश की विरूद्ध या ऐसी कार्रवाही के विरूद्ध की जाती है जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। परन्तु वर्तमान अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत् लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त उनके क्रियान्वयन को रोकने हेतु अंतरिम सिफारिश कर सके।

अतः वर्तमान अधिनियम में अंतरिम सिफारिश किये जाने का एक नया प्रावधान यह जोड़ा जावे कि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त का यदि प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के किसी भी प्रक्रम पर यह समाधान हो जाये कि शिकायतकर्ता को लोकसेवक की किसी भी कार्रवाई के परिणामस्वरूप हुए अन्याय या अनुचित परेशानी की अंतरिम सहायता की मंजूरी की सिफारिश करना आवश्यक है, लोककृत्यकारी के प्रशासनिक कृत्यों से होने वाले लोक सम्पत्ति या लोक राजस्व के होने वाले अपव्यय को सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है, लोककृत्यकारी के अवचार के कृत्यों को रोकना आवश्यक है, तो वह सक्षम प्राधिकारी को समुचित निर्देश देते हुए अंतरिम सिफारिश अग्रेषित कर सके।

यह भी प्रावधान किया जावे कि यदि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त का जांच या अन्वेषण के किसी भी प्रक्रम पर यह समाधान हो जाये कि जिस लोकसेवक या लोककृत्यकारी के विरूद्ध शिकायत की गई है, उसका उस पद पर बने रहना उचित नहीं है तो वह सक्षम प्राधिकारी को उसके निलम्बन या स्थानान्तरण की सिफारिश कर सके।

6.2.17 धारा 22 में संशोधन किये जाने की आवश्यकता:-

धारा 22(क) में यह प्रावधान है कि लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या किसी न्यायाधीश अथवा संविधान के अनुच्छेद 236 के खण्ड (ख) में

यथापरिभाषित न्यायिक सेवा के किसी सदस्य के विरूद्ध किसी अभिकथन के सम्बन्ध में अन्वेषण नहीं कर सकेंगे, परन्तु इसके साथ ही धारा 22(ख) में प्रावधान किया गया है कि लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त भारत में किसी भी न्यायालय के किसी अधिकारी अथवा सेवक के विरूद्ध किसी अभिकथन के सम्बन्ध में अन्वेषण करने नहीं कर सकेंगे, जिसके कारण विभिन्न विधियों के तहत् न्यायालय की तरह कार्य करने वाले राजस्व न्यायालयों व उन अन्य न्यायालयों को भी धारा 22(क) में परिभाषित न्यायालयों के समान लोकायुक्त के अधिकारक्षेत्र के बाहर माना जा रहा है, जबकि ये सीधे रूप से उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय नहीं हैं।

इसी प्रावधान के कारण राजस्व न्यायालयों के आरोपित पीठासीन अधिकारियों द्वारा उक्त प्रावधान का आश्रय लिया जाता रहा है।

अत: किसी भी प्रकार की गलतफहमी को दूर करने के लिये धारा 22 के खण्ड (क) व (ख) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जावे :-

''(क) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या किसी न्यायाधीश अथवा भारत के संविधान के पार्ट VI के चैप्टर VI में यथापरिभाषित अधीनस्थ न्यायालय के किसी न्यायिक अधिकारी,

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी भी न्यायालय के किसी अधिकारी अथवा सेवक,''

6.2.18 लोकसेवकों एवं लोककृत्यकारियों (public functionary) द्वारा सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता :-

अधिकतर लोकसेवक भ्रष्टाचार से अर्जित धन को जमीन जायदाद व अन्य चल-अचल सम्पत्तियों को स्वयं एवं अपने रक्त सम्बन्धियों के नाम से या बेनामी क्रय करने में निवेश करते हैं। अत: भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए लोकायुक्त अधिनियम में यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि सभी लोकसेवक एवं लोककृत्यकारी (public functionary) अपने एवं निकट संबंधियों की सम्पत्ति का विवरण प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रेल तक आवश्यक रूप से लोकायुक्त को प्रस्तुत करें, जिन्हें लोकायुक्त द्वारा प्रकाशित करवाया जावे ताकि यदि किसी लोकसेवक या लोककृत्यकारी (public functionary) के प्रकाशित किये गये सम्पत्ति विवरण के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह लोकायुक्त को प्रस्तुत कर सके और लोकायुक्त उनका अन्वेषण कर सके। सम्पत्ति के विवरण की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होना चाहिए और उसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि उनके पास सम्पत्ति विवरण में दी गई सम्पत्तियों के अतिरिक्त अन्य कोई सम्पत्ति नहीं है और न ही कोई बेनामी सम्पत्ति है। यदि शपथ पत्र को झूठा पाया जावे तो ऐसे लोकसेवक को अभियोजित करने की शक्तियां भी लोकायुक्त में निहित किये जाने की आवश्यकता है। यह प्रावधान किये जाने पर भ्रष्ट लोकसेवकों एवं लोककृत्यकारियों पर अंकुश लगाया जाना संभव हो सकेगा।

अतः उपर्युक्तानुसार लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन किये जाने व नवीन प्रावधान जोड़े जाने पर गंभीरता से विचार किया जावे।

यदि इतने संशोधन किया जाना व्यावहारिक न समझा जावे तो वर्तमान अधिनियम को **'प्रारूप लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम 2005'**, जिसे 23वें प्रतिवेदन में दिया जा चुका है, के अनुसार एक नवीन लोकायुक्त अधिनियम बनाया जाकर उससे प्रतिस्थापित (substitute) किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

6.3 अन्वेषण मशीनरी एवं स्टाफ की आवश्यकता -

इस सचिवालय में वर्तमान में राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के केवल दो अधिकारी, सचिव एवं उप सचिव, ही अन्वेषण कार्य सम्पन्न कराने में भागीदारी निभाते हैं। राजस्थान राज्य देश का सबसे बड़ा राज्य है और निरन्तर विकास एवं प्रगति की ओर अग्रसर है। बड़े पैमाने पर हो रहे विकास कार्यो के साथ-साथ शिकायतों की संख्या में भी उत्तरोत्तर भारी वृद्धि हो रही है। कतिपय शिकायतें ऐसी प्रकृति की शिकायतें होती है जिनमें इस सचिवालय स्तर पर सुविधा एवं संसाधनों के अभाव में त्वरित अन्वेषण किया जाना संभव नहीं हो पाता। अतः ऐसे मामलों के अन्वेषण में हमारे राज्य की जांच एजेन्सी 'भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो' एवं केन्द्र सरकार की जांच एजेन्सी 'केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो' की सेवाओं की इस सचिवालय द्वारा उपयोगिता बहुधा अपेक्षित होती है।

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 14(3) में यह प्रावधान है कि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण के प्रयोजनार्थ राज्य व केन्द्रीय सरकार के किसी भी अधिकारी या अन्वेषण एजेन्सी की सेवाओं का, उस सरकार की सहमति से, या अन्य किसी भी व्यक्ति या एजेन्सी की सेवाओं का, उपयोग कर सकेंगे। इस प्रावधान का कर्नाटक, गुजरात एवं केरल के लोकायुक्त अधिनियमों से तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है तो यह पाया जाता है कि इन अधिनियमों के तहत् लोकायुक्त को अन्वेषण के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार की किसी भी एजेन्सी अथवा अधिकारी की सेवाएं लेने हेतु राज्य सरकार की पूर्व सहमति लिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 18(2) में यह प्रावधान है कि महामहिम राज्यपाल, लिखित आदेश द्वारा एवं लोकायुक्त से परामर्श करने के पश्चात्, लोकायुक्त या किसी उप-लोकायुक्त को भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित या नियुक्त एजेन्सियों, प्राधिकरणों या अधिकारी-वर्ग के ऊपर पर्यवेक्षण करने की शक्तियां प्रदान कर सकेंगे।

पूर्व में सभी लोकायुक्तों द्वारा इस संस्था की एक स्वतंत्र अन्वेषण एजेन्सी बनाये जाने या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का पर्यवेक्षण लोकायुक्त के अधीन करने की आवश्यकता समय-समय पर पत्रों एवं वार्षिक प्रतिवेदनों में दिये गये सुझावों के माध्यम से प्रतिपादित की जाती रही है। मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये 23वें व 24वें वार्षिक प्रतिवेदन में भी इस बात की ओर ध्यान

आकर्षित किया गया था। परन्तु लगातार मांग किये जाते रहे होने के बावजूद भी लोकायुक्त संस्था को न तो अब तक कोई स्वतंत्र अन्वेषण एजेन्सी प्रदान की गई है, न ही धारा 14(3) के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण के प्रयोजनार्थ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की सेवाओं का उपयोग करने हेतु सहमति प्रदान की गई है और न ही धारा 18(2) के प्रावधान के अन्तर्गत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर लोकायुक्त को पर्यवेक्षण करने की शक्तियां प्रदान की गई है। **अन्वेषण एजेन्सी व पर्याप्त स्टाफ के अभाव में यह संस्था कई प्रकरणों के अन्वेषण में कठिनाई महसूस करती है।**

यहां अन्वेषण मशीनरी व स्टाफ की उपलब्धता के संबंध में राजस्थान, मध्यप्रदेश व कर्नाटक के लोकायुक्त संगठनों का तुलनात्मक विवरण दिया जाना उचित होगा जिससे स्पष्ट होता है कि जहां मध्यप्रदेश एवं कर्नाटक के लोकायुक्त संगठनों में अन्वेषण कार्य के लिए अन्वेषण मशीनरी व पर्याप्त संख्या में स्टाफ है, वहीं राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की न तो कोई अन्वेषण मशीनरी है और न ही पर्याप्त स्टाफ है। तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है :-

	मध्यप्रदेश	कर्नाटक	राजस्थान
प्रशासनिक शाखा	1 सचिव 1 उप सचिव 1 अवर सचिव 1 लेखाधिकारी 4 अनुभाग अधिकारी	1 रजिस्ट्रार 1 उप रजिस्ट्रार (प्रशा.) 1 सहायक रजिस्ट्रार (प्रशा.) 1 प्रबन्धक (प्रशा.) 1 संयुक्त रजिस्ट्रार (सांख्यिकी)	1 सचिव, 1 उप सचिव 1 सहायक सचिव 2 अनुभाग अधिकारी
विधि एवं जांच शाखा	3 विधि सलाहकार (जिला जज रैंक के अधिकारी) 1 उप विधि सलाहकार (सी.जे.एम. रैंक के अधिकारी)	5 अतिरिक्त रजिस्ट्रार-जांच 5 उप रजिस्ट्रार-जांच 3 सहायक रजिस्ट्रार (लीगल ऑपिनियन) 1 पब्लिक प्रोसीक्यूटर 5 सीनियर ए.पी.पी.	कोई नहीं
पुलिस शाखा	1 महानिदेशक 1 महानिरीक्षक पुलिस 2 उप महानिरीक्षक पुलिस 8 पुलिस अधीक्षक 26 उप पुलिस अधीक्षक 41 पुलिस निरीक्षक	1 अतिरिक्त महानिदेशक 1 महानिरीक्षक पुलिस 17 पुलिस अधीक्षक 2 उप पुलिस अधीक्षक 56 पुलिस निरीक्षक	कोई नहीं
तकनीकी शाखा	1 मुख्य अभियन्ता 3 अधीक्षण अभियन्ता 6 सहायक अभियन्ता 4 तकनीकी सहायक	1 मुख्य अभियन्ता 1 अधीक्षण अभियन्ता 4 अधीशाषी अभियन्ता 4 सहायक अभियन्ता 1 उप लेखा नियंत्रक	कोई नहीं

श्री वीरप्पा मोईली (वर्तमान कानून मंत्री, भारत सरकार) की अध्यक्षता में **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट (जनवरी 2007) में यह सिफारिश की है कि लोकायुक्त की खुद की अन्वेषण मशीनरी होनी चाहिए।** आयोग के अनुसार प्रारंभ में वह राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी ले सकते हैं, परन्तु पांच वर्ष के पश्चात् उसे स्वयं केडर में भर्ती करने एवं उन्हें उचित रूप से प्रशिक्षित करने के कदम उठाने चाहिए।

सिफारिश का संबंधित अंश निम्नानुसार है :-

"4.4.9 Recommendations:

----

h. **The Lokayukta should have its own machinery for investigation**. Initially, it may take officers on deputation from the State Government, but over a period of five years, it should take steps to recruit its own cadre, and train them properly.

----------"

उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में लोकायुक्त सचिवालय को अन्वेषण कार्य हेतु पर्याप्त स्टाफ एवं स्वयं की एक स्वतंत्र अन्वेषण मशीनरी प्रदान की जावे तथा साथ ही लोकायुक्त अधिनियम की धारा 18(2) के प्रावधान के अन्तर्गत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर लोकायुक्त को पर्यवेक्षण करने की शक्तियां प्रदान की जावे।

6.4 सुशासन के लिये सुझाव:-

सुशासन की स्थापना के लिये निम्न उपाय भी शीघ्रातिशीघ्र अमल में लाये जाने चाहिए:-

1. जहां तक हो सके सभी राजकीय कार्यो के निष्पादन में पूर्ण पारदर्शिता लाई जावे।
2. समस्त राजकीय कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण किया जावे।
3. प्रत्येक विभाग/कार्यालय में कार्य को निपटाने की तय अवधि व उसे निपटाने हेतु जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के नाम एवं पदनाम की सूचना तथा तय अवधि में कार्य नहीं निपटाने पर इसकी शिकायत जिस अधिकारी की जानी है, उसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर अंकित करवाई जावे। साथ ही कार्यो की मॉनीटरिंग की व्यवस्था भी करवाई जावे।
4. प्रत्येक विभाग/कार्यालय में शिकायत पुस्तिका रखवाया जाना अनिवार्य किया जावे एवं उसे आम जनता को शिकायत दर्ज करने हेतु उपलब्ध करावाया जावे तथा उसमें दर्ज शिकायत का निवारण 24 घण्टे के भीतर किया जाना अनिवार्य किया जावे। उस **शिकायत पुस्तिका की एक प्रति प्रत्येक माह लोकायुक्त सचिवालय में प्रेषित हो, जिससे यह संस्था निगरानी रख सके।**
5. जनता के साथ व्यवहार ठीक नहीं करने वाले, अपने कार्य में दिलचस्पी नहीं लेने वालें, कार्य को निर्धारित समयावधि में बिना किसी उचित कारण के पूर्ण नहीं करने वाले, काम की एवज में जनता से अपेक्षा रखने वाले व जिनकी आम शोहरत अच्छी न हो को चिन्हित किया जाकर उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे व उन्हें आम जनता से जुड़े कार्यो का दायित्व नहीं दिया जावे।
6. प्रत्येक विभाग/कार्यालय के अधिकारी जनसाधारण की पहुंच में हों, वे जनसाधारण से मिलने के लिये समय निर्धारित करें और उस समयावधि में वे कार्यालय में मिलने के लिये उपस्थित रहें। इस हेतु अवांछित बैठकों एवं दौरों पर अंकुश लगाया जावे।

7. जहां तक हो सके, प्रत्येक लोकसेवक की पदस्थापन अवधि निश्चित की जावे, जो तीन से पांच वर्ष हो सकती है ताकि लोकसेवकों को अपनी कार्यक्षमता एवं प्रतिभा का परिचय देने का अवसर मिल सके एवं उसकी जवाबदेही भी तय की जा सके।
8. भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें प्राप्त होने पर उन पर तत्काल व प्रभावी ढंग से कार्यवाही की जावे।

अध्याय-7

अखिल भारतीय लोकायुक्त/लोकपाल/उप-लोकायुक्त ऑम्बुड्समैन सम्मेलन

प्रथम अखिल भारतीय लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त सम्मेलन 26 मई से 30 मई, 1986 को शिमला (हिमाचल प्रदेश) में, **द्वितीय सम्मेलन** 22 अगस्त से 24 अगस्त, 1989 को नागपुर (महाराष्ट्र), **तृतीय सम्मेलन** 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, 1991 को जुबिली हाल, पब्लिक गार्डन्स व आन्ध्रप्रदेश लोकायुक्त संस्था के भवन, हैदराबाद, **चौथा सम्मेलन** 7 मार्च, 1995 को गुरूजादा हाल, ए.पी.भवन, नई दिल्ली तथा **पांचवा सम्मेलन** 10 व 11 फरवरी, 1996 को गांधीनगर (गुजरात) में सम्पन्न हुआ।

छठा सम्मेलन दिनांक 22 एवं 23 जनवरी, 2001 को पार्लियामेंट एनेक्सी, नई दिल्ली एवं दिल्ली सचिवालय में सम्पन्न हुआ।

सातवां अखिल भारतीय लोकायुक्त/लोकपाल/उप-लोकायुक्त (ऑम्बुड्समैन) सम्मेलन-2003 (बैंगलोर) दिनांक 17 एवं 18 जनवरी, 2003 को बैंक्वेट हॉल, विधान सौधा, बैंगलोर में सम्पन्न हुआ।

आठवां अखिल भारतीय लोकायुक्त/लोकपाल/उप-लोकायुक्त (ऑम्बुड्समैन) सम्मेलन-2004 दिनांक 27 से 29 सितम्बर, 2004 को देहरादून में सम्पन्न हुआ जिसका उद्घाटन तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा किया गया। सम्मेलन का समापन समारोह को माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा सम्बोधित किया गया।

सम्मेलन को अन्य विशिष्टजनों के अतिरिक्त माननीय न्यायमूर्ति श्री एम.जगन्नाधा राव, तत्कालीन अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग ने भी सम्बोधित किया जिन्होंने लोकायुक्त संस्था को अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाये जाने एवं केन्द्रीय लोकायुक्त विधि बनाये जाने पर दिया।

यह पहला अवसर था जब भारत के महामहिम राष्ट्रपति एवं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लोकायुक्त सम्मेलन को सम्बोधित किया गया।

नवां अखिल भारतीय लोकायुक्त/लोकपाल/उप-लोकायुक्त (ऑम्बुड्समैन) सम्मलेन-2007 दिनांक 22 व 23 सितम्बर, 2007 को बैंगलोर में सम्पन्न हुआ जिसका उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति श्री के.जी.बालाकृष्णन, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया।

समारोह का समापन माननीय श्री शिवराज पाटील, तत्कालीन गृहमंत्री, भारत सरकार ने अपने भाषण से किया।

10वां सम्मेलन दिनांक 9 व 10 अक्टूबर, 2010 को भोपाल में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है ।

लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त की पदास्थापना अवधि

लोकायुक्त			
क्रस	नाम	दिनांक से	दिनांक तक
1.	माननीय न्यायमूर्ति श्री आई.डी.दुआ, पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय	28.8.1973	27.8.1978
2.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.पी.गुप्ता, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	28.8.1978	5.8.1979
3.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहन लाल जोशी, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	6.8.1979	7.8.1982
4.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री के.एस.सिद्धू, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	4.4.1984	3.1.1985
5.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहन लाल श्रीमाल, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सिक्किम उच्च न्यायालय	4.1.1985	3.1.1990
6.	माननीय न्यायमूर्ति श्री पुरूषोत्तम दास कुदाल, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	16.1.1990	6.3.1990
7.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री महेन्द्र भूषण शर्मा, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	10.8.1990	30.9.1993
8.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री विनोद शंकर दवे, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	21.1.1994	16.2.1994
9.	माननीय न्यायमूर्ति श्री महेन्द्र भूषण शर्मा, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	6.7.1994	6.7.1999
10.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मिलाप चन्द जैन, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय	26.11.1999	26.11.2004
11.	माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.एल.गुप्ता, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	1.5.2007	निरन्तर
उप-लोकायुक्त			
1.	श्री के.पी.यू.मेनन आई.ए.एस. पूर्व मुख्य सचिव	5.6.1973	25.6.1974

* कार्यवाहक लोकायुक्त।

- लोकायुक्त का पद 8.8.1982 से 3.8.1984 तक, 4.1.90 से 15.1.1990 तक, 7.3.1990 से 9.8.1990, 1.10.1993 से 20.1.1994 तक, 17.2.1994 से 5.7.1994 तक, 7.7.1999 से 25.11.1999 तक एवं 27.11.2004 से 30.4.2007 तक रिक्त रहा है।
- उप लोकायुक्त का पद श्री के.पी.यू.मेनन के दिनांक 25.6.74 को त्याग पत्र दिये जाने के बाद से निरन्तर रिक्त चला आ रहा है।